असंशोधित

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

09 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 09 जुलाई, 2019 ई0

---------- मंगलवार, तिथि ----------

त्रयोदश सत्र 18 आषाढ़,1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

( इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया )

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

## प्रश्नोत्तर-काल

### अल्पसूचित प्रश्न सं0-9(श्री ललित कुमार यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना को सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया था बल्कि अनुश्रवण एजेंसी के रूप में नियुक्ति निगम के पत्रांक 81 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा की गयी थी । उक्त आदेश के आलोक में राज्य मे छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों के मुद्रण की गुणवत्ता, आकार, कागज की गुणवत्ता एवं राज्य के सभी प्रखंडों के छात्रों को उपलब्ध करायी जा रही पुस्तकों के संदर्भ में छात्रवार, वर्गवार, विद्यालयवार, प्रखंडवार पुस्तकों की वितरण की संख्या का साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था । अनुश्रवण के क्रम में पाये गये तथ्यों पर समय-समय पर mid-course correction से सुविधा हुई । इस कार्य हेतु उक्त एजेंसी को उक्त राशि उपलब्ध करायी गयी थी ।

ख- वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों को पुस्तक ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से प्रत्यक्ष लाभ, स्थानान्तरण योजना, डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाता में निर्धारित राशि भेजने का निर्णय लिया गया एवं इस वर्ष जो बच्चे कम-से-कम एक दिन भी विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, उनके खाता में डी0बी0टी0 के माध्यम से 528.27204/-( पांच सौ अट्ठाइस करोड़ सताइस लाख बीस हजार चार सौ रूपये) हस्तांतरित किया गया है ।

लोक सभा चुनाव, भीषण गर्मी में लम्बी अवधि तक विद्यालयों के बंद रहने और ग्रामीण बैंकों में विलय के बाद भी लगभग 1.47 करोड़ यानी 90 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के खाते में पुस्तकों के मद में, राशि हस्तांतरण कर

दिया गया है । संकुल स्तर पर पुस्तक क्रय मेला लगाकर बच्चों से पुस्तकें क्रय कराया जा रहा है । लगभग 70 प्रतिशत बच्चों के पास अध्ययन के लिए पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्तमान में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी साप्ताहिक अनुश्रवण किया जा रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपका बार-बार आ रहा है कि बेवसाईट पर क्यों नहीं जवाब देखते हैं, तो इनका जो जवाब आया है, वह 10.50 में बेवसाईट पर जवाब आया है । महोदय, आप बार-बार अनुरोध करते हैं कि माननीय सदस्य देखा करें पर इनका जवाब 10.50 में बेवसाईट में आया ।

अध्यक्ष : अभी तो मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपने क्यों नहीं देखा ?

श्री ललित कुमार यादव : चूंकि आप बार-बार अनुरोध करते हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं कि आपने पूछा ।

अध्यक्ष : अभी 10.50 बजे आया ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 70 परसेंट छात्र को ही पुस्तक मिली है, 30 परसेंट छात्र को पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और मेरा यह भी है कि आपने जो एजेंसी चयन किया उसपर 1 करोड़ 08 लाख का जो निष्फल व्यय हुआ, यह क्यों हुआ ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि यह निष्फल व्यय क्यों हुआ और 70 प्रतिशत छात्र को अभी तक पुस्तक क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना को सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया है, जो उनको जिम्मेवारी दी गयी, उन जिम्मेवारी का निर्वहन उन्होंने किया है और उक्त आदेश के आलोक में राज्य में छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले पुस्तकों के मुद्रण की गुणवता, आकार, कागज की गुणवत्ता एवं राज्य के सभी प्रखंडों के छात्रों को उपलब्ध करायी जा रही पुस्तकों के संदर्भ में छात्रवार, वर्गवार, विद्यालयवार, प्रखंडवार पुस्तकों के वितरण की संख्या का साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था और उनको जिम्मेवारी दी गयी थी, वह यह जिम्मेवारी दी गयी थी और इसका निर्वहन उन्होंने किया है । जहां तक पुस्तकों के वितरण का सवाल है, शुरू में पहले हमलोग पुस्तक की छपाई कर उसका वितरण करते थे लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी की आशंका हुई, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्र के खाते में पैसा देने की योजना बनायी और उस योजना के तहत छात्रों के खाते में पैसे जा रहे हैं । कुछ विलम्ब हुआ है तो उसका कारण मैंने बता दिया कि चुनाव का समय था, भीषण गर्मी के कारण स्कूल भी बंद हुआ तो इन कारणों से कुछ शिथिलता रही लेकिन अब

उसमें तेजी लाये जाने का निदेश दिया गया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द यह शत्-प्रतिशत हो जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि आप जो सलाहकार नियुक्त किये, उसके सलाह के अनुरूप क्यों नहीं कार्य हुए, इसके लिए कोई दोषी भी हैं और दोषी हैं तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मंत्री ने बड़ा स्पष्ट बता दिया, इसके पूर्व के वर्षों में छपाई करके भेजते थे तो आठ-आठ, नौ-नौ महीना लगता था, यह पहली बार है कि जब डी0बी0टी0 के माध्यम से लड़कों के 90 परसेंट छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 70 प्रतिशत लड़कों ने किताब खरीद ली है और अभी तो जुलाई महीना प्रारंभ हुआ है और इसके पहले जब हमलोग भी सरकार में हैं तो 10-12 वर्षों से फरवरी, मार्च, अप्रील, एक-एक साल बीत जाता था तो यह शिथिलता पहले की तुलना में बेहतर है और माननीय मंत्री ने कहा कि जो चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है, यह भी सरकारी संस्थान है, इसको केवल मुद्रण की गुणवत्ता, आकार, इन चीजों के बारे में देखने के लिए कहा गया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न सं-10 ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, प्रश्न को देखा जाय । मेन प्रश्न यह है कि बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना । अभी इन्टरवेन किये उपमुख्यमंत्री जी और उन्होंने भी माना कि 10-12 साल से ससमय पुस्तक बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, अब नयी व्यवस्था की गयी है कि बच्चों को पैसा ही भेजा जा रहा है । तो इन्होंने कहा कि चूंकि इस साल तो लोकसभा का चुनाव था, इस वजह से विलम्ब हुआ, आप पिछले साल का बता दीजिए कि आपने कब भेज दिया था पुस्तक या पैसा ? महोदय, सिर्फ इतना ही बता दें कि इन्होंने अबतक कितने छात्रों को पैसा भेजा और कुल कितना पैसा भेजा गया ?

अध्यक्ष : बता दिया गया कि 70 प्रतिशत को मिल गया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : कहां मिला है?

अध्यक्ष : मिला है, माननीय मंत्री जी ने बता दिया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : नहीं बोले हैं ।

अध्यक्ष : बोले हैं । दूसरा सिद्दिकी साहेब, जो प्रश्न के थ्रस्ट की बात आपने कही तो प्रश्न का मेन थ्रस्ट है कि चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट को जो भुगतान हुआ है, उसके औचित्य पर प्रश्न है । सरकार ने बताया है कि चन्द्रगुप्त इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट को जो कन्सलटेंसी या सलाहकार बनाया गया है, वह मुद्रण से संबंधित है, पेपर की

क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी जो कक्षावार उसका वितरण है, उसके संबंध में है । अब छोड़ दीजिए । सरकार ने बता दिया है । अल्पसूचित प्रश्न सं0-10 । अब छोड़ दीजिए ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-10(श्री मिथिलेश तिवारी)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आपने पढ़ा है ?

श्री मिथिलेश तिवारी : नहीं महोदय, आज हमलोगों ने बहुत प्रयास किया खोलने का, बारिश के चलते नहीं खुल पाया बेवसाईट ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए । देखिए मिथिलेश जी, आपसे एलर्ट ललित जी थे, जो इन्होंने समय देख लिया है कि विभाग ने 10.50 बजे क्वेशचन का अनसर अपलोड किया है । इस तरह से सभी माननीय सदस्य एलर्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से विभाग सब भी एलर्ट हो जायेगा ।

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह कि आय के आधार पर सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से 39 वर्ष की आयु वाली बी0पी0एल0 या गैर बी0पी0एल0 परिवार के विधवा, जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है तथा 40 वर्ष से अधिक आयु के गैर बी0पी0एल0 परिवार के विधवा को जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम है को पेंशन दिया जाता है ।

टर्न-2/राजेश/9.7.19

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री, क्रमशः खण्ड 2: वस्तुस्थिति यह है कि 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के बी0पी0एल0, विधवा, महिलाओं के लिए इंदिरा गॉधी अर्न्तराष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाता है, 80 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही उन्हें इंदिरा गॉधी वृद्वावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

खण्ड 3: कंडिका- 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

खण्ड 4: कंडिका- 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया खण्ड 1 के बारे में कि उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुतः यह है कि सरकार के जवाब से ऐसा लगता है कि यह आंशिक नहीं बल्कि पूर्णतः स्वीकारात्मक है, क्योंकि 40 वर्ष से उपर के आयु के जो विधवा महिलाएँ हैं और वे बी0पी0एल0 में नहीं हैं.....(व्यवधान)

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ।

श्री मिथिलेश तिवारी: वही पूछ रहे हैं महोदय । महोदय, 40 वर्ष से उपर के आयु के जो बी0पी0एल0 में नहीं हैं वैसे विधवा महिलाओं के लिए सरकार चाहे वह भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनके लिए कोई पेंशन योजना नहीं है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष: है और यह सरकार के उत्तर में है कि 40 वर्ष से उपर की आयु की विधवा के लिए ही पेंशन योजना है और यह सरकार के उत्तर में है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: नहीं महोदय । इसमें इन्होंने यह कहा कि जो आय के आधार पर होता है महोदय, आय प्रमाण पत्र 60 हजार का बनेगा तो होगा ।

अध्यक्ष: यह तो हर कैटेगिरी पर न लागू है, 60 हजार से कम जिनकी वार्षिक आय है,उन्हीं को इन योजनाओं के तहत पेंशन दिया जाता है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, इसमें दिक्कत यह है कि सरकार का जो आदेश है, संकल्प है, उसको ले करके विभिन्न प्रखंडों में बहुत ही परेशानी हो रही है । बी0डी0ओ0 का कहना है कि इसके लिए कोई स्पष्ट सरकार का दिशा निदेश नहीं है, 40 वर्ष से उपर के लिए कहीं यह प्रावधान नहीं है कि .....(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि क्षेत्रीय कार्यालयों में अगर इसमें कोई दुविधा या कोई उलझन है, तो इसको मुख्यालय से एक स्पष्ट परिपत्र जारी करा दें कि किस आयु वर्ग की विधवाओं को किस स्कीम के तहत पेंशन दिया जाना है और इसकी अनुमान्यता किनके लिए है,स्पष्ट निदेश जारी करा दें । माननीय सदस्य आप अपना सुझाव दे दें ।

श्री मिथिलेश तिवारी: जी । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जी से यही जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 40 वर्ष से उपर की आयु की जो महिलाएँ बी0पी0एल0 में नहीं आती हैं, उनके लिए कोई पेंशन का प्रावधान है और अगर है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: उत्तर में मंत्री जी ने पढ़ा है । आपने सुना नहीं, गैर बी0पी0एल0 किसको कहते हैं जो बी0पी0एल0 में नहीं हैं, उन्हीं को न ।

श्री मिथिलेश तिवारी: तो महोदय, माननीय मंत्री जी इसी को सदन में स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने लिखित जवाब में दिया है, आप पढ़ लीजियेगा उसको ।

श्री मिथिलेश तिवारी: ठीक है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-11 (श्री अनिल सिंह)</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, खण्ड !: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । कंबाईन्ड हॉरवेस्टर से कटाई के उपरांत फसल अवशेष में आग लगाने से संबंधित औरंगाबाद, गया, नवादा जिले में घटनाएँ संज्ञान में आयी हैं । इस संबंध में किसाानों को फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान एवं पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ने के संबंध

में जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद, नवादा एवं गया आदि एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार को जागरुक करने हेतु निदेश दिया गया है । प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर एवं किसान चौपाल में किसानों को फरारी नहीं जलाने के संबंध में तथा इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गयी है । फसल अवशेषों को खेतों में जलाने के बदले उसका प्रबंधन करने एवं खाद के रुप में उपयोग करने के उद्धेश्य से राज्य योजनान्तर्गत हैपी शिडर, स्ट्रॉ रिपर, स्ट्रॉ वेलर, रॉटरी मलचर आदि मशीनों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है ।

खण्ड 3: इस विषय पर राज्यस्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अन्तर विभाग कार्य समूह का गठन किया गया है । उक्त कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की गयी है, इसके उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है । कृषि विभाग द्वारा रेडियो, दूरदर्शन, ई0टी0भी0 इत्यादि पर जिंगल के माध्यम से किसानों को जागरुक किया गया है । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को कृषि अवशेषों को नहीं जलाने हेतु जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया गया है ।

श्री अनिल सिंह: महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इसका जवाब दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देंगे लेकिन जन चेतना और जैसे हो, इसको विस्तार से इसपर बल दिया जाना चाहिए, बस मेरा इतना ही सुझाव होगा, इतना ही हमारा आग्रह होगा ।

अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता सदस्य संतुष्ट हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ । अगर आप इजाजत दें, तो पूछेंगे ।

अध्यक्ष: आप क्यों इतने उतावले हो रहे हैं, मैंने तो यह नहीं कहा कि आप नहीं पूछिये । आप पूछिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसपर सबसिडी दे रहे हैं लेकिन महोदय, पंजाब वगैरह में इन खूंटी को उखाड़ने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, अगर दूसरे राज्यों में अनुदान मिलता है, तो उन किसानों को जो मशीन नहीं खरीद सकते हैं, वैसे किसानों को या जेनरल किसानों को उस पंजाब की तरह जो खूंटी खेतों में आता है, उस तरह से अनुदान देकर उनको जागृत करने का विचार रखती है ?

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा था कि.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: उत्तर में ही इन्होंने जवाब दिया है ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा था कि हमलोग 80 प्रतिशत का अनुदान दे रहे हैं । माननीय सदस्य श्री अवधेश बाबू, आप जरा सुन लीजिये, यह जो हैपी शिडर, स्ट्रॉ रिपर, स्ट्रॉ विलर, रॉटरी मलचर, ये मशीनें जो पंजाब में भी इस्तेमाल की जा रही है, तो राज्य सरकार ने इन मशीनों को प्रोत्साहित कर 80 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं । इसकी कीमत है डेढ़ से दो लाख रुपया और किसानों को केवल 20 प्रतिशत ही देना पड़ रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल किया था तीन ही जिलों का, लेकिन यह मामला केवल तीन ही जिलों का नहीं है, अभी चुनाव के दौरान जब हमलोग हेलिकॉप्टर से घूम रहे थे, तो पूरे बिहार के अंदर चाहे वह उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार हो, हर जगह दिखाई पड़ रहा था कि लोग जला रहे हैं और तीन वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर फरारी को जलाया जा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भी सदस्यों से आग्रह करुंगा कि आपलोग भी जागृति पैदा करने में मदद कीजिये और राज्य सरकार यह भी विचार कर रही है कि हमलोग इसके लिए मुखिया लोगों को जिम्मेवार ठहराए कि अगर आपके पंचायत में कोई जलाता है, तो इसके लिए किसी की जिम्मेवारी भी निर्धारित की जाय । तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह जो यंत्र है, इनको लोग खरीदे अैर इन यंत्रों के माध्यम से फरारी जलाने से एक ओर तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, वह खत्म हो रही है, किसी ने यह प्रचार कर दिया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जायगी, यह कार्बन है और अगर यह कार्बन मिल जायेगा मिट्टी में, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जायगी और वायु प्रदूषित जो हो रहा है, वह एक अलग बात है, तो इसीलिए इसका विकल्प यही है कि इन मशीनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाय ।

अध्यक्ष: लेकिन माननीय उप-मुख्यमंत्री जी, अगर आप इसके लिए मुखिया को जिम्मेवार ठहराईयेगा, तो पंचायत में जितना मुखिया विरोधी लोग होंगे, सब खेत में ही जलाना शुरु कर देंगे ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: यह मामला अभी विचाराधीन है,कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । तारांकित प्रश्न सं0-512 श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, अल्पसूचित प्रश्न के लिए कितना समय निर्धारित है ।

अध्यक्ष: कोई समय निर्धारित नहीं है,अगर एक ही प्रश्न है और 5 मिनट में खत्म हो जाता है ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, अल्पसूचित प्रश्न के लिए कोई निर्धारित समय है क्या ?

अध्यक्ष: अधिकतम 20 मिनट है, न्यूनतम 5 मिनट पर भी हम तारांकित पर जाते रहे हैं और ललित जी अगर अल्पसूचित प्रश्न नहीं है, तो 11 बजे से ही तारांकित प्रश्न हो जाता है । वह अधिकतम समय है । इसलिए अब तारांकित प्रश्न को चलने दीजिये ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-512 (श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी कैमूर से विभागीय पत्रांक-524 दिनांक 15.5.2017, पत्रांक-357 दिनांक 8.12.17, प्रथम स्मार 78 दिनांक 18.1.18 द्वितीय स्मार 583 दिनांक 11.4.18 और पत्रांक-1618 दिनांक 22.11.18, पत्रांक-182 दिनांक 7.2.19, पत्रांक-474 दिनांक 7.5.19 एवं पत्रांक-671 दिनांक 21. 6.19 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरुप निविदा सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/9-7-19

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय: महोदय, वहां भूमि उपलब्ध है । माननीय मंत्री जी बतायें कि कबतक उसका निर्माण होगा ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अगर भूमि उपलब्ध है तो हम तो इतना पत्रांक दिये हैं, जितना जल्दी माननीय सदस्या भूमि उपलब्ध करा देंगी , जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन आ जायेगा, उतना ही त्वरित गति से स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई करने की हम बात कह ही रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 513(श्री विद्या सागर सिंह निषाद)

श्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, (1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1-7-19 द्वारा निर्धारित छठे चरण के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के नवसृजित पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी । पठन पाठन का कार्य सम्पादन करने हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्रश्नगत विद्यालयों में एक-एक स्नातक योग्यताधारी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है ।

श्री विद्या सागर सिंह निषाद: महोदय, उच्च विद्यालय, लरूआ में 60 और उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर में 180 विद्यार्थी है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 1-1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, यह 180 विद्यार्थी में एक शिक्षक क्या करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूॅ कि

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप सत्यदेव जी कहां खड़े हो गये ?

श्री विद्या सागर सिंह निषादः महोदय, यह सिर्फ दो विद्यालय की बात नहीं है..

(व्यवधान)

अध्यक्षः प्रश्नकर्त्ता खड़े हैं भाई ।

श्री विद्या सागर सिंह निषादः महोदय, सिर्फ दो विद्यालय की बात नहीं है, खासकर के 180 विद्यार्थी जो रघुनाथपुर में है वहां पर एक शिक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं माननीय मंत्री महोदय, ऐसे और विद्यालय भी हमारे विधान-सभा क्षेत्र में हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 640,है, 500 है लेकिन वहां पर सिर्फ दो शिक्षक हैं । हम माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि विद्यार्थी और शिक्षकों के अनुपात में शिक्षक का पदस्थापन किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से अवगत हूँ और वे जो कहना चाहते हैं उसको मैं पूरी तरह से समझता हूँ । वस्तुस्थिति यह है कि अभी छठे चरण के नियोजन का कार्यक्रम आरम्भ हो रहा है और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी तो है ही लेकिन जिस तरह से हमलोग का नियोजन का कार्यक्रम युद्धस्तर पर चलने वाला है और उसका शिड्यूल भी सब जारी हो गया है तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही शिक्षकों की कमी को दूर कर दी जायेगी और माननीय सदस्य की जो शिकायत है वह भी स्वाभाविक रूप से खत्म हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर सिंह निषादः महोदय, सरकार हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है और एक तरफ से घोषणा हो रही है..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ?

श्री विद्या सागर सिंह निषादः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितना शीघ्र, ये जो नियोजन की बात करते हैं, उसके पहले क्या विद्यार्थी बिना शिक्षक के ही स्कूल में पढ़ेंगे।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, मैंने पहले ही कहा आप सभी सम्मानित विधायकगण इस बात से अवगत होंगे कि उसके नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है और शिड्यूल भी सब तैयार हो चुका है, प्रकाशित भी हो चुका है । हमलोग खुद चिन्तित है, हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की बहाली कर के और अपने सारे विद्यालयों में जो उनका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से शिक्षकों का पदस्थापन कर दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अमित जी, सीधे आदमी उठकर बोलने नहीं लगता है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दकीः महोदय, आखिर प्रश्न स्पेसिफिक है और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वहां एक भी शिक्षक नहीं है और यह स्थिति पूरे बिहार की है। महोदय, जब एक भी शिक्षक नहीं हैं तो स्कूल को बंद क्यों नहीं कर दे रहे हैं जो वहां मध्याह्न भोजन, साईकिल और फलां फलां दे रहे हैं तो महोदय ये सिर्फ यह बतला दें कि इस स्पेसिफिक स्कूल में माननीय सदस्य ने जिसका उल्लेख किया है, उसमें कितने दिनों से शिक्षक नहीं है और जब उतने दिनों से टीचर नहीं है, तब जो अन्य व्यवस्थाएं की गयी है, वहां तो ताला बंद कर देना चाहिए, जब बहाल होगा, जब शिक्षक बहाल हो जायेगा तब फिर लड़का पढ़ेगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह बात सही है, चूंकि हमलोग बहुत भारी संख्या में विद्यालयों को उत्क्रमित कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शिक्षकों की जरूरत हमें पड़ेगी और उसी को ध्यान में रखकर हमलोग भारी संख्या नियोजन करने जा रहे है ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः सदानन्द बाबू का पूरक सुन लीजये न ।

(व्यवधान)

आपलोग बैठ जाईए न, सदानंद बाबू का पूरक सुन लीजिये ।

श्री सदानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अवगत हैं, एक तरफ सरकार प्रत्येक पंचायत में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर रही है और दूसरी ओर शिक्षकों की कमी है और एक-एक विद्यालय में तीन क्लासेस होते हैं, दो-तीन क्लासेस होते हैं और उसमें एक शिक्षक ग्रेजुएट यदि गया है तो वे सभी क्लास को कैसे संचालन कर पायेंगे । यह ठीक है कि लम्बे अर्से से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है तो इसके लिए एक निर्धारित समय ये देंगे इस समस्या से निजात दिलाने के लिए, बिहार में पूर्ण कोशिश के साथ इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेंगे ।

अध्यक्षः भोला जी, आप भी पूछ लीजिये एक ही बार जवाब हो जायेगा ।

श्री भोला यादवः महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि अभी जो इनके पास शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में कितने शिक्षक शहर में प्रतिनियुक्ति हैं । अभी स्थिति यह है कि शहर के एक-एक विद्यालय में स्वीकृत पोस्ट है 10 और वहां 40-40 शिक्षक काम कर रहा है, इसके चलते कि वह शहर में रह सके । क्या मंत्री जी वैसे शिक्षकों को देहात के स्कूलों में भेजने का विचार रखते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, पूरे सदन की चिंता सिर्फ शिक्षकों की कमी या उससे जो पढ़ाई में बाधा हो रही है उसकी है । मंत्री जी अपने उत्तर में बता रहे थे कि शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं । केवल उसका टाईमलाईन और आप कैसे शुरू किये हैं, कबतक खत्म होने की आशा है या आपकी क्या प्लानिंग है, योजना है, उसको विस्तार से बता दीजिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुनी नहीं गयी, माननीय सदस्यों ने बीच में खड़ा होकर के बोलना शुरू कर दिया ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अरे, आप बोलने नहीं दीजियेगा तो कैसे बोलेंगे ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैने शुरू में स्वीकार किया कि शिक्षकों की कमी है चूंकि विद्यालयों को भारी संख्या में हम उत्क्रमित करते जा रहे हैं और उस अनुपात में शिक्षकों की बहाली, बीच में जो बहुत सारी व्यवधान आया, मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के बीच झुलता रहा, इन कारणों से नियोजन का कार्य बाधित रहा है। इसके बाद हमलोगों ने शिड्यूल जारी कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हमने शिड्यूल जारी कर दिया और बहुत जल्द हमलोग बहाली की प्रक्रिया पूरी कर के और जहां दिक्कत है लेकिन एक बात और जान लीजिये, माननीय सदस्य, आपलोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से बांका जिला में उन्नयन बांका का कार्यक्रम चलाया गया है इसके अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में..

अध्यक्षः आप कहां जा रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः योजना की जानकारी तो ले लीजिये ।

अध्यक्षः आप केवल शिक्षकों की नियुक्ति का टाईम लाईन, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिये तो कबतक पूरा हो जाने की संभावना है, यह बतला दीजिये न ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः इसमें माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप हमलोग खुद चिन्तित हैं और हम ये कह रहे हैं उसका शिड्यूल तैयार हो गया है ,बहुत जल्द से जल्द आप जो अपेक्षा करते हैं, बहुत शीघ्र हम उसका...

(व्यवधान)

टर्न-4/मधुप/09.7.2019

अध्यक्ष : टाईम-लाईन बता दीजिये न !

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं....

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप यह बताते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि 2019/11 तक इस नियोजन की कार्रवाई पूरी हो जायेगी ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है.....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है, हालाँकि सरकार तैयार नहीं होगी सदन की कमिटी बनाने के लिये, मगर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपके जिले का भी है और आप भी अपने विधान सभा क्षेत्र की स्थिति जानते होंगे, कम से कम आप अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और मंत्री को बुलाकर इसका निदान निकालिये ।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं बात कर लूँगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-514 : श्रीमती रेखा देवी । शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है, सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष : अब तो सिद्दिकी साहब ने कहा है, सरकार ने कहा है नवम्बर तक, यानी तीन महीने में हम पूरा करेंगे, सिद्दिकी साहब ने कहा है हमको भी देख लेने के लिये । आपलोग जो-जो सुझाव देना चाहते हैं, आप दे दीजियेगा, मैं शिक्षा विभाग से उसके बारे में बात कर लूँगा ।

श्रीमती रेखा देवी । (व्यवधान) आप लिखकर दे दीजियेगा न !

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

रेखा जी, आप पूछिये ।

(व्यवधान)

आप ही के नेता की बात माने हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब और इन्होंने जो प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के सामने रखा, उसपर अध्यक्ष महोदय ने नियमन दिया कि हम इसको देखेंगे, माननीय मंत्री जी को भी बुलायेंगे और उस विभाग के अधिकारियों को भी बुलायेंगे । आर0जे0डी0 के लीडरशिप का क्या हो

रहा है ? अपने एक वरीय नेता की बात को सुनने के लिए ये तैयार नहीं हैं, लगता है कि आर0जे0डी0 का लीडरशिप ध्वस्त हो रहा है, वरीय नेता का भी ये सदन में अपमान कर रहे हैं ।

इस तरह से सदन नहीं चलता है, सदन को चलाने के लिए नियमावली है और नियमावली के हिसाब से जो माननीय स्पीकर साहब ने निर्देश दिया है, सभी माननीय सदस्यों को अनुपालन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए । यही हालत रहा तो लोक सभा चुनाव में जो दुर्गति हुआ है, विधान सभा चुनाव में भी दुर्गति होगा । अपने वरीय लीडर की भी बात आप नहीं सुनना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रश्न के जवाब में, हालाँकि प्रश्न एक विद्यालय से संबंधित था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी भावना सही है, क्योंकि इससे पूरे राज्य के विद्यालय जो भी जहाँ पर हैं, उत्क्रमित या उच्च विद्यालय, शिक्षकों की कमी से प्रभावित हैं और सबकी चिन्ता वाजिब है कि शिक्षकों की नियुक्ति..... (व्यवधान)

आप बीच में बोलियेगा राजेन्द्र जी ? आप ही बोलिये, हम चुप हो जाते हैं। आप बोलिये, आप बोलते रहिये । इस तरीके से कहीं सदन चलता है ? अगर आपको मन है कि इसी प्रश्न पर हम स्थगित कर दें तो कर देते हैं ! आपलोगों की इच्छा यही है । इस तरीके से नहीं कर सकते हैं न । क्या इस प्रश्न के आगे कोई प्रश्न नहीं है ? क्यों नहीं एक बात का निदान होने देते हैं ?

हमने कहा कि आपकी भावना जायज है, जो शिक्षकों की कमी है, उससे पूरे प्रदेश के लोग भी चिन्तित हैं । मंत्री महोदय ने बताया है कि तीन - साढ़े तीन महीने में हम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, उसके बाद भी आप ही के वरिष्ठ नेता सिद्दिकी जी ने कहा कि आप भी देख लीजिये, वैसे मेरे देखने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी आपकी भावना को देखते हुये हमने यह भी स्वीकार किया और हमने कहा कि इस बीच में आपकी जो भी आशंकाएँ हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, वह हमको भी लिखकर दे सकते हैं, हम विभाग के साथ विमर्श कर लेंगे । मंत्री जी ने एक टाईम-लाईन बता दिया है, उसके आगे यह भी कह दिया है । अब क्या चाहते हैं? बताइये । एक आदमी बोलिये न, इधर आकर बोलिये न ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यगण वापस अपनी-अपनी जगह पर चले गये)

अब माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी के प्रश्न का उत्तर दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-514 (श्रीमती रेखा देवी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-1250 दिनांक- 08.07.2019 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर चहारदिवारी के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना को दिया गया है ।

प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, कबतक कराया जायेगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि प्राक्कलन आ जायेगा, उसके बाद हमलोग उसपर कार्रवाई करेंगे और जितना जल्द संभव होगा, चहारदिवारी के निर्माण का कार्य शुरू हो जायेगा ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, रामहरि उच्च विद्यालय में 5 एकड़ जमीन है, घेराबंदी नहीं होने के कारण सारा जमीन अतिक्रमण हो गया है । इसलिये मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि समय-सीमा बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि प्राक्कलन प्राप्त होते ही चहारदिवारी घेरवाने के लिए जो समुचित कार्रवाई होगी, वह करेंगे । जब यह क्वेश्चन आया तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि आपने निदेश दे दिया क्या कि प्राक्कलन बनाकर इतने दिनों में सुपुर्द किया जाय ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, उसका स्थल निरीक्षण भी करवाया गया और उसके बाद प्राक्कलन के लिए निदेश दिया गया और हम समझते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका निर्माण भी हो जायेगा ।

टर्न-5/शंभु/09.07.19

तारांकित प्रश्न सं0-515(श्री ललन पासवान)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत प्रसंग के विषय में वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0-505, दिनांक-24.02.2019 द्वारा रोहतास जिला के नौहट्टा में स्थापित अनुमंडल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा डेहरी रोहतास के शैक्षणिक सत्र 2019-20 से संचालन की अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा इस महाविद्यालय के साथ-साथ कुल 9 सरकारी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2019-20 से संचालित करने हेतु प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध भी किया है ।

अध्यक्ष : अरे पूछिए ललन जी, आप इधर पूछिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है । मैं यह जानना चाहता हूँ....व्यवधान...फिर आपलोग भी नहीं पूछ पाइयेगा बता देता हूँ ।

अध्यक्ष : ललन जी, अब आपकी जगह बदल गयी है आप इधर देखकर पूछिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ कि डिग्री महाविद्यालय बनकर तैयार है और न अभी तक बेंच है, न शिक्षक है, न वहां कोई इन्फास्ट्रक्चर है तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2018-19 में निदेशित कर दिया गया है तो कब चालू किया जायेगा, इसकी समय सीमा तो बता दें, कब उसको प्रारंभ करेंगे, कब उसकी समय सीमा तो बता दें माननीय मंत्री जी ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि राजभवन से अनुरोध किया गया है और शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई राजभवन के स्तर से होता है । इसलिए हमलोगों ने उनको पत्र लिखा है और पुनः हमलोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द हो वहां प्रतिनियुक्ति हो जाय ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मेरे यहां नौहट्टा में लगातार मैं सदन में कहता रहा मेरे यहां 11 पंचायत है और 11 पंचायत में मेरे यहां 2 उच्च विद्यालय हैं । नौहट्टा, रोहतास दोनों मिलाकर कहीं पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय नहीं है । सरकार के सहयोग से बना भी लेकिन उत्क्रमित वाले मामले में नौहट्टा रोहतास....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आप शुरू नहीं कर रहे हैं तब तक हमारे यहां जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं उसको टेन प्लस टू तो करा दीजिए जब तक तीन महीना शुरू नहीं कीजिएगा । बाकी बचे हुए शेष उच्च विद्यालय हैं उनको टेन प्लस टू तो करा दीजिए ताकि मेरा शैक्षणिक व्यवस्था आदिवासी और वनवासियों के लिए सबसे बड़ा संकट है, डेहरी 70-80 कि0मी0 आना पड़ता है ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको देख लेंगे, लेकिन यह आपके मूल प्रश्न से अलग है । उसको देखेंगे हम, लेकिन ये डिग्री कॉलेज का मामला आपके अलावा अन्य महाविद्यालयों की भी है ।

तारांकित प्रश्न सं0-516(श्री राजू तिवारी)

(मा0स0श्री सुधांशु शेखर के द्वारा पूछा गया)

अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी का समय-सीमा पीछा नहीं छोड़ रहा है ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0-1021, दिनांक-05.07.2013 के द्वारा

माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए किये जाने का नीतिगत निर्णय संसूचित है ।

2-स्वीकारात्मक है ।

3-राज्य सरकार के उक्त संकल्प को सम्यक रूप से लागू करने हेतु माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण के फलाफल के अनुरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग-9 का संचालन प्रत्येक पंचायत में अप्रील 2020 में प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-517(डा0 अब्दुल गफूर)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ससमय राशि का उपयोग नहीं किये जाने एवं विभागीय निदेश के आलोक में ए0सी0/डी0सी0 विपत्र के समायोजन के क्रम में राशि वापस कर दी गयी । विभागीय पत्रांक-370, दिनांक-08.02.2019 द्वारा प्रश्नाधीन विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण कर प्राक्कलन भेजने का अनुरोध बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 पटना से किया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण करया जायेगा ।

डा0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आंशिक रूप से स्वीकारा है जबकि वहां दो कमरे का भवन है वह भी टूटा हुआ है । पैसा जो वापस किया, किन कारणों से किया, 10 साल पहले पैसा वापस हुआ और अब तक मंत्री जी प्राक्कलन ही बनवा रहे हैं । आज भी कम से कम यह कह दें कि कब तक प्राक्कलन आयेगा विभाग । ये पदाधिकारी को सख्त निदेश दें ताकि समय पर बने और कार्रवाई क्या कर रहे हैं जो पैसा वापस हो गया और वह पैसा कहां चला गया ?

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि ए0सी0/डी0सी0 बिल के कारण बहुत सारे विद्यालयों की राशि वापस हो गयी और अब उनका नियमित रूप से पुनः राशि भेजने की कार्रवाई की जा रही है । प्रश्नगत जिस विद्यालय की बात इन्होंने की है वहां हमलोगों ने इस्टीमेट के लिए कहा है और इस्टीमेट आते ही बहुत जल्द वहां काम शुरू हो जायेगा ।

डा0 अब्दुल गफूर : मेरा तो पूरक प्रश्न वही था कि कब तक प्राक्कलन आयेगा, कब सेंग्शन होगा? कम से कम इतना तो हो जाय मंत्री जी कह दें, समय सीमा बता दें ।

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, इसी वित्तीय वर्ष में ।

डा0 अब्दुल गफूर : ये क्या हुआ, 31 मार्च तक यह वित्तीय वर्ष.....

अध्यक्ष : अब उनको धन्यवाद तो दीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसी से जुड़ा प्रश्न है ।

अध्यक्ष : जुड़ा हुआ तो कहां से देंगे ? वे तो एक विद्यालय का बता रहे हैं, जुड़ा हुआ का जवाब थोड़े देंगे वे ।

श्री कुमार सर्वजीत : एक मिनट ।

अध्यक्ष : बोलिये, इतना देर में तो आप बोल चुके होते ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, बिहार में.....

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हम बना देंगे, यह क्यों नहीं सुन रहे हैं । उससे आगे बढ़िये न ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इन्होंने कहा कि.....

तारांकित प्रश्न सं0-518(श्री राज कुमार राय)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विभागीय पत्रांक-1241, दिनांक-06.07.2019 द्वारा प्रश्नाधीन विद्यालय के आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण कर प्राक्कलन भेजने का निदेश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 को किया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत उपलब्ध संसाधन को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय में आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-519(श्री विनय बिहारी)

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत रत्न बिसमिल्लाह खां के नाम पर मुजप्फरपुर में संगीत विश्वविद्यालय खोलने हेतु कम से कम 5 एकड़ भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, मुजप्फरपुर से किया गया । जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजप्फरपुर के पत्रांक-3825, दिनांक-27.09.18 द्वारा इस हेतु मात्र 2.80 एकड़ भूमि कुढ़नी अंचल अन्तर्गत उपलब्ध होने की सूचना के साथ प्रस्ताव पर सहमति की अपेक्षा विभाग से की गयी । महोदय, मुजप्फरपुर में वांछित 5 एकड़ भूमि की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में बिस्मिल्लाह खां संगीत विश्वविद्यालय किसी अन्य जिला में भूमि की उपलब्धता के आधार पर करने की कार्रवाई भी की जा सकती है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका एवं भोजपुरी पांच भाषाओं में हमारे यहां गीत बनते हैं और गायक गाते हैं और अगर किसी कारण से मुजप्फरपुर में जमीन उपलब्ध नहीं है तो मेरी जानकारी जहां तक है कि मोतिहारी में पर्याप्त जमीन है और माननीय मंत्री जी का वह क्षेत्र है- बनना चाहिए । रौशनी कहीं से निकले दीया जलना चाहिए, हमें तो

विश्वविद्यालय चाहिए । हम आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं चूंकि कार्रवाई हुई है और मोतिहारी जिला को पुनः भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपकी बात तो कह ही दिये । ठीक है ।

टर्न-6/ज्योति/09-07-2019

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार मोतिहारी में संगीत विश्वविद्यालय बनायें ।

अध्यक्ष : आपकी बात तो कह ही दिए हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 520 ( श्री राहुल तिवारी )

श्री कृष्णनंदन वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य लिंटर लेवेल तक किए जाने के उपरांत संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिए जाने की स्थिति में बी.एस.आई.डी.सी. द्वारा एकरारनामा रद्द कर दिया गया है । अब शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु बी.एस.आई.डी.सी. द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रित कर दूसरे नये संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया गया है । इस माह से शेष कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश संवेदक को दिया गया है ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहला टेंडर जो इस प्लस टू विद्यालय का किस वर्ष में हुआ और अभी जो निविदा निकला है वह कब निकला है, कब एकरारनामा हुआ, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ।

श्री कृष्णनंदन वर्मा, मंत्री : महोदय, कार्य की गंभीरता को देखते हुए हमलोगों ने संवेदक को कार्य एलौट कर दिया है और उसको इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि चूंकि यह लिंटर लेवेल तक बना हुआ है इसलिए इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें, मैं समझता हूँ कि अगर माननीय सदस्य थोड़ा सक्रिय रहेंगे तो बहुत जल्द ही काम पूरा हो जायेगा, थोड़ा आप सक्रिय रहियेगा, आईयेगा मिलिये जुलियेगा तो काम हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य तो आयेंगे मिलेंगे आपसे लेकिन कोशिश यह भी रहे कि बिना मिले भी हो जाय ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का यह मकसद था कि 2011 में इस विद्यालय का टेंडर हुआ आज 2019 में हमलोग खड़े हैं । सात आठ साल में अभी तक इस बिल्डिंग का निविदा निरस्त होना, एक दिन का काम था, अगर कोई भी जो टेंडरर आपके यहाँ काम नहीं कर रहा था, इतने वर्षों में आप क्या कर रहे थे निरस्त करके रिटेंडर कराना था लेकिन 9 साल लग गया और 9 साल में अभी तक काम नहीं लगा यह दुर्भाग्य की बात है । जिस आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को

बनाया गया था, काम को तुरत चालू करने के लिए 9 साल से अभी तक बिल्डिंग का एक टेंडर भी निरस्त नहीं करके और फ्रेश टेंडर अभी तक नहीं कर पाए हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि 9 साल से लंबित है और आपने कहा है कि बचे हुए काम का टेंडर करके, एग्रीमेंट कर दिया गया है वह इस बार कम से कम समय सीमा के अंदर पूरा हो जाय, उसकी ताकीद रखिये।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : ठीक है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा एक मामला है । मैं एक विद्यालय के लिए माननीय मंत्री जी से मिला था ।

अध्यक्ष : सरोज जी, आपके मिलने से कोई मतलब नहीं है । सरोज जी, माननीय मंत्री जी ने राहुल जी को कहा था मिलने के लिए, आप क्यों मिल लिए ?

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं शुरु हुआ है 10 साल से वह पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजियेगा, आपका काम बिना मिले होगा ।

श्री कृष्णनंद प्रसाद वर्मा, मंत्री : आपकी अगर कोई कठिनाई है तो आप उसको लिखकर हमको दे दीजियेगा ।

अध्यक्ष : फिर आप उनका जवाब देने लगे, आपको अरुण कुमार जी का जवाब देना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 521 (श्री अरुण कुमार )

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनॉक 10-05-2019 के आदेश के तहत विभागीय आदेश ज्ञापॉक 2253 दिनॉक 26-09-2017 को निरस्त किया गया है, उक्त न्याय निर्णय के अनुपालनार्थ संगत नियोजन नियमावली 2006 के नियम-8 के अनुसार शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण किया जाना है । न्याय निर्णय के आलोक में शिक्षकों की आपसी वरीयता के निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । उक्त न्याय निर्णय में सेवा शर्त के निर्धारण पर कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री अरुण कुमार : महोदय, उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि नियुक्ति की वरीयता के अनुसार उनको सब लाभ मिलना चाहिए लेकिन अभी तक न नियमावली सरकार ने बनायी है और न कार्रवाई की है, कबतक नियमावली बनाकर सरकार उन टीचर्स को लाभ देगी । यही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री जी बतावें कि कब उनको, टीचर को लाभ देंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि यह जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन की कार्रवाई उसके आलोक में की जायेगी लेकिन न्याय निर्णय के आलोक में शिक्षकों के आपसी वरीयता के निर्धारण की कार्रवाई

प्रक्रियाधीन है और उक्त न्याय निर्णय में सेवा शर्त के निर्धारण पर कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 522(सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारातमक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी, कोढ़ा के न्यायालय में अतिक्रमण विविध वाद संख्या 13/16 दायर किया गया है । अंचलाधिकारी, कोढ़ा के न्यायालय में विविध विवाद संख्या 13/16 के निष्पादनोपरांत चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सही बोल रहे हैं लेकिन यह काफी दिनों से यह मामला चल रहा है । अगर मत्री महोदय जी चाहेंगे तो जल्द बन जायेगा, क्योंकि धीरे धीरे चारों तरफ से, वहॉ घर बना हुआ है और कई घर ऐसे है जो जमीन को दाबते जा रहे हैं, जिसके कारण वहॉ का जो मैदान है, उसमें बालिकाएं पढ़ती है, वह धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है अगर माननीय मंत्री जी समय सीमा के अंदर उसका निराकरण कर दें और घेराबंदी आपके माध्यम से जल्द से जल्द हो जाय तो अच्छा होगा क्योकि वहॉ लड़कियॉ पढ़ती हैं और परेशानी हो रही है ।

अध्यक्ष : वही बात आ गयी मंत्री जी समय सीमा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : आज तो समय सीमा मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है ।

अध्यक्ष : समय सीमा का वेताल हमेशा डाल पर पहुंच जाता है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या ने जिन सवालों को उठाया है यह कोई उनका अकेले का सवाल नहीं है । ऐसी स्थिति बहुत जगहों पर होगी । माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे चूँकि स्थानीय स्तर पर कुछ दबंग किस्म के लोग विद्यालय की जमीन का अतिक्रमण कर लेते हैं फिर उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होता है । अंचलाधिकारी के यहॉ वाद है और हम प्रयास करेंगे कि वह विवाद का हल जल्दी आ जाय ताकि निर्माण का काम शुरु हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विद्यालय की जमीन चाहे कितना भी दबंग या कोई भी हो अगर अतिक्रमण करता है तो उसको सख्ती से निपटना चाहिए । विद्यालय की जमीन तो पूरी मुस्तैदी से खाली करायी जानी चाहिए ।

श्री सदानंद सिंह : इन्होंने जो अंचलाधिकारी को निर्देश दिए हैं, सीधे जिला पदाधिकारी को निर्देशित करके, इस कार्य को कार्यान्वित कराईये तो यह अच्छी बात होगी । अंचलाधिकारी को कहने से नहीं होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 523 (श्रीमती एज्या यादव)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहउद्दीनगर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरसाहा में कुल 9 कमरे हैं जिसमें 7 कमरे पक्के हैं तथा दो कमरे जर्जर हैं । 7 कमरे में पठन पाठन कार्य संचालित किया जाता है । विद्यालय में 4 शिक्षक के अनुपात में वर्ग कक्ष की संख्या पर्याप्त है ।

टर्न-07/09.7.2019/बिपिन

श्रीमती एज्या यादव : सर, यह इन्फॉर्मेशन सही नहीं है । पूरा बिल्डिंग ही जर्जर है और अभी तो स्वास्थ्य के इशु पर बच्चे मर रहे हैं । अगर गिर गई तो बच्चे वहां भी मर सकते हैं, इसलिए पूरा बिल्डिंग ही जर्जर स्थिति में है सर ।

अध्यक्ष : आप क्या चाहती हैं ?

श्रीमती एज्या यादव: जब बिल्डिंग जर्जर है तो सरकार द्वारा उसे ठीक करवाया जाए क्योंकि इसमें काफी राशि लगेगी ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: सात कमरे महोदय, उसका ठीक-ठाक है और वहां क्लास चल रहा है । दो कमरे के बारे में जानकारी है कि वह जर्जर है तो हम ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सदस्या चाह रही हैं, कोई बड़े अधिकारी से जांच करा दीजिए कि क्या स्थिति है, फिर उसको कर दीजिएगा ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: ठीक है, मैं इसकी जांच करा दूंगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 524 (श्री महबूब आलम)

श्री महबूब आलम : पूछता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी, आप मंत्री रहे हैं । अब दलसिंहसराय के विद्यालय का जवाब मंत्रीजी अभी कैसे देंगे ?

श्री आलोक कुमार मेहता: माननीय मंत्री जी ने जवाब भेजा है लेकिन उस विद्यालय का निर्माण 1918 में हुआ था और ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब आलम जी, आपका कोई पूरक है क्या ?

श्री महबूब आलम : पूरक है महोदय । माननीय मंत्री ने अस्वीकारात्मक माना है लेकिन महोदय.

अध्यक्ष : महोदय, उसी उत्तर में लिखा हुआ है कि अंक पत्रक यानी मार्कशीट को सत्यापन के लिए भेजा गया है ।

(व्यवधान)

अवधेश बाबू, प्रश्नकर्त्ता पूछ रहे हैं न !

श्री अवधेश कुमार सिंह: बगल में बैठे हुए हैं ..

अध्यक्ष : बगल वाले को कोई विशेष अधिकार होता है क्या ?

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि 493 मार्क्स प्रदर्शित किया है । असल में उसका मार्क्स है 425 और इसकी जांच के लिए उन्होंने भेजा है जो बोलते हैं कि जांच रिपोर्ट अप्राप्त है । तो जब जांच रिपोर्ट अप्राप्त है महोदय तो इन्होंने उस सेविका को ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा और जांच कब तक होगी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उस आलोक में किसी वरीय अधिकारी को एक समय सीमा के अंदर उस अंक पत्रक की जांच कराने का निदेश दे दीजिए ।

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ । कार्यस्थगन प्रस्ताव ।

## कार्यस्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 09.07.2019 के लिए माननीय सदस्यगण श्री महबूब आलम एवं श्री सत्यदेव राम से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

(व्यवधान)

आज दिनांक 09.07.2019 को सदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों [खंड-5 (सहकारिता विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उद्योग विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतएव, उपरोक्त प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिए जाएंगे ।

(व्यवधान)

शून्यकाल में भी आपलोग का है न !

(व्यवधान)

क्या बोलना चाहते हैं ? क्या बोल रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, भूमि के सवाल पर जो मारपीट और ...

अध्यक्ष : भूमि विवाद का अभी कार्यस्थगन करिएगा ? जो मामला पचास-सौ साल से चल रहा है उसका ?

(व्यवधान)

समस्या बोलिए न ! आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है, आपको बात कहने की इजाजत है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, डी. वंद्योपाध्याय कमीशन ने जो सिफारिश की है कि 21 लाख फालतू जो अतिरिक्त भूमि है वह भूमिहीन किसानों को एक एकड़ जोतने के लिए चाहे 10 डिसमिल आवासीय के लिए दे दिया जाए तो हम महोदय मांग करते हैं कि भूमि के सवाल पर सदन का विशेष सत्र बुलाएं और भूमि पर विशेष विमर्श हो और साथ-साथ महोदय, भूमि आवास कानून बने ताकि गरीबों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले ।

## शून्यकाल

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के रंजीत यादव, उम्र–45 वर्ष, पिता–स्व0 बिगू यादव, ग्राम–मौलनाचक, थाना– आमस की मृत्यु 28.08.2018 को विद्युत स्पर्शाघात से हो गई थी । पीड़ित परिवार को विद्युत विभाग से मुआवजा अब तक नहीं मिला है ।

आश्रितों को अबिलम्ब मुआवजा भुगतान करने की मॉग करता हूं ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखण्ड के हाट्टा गॉव सोनस्तरीय नहर के पास वितरणी में बना पुल काफी जर्जर है, गॉव के 80 प्रतिशत ग्रामीणों का आवागमन इस पुल से होता है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है ।

अतः उक्त जर्जर पुल को शीघ्र बनावें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सोनवर्षा पंचायत में वार्ड सं0–11 भिखारी यादव के घर से देवानन्द घाट होते हुए छोटेलाल सहनी के घर जाने वाली कच्ची सड़क होने के कारण जनजीवन परेशान है ।

अतः सरकार जनहित में उक्त पथ को अविलम्ब बनावें ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज में एकमात्र महिला अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती है।

अतः सरकार से मांग है कि श्रावणी मेला के समय रोगग्रस्त महिलाओं की चिकित्सा हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की जाए ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिले के गन्ना किसानों को उनकी फसल के मूल्य भुगतान हेतु केसीसी लिमिट कराया गया । रीगा चीनीमिल द्वारा लोन का भुगतान नहीं किए जाने से बैंकों ने किसानों को लोन वसूली का नोटिस देते हुए लोन को NPA घोषित किया है ।

अतः मिल प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाते हुए किसानों को न्याय दिलाने हेतु विचार करे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के बघार गांव के 12 मजदूर सहित बिहार के कुल 15 मजदूरों की मृत्यु महाराष्ट्र के पुणे में दीवाल ढहने से हो गई । हमारी मांग है कि मृतकों के आश्रितों को 10–10 लाख व घायलों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंडान्तर्गत जीवछ मुक्तिधाम मधुबनी शहर की 5 किलोमीटर की परिधि में एकमात्र मुक्तिधाम है । इसका अतिक्रमण हो रहा है ।

अतः जीवछ मुक्तिधाम का सीमांकन कराने तथा मनरेगा के तहत मिट्टीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत ग्राम पदुमभीडिहरा प्रखंड कोचस के कृष्णा कान्त तिवारी एवं गोपाल तिवारी पिता स्व0 रामबचन तिवारी तथा बिगु मुशहर पिता करन मुशहर का बिजली से दिनांक 27.06.2019 को मृत्यु हो गया ।

सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मृतक के आश्रित को मुआवजा दिया जाए ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एस.सी. द्वारा 552 दंत शल्य चिकित्सकों की कौंसिलिंग 18 से 23 फरबरी, 2019 तक की गई परंतु नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण सहित सम्पूर्ण राज्य में आवारा जंगली पशुओं यथा नीलगाय, सुअर, घोड़परास, गिदर आदि से किसानों के फसल को भारी नुकसान पहुँच रहा है ।

जंगली जानवरों से फसलों को बचाने तथा किसानों के बर्बाद हुए फसलों के लिए उचित मुआवजा देने हेतु सरकार से मॉग करता हूं ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मुख्यालय में डी.पी.ओ.(स्थापना) शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक सुधीर कुमार को छत से धक्का दिया गया जिससे सुधीर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गये और वाराणसी में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं ।

अतः जांच कराते हुए डी.पी.ओ. स्थापना मिथलेश कुमार सिंह को तत्काल निलम्बित किया जाए ।

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के पीपरा पंचायत के पीपरा मौजा में विशनपुर चौक पर बोर्डर रोड से सटे SSB कैंप BOP कुशमाहा के विस्तार के लिए अधिग्रहित भूमि की मुआवजे की राशि गरीब किसानों को आवासीय प्रकृति के रूप में प्राप्त हो । सदन से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया नगर निगम शहरी क्षेत्र में निर्मित विकास बाजार जिसमें सैकड़ों दुकान में दूकानदार अपना रोजगार करत हैं । मूलभूत सुविधा रहित जर्जर भवन के कारण कभी भी बाजार में घटना दुर्घटना हो सकती है ।

अतः मैं सरकार से उक्त बाजार के जीर्णोद्धार की मांग करता हूं ।

टर्न : 08/कृष्ण/09.07.2019

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के प्रखंड आरा, बड़हरा, कोईलवर सहित पूरे जिला में खाद्यान गोदाम से अनाज मानक के हिसाब से

50 से 51 किलो देना है लेकिन 40 से 42 किलो अनाज प्रति बोरी रहता है, जिसके कारण गरीब परिवारों को जो अनाज दिया जाता है, ए0जी0एम0, ट्रांसपोटरों की मिली-भगत से जिला में काला बाजारी चल रहा है ।

अतः उच्च स्तरीय जांच टीम भेज कर जांच करावें और दोषी पर कार्रवाई करने का सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुआ ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है । हर साल हल्की बारिश से भी एन0एम0सी0एच0 के वार्डों में पानी चला जाता है और लोग मछली मारने लगते है, उसकी तस्वीर अखबारों में छपती है, महोदय, उससे बिहार शर्मसार होता है और ड्यूटी में जो नर्स और डाक्टर होते हैं, वे भी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाते हैं ।

महोदय, सरकार यहां है । मैं यह सूचना दे रहा हूं कि हर साल बिहार को शर्मसार मत कीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अवधेश जी, बोलिये ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित कुमार जी ने शून्यकाल में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है । महोदय, सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : आप फिर से उसको उठा रहे हैं ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : महोदय, किसानों के बैंक खाते एन0पी0ए0 हो रहे हैं जबकि किसानों का रूपया रीगा चीनी मिल के यहां बाकी है । तो सरकार तत्काल उन किसानों के खाते जो एन0पी0ए0 हो रहे हैं, उस पर रोक लगावे और सरकार रीगा चीनी मिल,जिसने भुगतान नहीं किया, उसका भुगतान करावे ।

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण-सूचना लिये जायेंगे ।

## ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री मुनेश्वर चौधरी, मो0 नेमतुल्लाह एवं अन्य छह सभासदों की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य लघु खनिज नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई, अगस्त एवं सितंबर माह में बरसात के कारण बालू खनन का कार्य रोक दिया जाता है । खनन बंद के दौरान पहले से जमा बालू स्टॉक से बालू बिक्री हेतु दुकानदारों को खुदरा लाईसेंस दिया जाता है ताकि बालू की किल्लत नहीं रहे । इस वर्ष खुदरा लाईसेंस के लिये कुल 172 दुकानदारों ने आवेदन दिया, परन्तु मात्र 72

दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत किया गया । इस कारण से बालू उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करने के साथ ही मंहगे दामों पर बालू खरीदना पड़ेगा ।

अतः लोकहित में ज्यादा से ज्यादा खुदरा लाईसेंस देकर बालू की किल्लत को दूर करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री ब्रज किशोर बिन्द, मंत्री : महोदय, बिहार लघु खनिज समुदाय नियमावली, 1972 के नियम 49 के तहत लघु खनिजों के व्यापार हेतु इच्छुक व्यक्तियों, कंपनियों, एजेंसियों को प्रपत्र-एल में भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है । इसके लिये जिला स्तर के खनन पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होते हैं । वर्ष 2019 में जिला स्तर पर भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिये नये आवेदन या पुराने अनुज्ञप्ति के नवीकरण आवेदन का निस्तारण नियमित रूप से किया जा रहा है । मुख्यालय स्तर से अब तक कुल 426 भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों को विभिन्न जिलों में लघु खनिज के प्राप्त भण्डारण अनुज्ञप्ति के विरूद्ध यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निर्गत किया जा चुका है । प्राप्त सूचनानुसार इसके अतिरिक्त सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत किये गये हैं जिसका यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है । साथ ही वर्तमान परिवेश में राज्य अन्तर्गत लगभग सभी बालू घाट जिलों में बंदोबस्ती कायम है तथा बालू घाट में 300 फीट के अंदर भी पर्याप्त भण्डारण रहने से प्रचुर मात्रा में बालू उपलब्ध है । विभाग द्वारा प्रतिदिन बालू के बाजार मूल्य का सर्वेक्षण कराया जाता है। बालू उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित है । विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर बालू की बिक्री हेतु सभी बंदोबस्तधारियों को निर्देशित किया जा चुका है । अतएव संबंधित सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आमजनों को भी दी गयी है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी थी, उसके आधार पर मैंने 127 आवेदनों का जिक्र किया था । माननीय मंत्री ने 426 आवेदनों का जिक्र किया है, सही बात मैं उन्हीं का मानता हूं । महोदय, मैंने पूरे बिहार के लिये सवाल उठाया है । प्रावधान के मुताबिक जिस प्रावधान का जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, उस प्रावधान के मुताबिक जब तीन महीने के लिये बालू का खनन बंद हो जाता है तो बालू की किल्लत नहीं हो, आमजनों को सुविधापूर्वक बालू मिले, इसलिये खुदरा लाईसेंस दिया जाता है । महोदय, इन्होंने 426 आवेदनों का जिक्र किया तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 426 आवेदन के आलोक में कितने आवेदकों को यूजर आई0डी0 और पासवर्ड देने का काम किया ?

श्री ब्रज किशोर बिन्द,मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यूजर आई0डी0 और पासवर्ड देने की कार्रवाई चल रही है, 426 आवेदनों पर कार्रवाई चल रही है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, यही तो रोना है । यही गड़बड़ी है । तीन महीने की अवधि होती है और 3 महीना में अभी खुदरा विक्रेताओं को खुदरा लाईसेंस देने के बाद यूजर आई0डी0 और पासवर्ड नहीं देना ही तो गड़बड़ी है । मैं यही आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

श्री ब्रज किशोर बिन्द,मंत्री : महोदय, 426 को पार्सवर्ड निर्गत हो चुका है, दे दिया गया है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : कब आपने दिया, वह आप बता दीजिये ।

श्री ब्रज किशोर बिन्द,मंत्री : महोदय, 30 जून को निर्गत कर दिया गया है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, पहले माननीय मंत्री होम वर्क कर लें ।

( व्यवधान )

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप यह जान लीजिये कि प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं । इसलिए उनको भी सारी पेचीदगी मालूम है । इसलिए आप जरा जवाब पूर्णता में दीजिये ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया है, सबलोग मंत्री रह चुके हैं । लेकिन सब मंत्री इस विभाग के नहीं रहे हैं । इसलिए माननीय मंत्री होम वर्क करके आवें, उसके बाद जवाब दें ।

अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि 426 जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री मुनेश्वर चौधरी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको लाईसेंस दे दिया गया है।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, मेरे समझ से सदन को माननीय मंत्री जो सूचना दे रहे हैं, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं । इस मामले में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं भी कोई पासवर्ड, 426 को जो निर्गत करने की बात कही गयी है, हम भोजपुर जिला से आते हैं, वहां जो खुदरा दुकानदार हैं, उनको यूजर आई0डी0 और पासवर्ड देने का काम नहीं किया गया है । मंत्री सदन में इस बात को स्पष्ट तौर पर रखने का काम करें ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नेमतुल्ला जी, इस ध्यानाकर्षण को हम अभी स्थगित करते हैं । इसको हमलोग देख लेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य आठ सभासदों की
ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, सरकार भू-सर्वेक्षण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूमि संबंधी विभिन्न मामलों में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है चाहे वह मालगुजारी जमा करना हो, खाता-खेसरा देखना आदि हो लेकिन अमीन और राजस्व कर्मचारी के अभाव में सरकार की सारी कोशिश विफल हो जा रही है । फलस्वरूप राज्य में भू-विवाद बढ़ते जा रहे हैं और न्यायालय पर अनावश्यक केसों का दबाव बढ़ने के साथ-साथ अपराध की घटनायें भी बढ़ रहीं हैं । अमीन और राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति में लंबा समय लग रहा है । ऐसी स्थिति में राज्य में भू-विवादों पर नियंत्रण हेतु विकास मित्र एवं न्याय मित्र की तर्ज पर तत्काल राजस्व मित्र की बहाली आवश्यक है ।

अतः राज्य में राजस्व मित्रों की नियुक्ति हेत हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सरकार भू-सर्वेक्षण और नई टेकनोलॉजी के माध्यम से भूमि संबंधी विभिन्न मामलों में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है । इस दिशा में प्रयास भी सफल होते दिख रहा है । मानचित्रों का डिजिटाईजेशन एवं भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया, जिसे रैयत कहीं भी, कभी भी अपनी भूमि का विवरण विभागीय वेबसाईट पर Lrc.bir.nic.in देख सकते हैं । आमजनों की सुविधा के लिये ऑन-लाईन दाखिल-खारिज, लगान वसूली की व्यवस्था प्रगति पर है। इन कार्यों में राजस्व कर्मचारियों एवं अमीनों की कमी के कारण कुछ परेशानियां होती है, जिसे यथा संभव दूर किया जाता है ।

क्रमश : ...

टर्न-9/अंजनी/दि0 09.07.19

श्री राम नारायण मंडल, मंत्रीः ...क्रमशः.... विभाग में राजस्व कर्मचारी की कमी को देखते हुए राजस्व कर्मचारी की संख्या 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-92(4) दिनांक-14.02.2014 द्वारा अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है

(व्यवधान)

सर, मेरी बात सुन ली जाय । प्रश्न जब हुआ है तो उत्तर हम दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप बोलते रहिए । माननीय सदस्य सुनेंगे ही ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री : एवं नियुक्ति हेतु आयोग की अनुशंसा सूची शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से विभागीय पत्रांक-326(4) दिनांक-11.05.2016, पत्रांक-498(4), दिनांक-11.07.2016, पत्रांक-639(4), दिनांक-31.08.2016, पत्रांक-1050(4), दिनांक-28.11.2017, पत्रांक-1088(4), दिनांक-08.12.2017, पत्रांक-211(4), दिनांक-08.03.2018,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न आप किये हैं तो उत्तर आपको सुनना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : सुनने का धैर्य रखिए ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : आप अनुपूरक या आपके मन में जो बातें हैं, उन बातों को पहले पूर्णरूपेण बतला रहा हूँ.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी विस्तार से बता रहे हैं तो सुनने का धैर्य रखिए ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो लगातार स्मार-पत्र भेजा गया है, उस संबंध में उनको पत्रांक, दिनांक सब बता रहे हैं । यह माननीय सदस्य को सुनना चाहिए ।

पत्रांक-501(4), दिनांक-26.04.2018, पत्रांक-626(4), दिनांक-12.06.2018, पत्रांक-15(4), दिनांक-07.01.2019, पत्रांक-98(4), दिनांक-15.02.2019 एवं पत्रांक-180(4), दिनांक-10.04.2019 से अनुरोध किया गया है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माह-दिसम्बर, 2018 में उक्त प्रयोजनार्थ प्रारंभिक स्तर की परीक्षा ली जा चुकी है । बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर अविलम्ब नियुक्ति कर लिया जायेगा ।

राज्य के सभी जिलों में अमीन के कुल 1522 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-824(4), दिनांक-09.08.2017 एवं पत्रांक-348(4), दिनांक 10.04.2018 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गयी है । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा परीक्षा का आयोजन शीघ्र कराने हेतु विभाग एवं राजस्व पर्षद के बीच समन्वय स्थापित कर उच्च स्तर पर बैठक का आयोजन दिनांक-21.05.2019 को किया गया है । बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र कर ली जायेगी ।

वर्तमान में सभी अंचल में राजस्व कर्मचारी / अमीन के कमी के कारण राजस्व संबंधी कार्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए विभागीय पत्रांक-919(4), दिनांक-13.09.2017, पत्रांक-623(4), दिनांक-11.06.2018 एवं पत्रांक-625(4), दिनांक-12.06.2018 द्वारा सभी समाहर्त्ता को सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी एवं अमीन को नियमित नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प

सं0-10000 दिनांक- 10.07.2015 में निहित निर्देशों, प्रावधानों एवं मार्ग दर्शन के आलोक में संविदा नियोजन हेतु निदेशित किया गया है ।

वर्णित स्थिति में विभागीय स्तर से राजस्व मित्र की बहाली का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : समीर जी, पूरक की हिम्मत बची हुई है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सोच इतनी बढ़िया है और जितने लंबे समय से मंत्री जी लगे हुए हैं ।

अध्यक्ष : जितना समय लम्बा था, उतना ही अधिक पत्रों का हवाला उन्होंने दिया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि कुन्दक को यत्र-तत्र सर्वत्र खेलते-खेलते गोल करते हैं तो ये गोल कबतक कर देंगे ? चूंकि इन्होंने इतना विस्तृत जानकारी दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो खाली जगह है, उसपर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको सामान्य प्रशासन के पत्र के आलोक में रखने का भी आदेश इन्होंने दिया है और वह कार्रवाई चल रही है, बाकी 1522 अमीन के पद पर नियुक्ति की विधिवत् प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है, यह सब सूचना उन्होंने दी है । अब इसके आलोक में पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो भी नियुक्ति होगी, उसमें ई0एस0आई0, पी0एफ0, ग्रेच्यूटी, पेंशन सारी चीजों की सुविधा उनको मिलेगी कि नहीं ?

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शायद प्रश्नकर्त्ता को उत्तर सुनने की आदत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी करके मैं आया था कि कब-कब आपने पत्र दिया तो सारी बात पत्रांक, दिनांक सब कुछ दे दिया, अब इनके पास कोई प्रश्न बच ही नहीं गया ।

अध्यक्ष : पहले समीरजी, आप पहले बताइए कि आपको याद है कि कितने पत्रों का हवाला माननीय मंत्री ने दिया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, टोटल 16 पत्र इन्होंने दिया है ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, सरकार भी चिंतित है.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य सिर्फ इतना चाहा है कि अभी जो आप नियुक्ति कर रहे हैं, क्या वह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है उस पद पर....

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जो अधियाचना भेजा है, वह जो नियुक्ति होगी, उसमें वह सब कुछ लागू होगा लेकिन सेवा-निवृत्त वाले को दिया है,तो

समाहर्त्ता को सेवा-निवृत्त राजस्व कर्मचारी को अमीन की नियमित नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित निर्देशों, प्रावधानों एवं मार्गदर्शन के आलोक में संविदा नियोजन हेतु निदेशित किया गया है । साफ-साफ जवाब है ।

अध्यक्ष : और कोई पूरक प्रश्न ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ और्डर है ?

अध्यक्ष : आपका क्या है प्वाइंट ऑफ और्डर ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधियाचना में सभी प्रावधान निहित किये गये हैं, ग्रेच्यूटी का, पेंशन का, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार अब जो भी नियुक्तियां कर रही है उसमें पेंशन का प्रावधान नहीं है लेकिन माननीय मंत्री ने कहा है, दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया था इस बावत कि राज्य के अन्दर में जो हमारे अमीन हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है, उसके बाद उसमें संशोधन हुआ तो क्या ट्रेनिंग के लिए स्कूल हुआ ?

टर्न-10/राजेश/09.07.19

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ समाप्त हुई ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष-2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) (2) के तहत् बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का वर्ष- 2002-03 से 2009-10 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/सत्येन्द्र/9-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा :

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय जनता दल | 60 मिनट |
| जनता दल यूनाईटेड | 52 मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी | 41 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 19 मिनट |
| सी0पी0आई0(एम0एल0) | 02 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी | 02 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | 01 मिनट |
| निर्दलीय | 03 मिनट |

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 19,97,70,24,000/-(उन्नीस अरब संतानवे करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं एवं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी

सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

इस शीर्षक की मांग 10/-(दस) रू0 से घटायी जाय ।

महोदय, मुख्य बहस का विषय सहकारिता ही है, मुझे ताज्जुब होता है और लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है इस सरकार में कि रेवन्यू जैसा महत्वपूर्ण विभाग ये गिलोटीन में है, उद्योग विभाग जैसा विभाग जो है गिलोटीन में है । सहकारिता का भी महत्व है मगर जो गरीब गुरबा से जुड़ा हुआ विभाग है, उसको बहस में नहीं रखना, मेन बहस में, उसको गिलोटीन में डाल देना, मुझको लगता है सरकार जो है इसको गिलोटीन में रखकर जो इसका महत्व है, उसको घटा रही है और कुछ चीज को राजस्व विभाग का ये जो है बहस यहां नहीं आने देना चाह रही है बल्कि उसको छूपा रही है । महोदय, को-ऑपरेटिव विभाग पर हमारे जो माननीय अन्य सदस्यगण हैं, वे अपनी बात रखेंगे मगर इन्होंने जो मांग की है जितनी राशि की, मैं फिर कहता हूँ कि कम से कम पिछले साल का कितना पैसा खर्च किया और कितना लैप्स किया, उसको भी कम से कम बता दीजिये तो पता चल जायेगा कि क्या स्थिति है । ठीक है, ये हमारे बहुत ही प्रिय हैं ये और मैं इस वजह से इनको बक्स दे रहा हूँ, इस सरकार पर एक तरह से स्ट्रीक्चर कर रहा हूँ कि रेवन्यू जैसे डिपार्टमेंट पर बहस नहीं होना इस सदन में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है महोदय इसलिए मैंने सहकारिता में 10/- रू0 घटायी जाय, यह मांग रखी है और हमारे अन्य माननीय सदस्य, इस पर भोला जी जो हैं अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जब इधर होते हैं माननीय सिद्दिकी साहब और उस समय जब बहस नहीं होता है रेवन्यू पर महोदय, तो इनकी चिन्ता नहीं होती है । राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है सहकारिता महोदय, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया है लेकिन इधर रहते हैं तो इनकी चिन्ता नहीं होती है गरीबों का, उधर चले जाते हैं तो गरीबों की चिन्ता करने लगते हैं । राज्य की सरकार गरीबों के लिए चिन्तित है और गरीबों के लिए काम कर रही है और एक-एक काम राज्य में कोई रूकने वाला नहीं है गरीबों का, यहां न्याय के साथ विकास हो रहा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बड़े काबिल मंत्री है और हमारे साथ भी उधर बैठे हैं और पुराने सदस्य हैं । आप और माननीय अध्यक्ष जी भी जानते होंगे कि रेवन्यू कितना महत्वपूर्ण विभाग है, उसको आपने एक तरह से नजरअंदाज किया है और मैं जब आपके साथ था तो रेवन्यू पर बहस हुई थी । पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है इसलिए मैंने आपको आईना दिखलाया है कि रेवन्यू जैसे महत्वपूर्ण

विभाग पर बहस यहां नहीं हो, गरीबों से जो जुड़ा हुआ विभाग है उस पर बहस यहां नहीं हो, तो यह तो दुर्भाग्य है ।

अध्यक्ष: श्रवण जी ने कहा कि इधर रहते थे तो ऐसा सोच रहे थे, उधर रहते हैं तो ऐसा सोच रहे हैं तो यह तो श्रवण जी को पता होगा ही कि इधर और उधर में इतना फर्क होता ही है। माननीय सदस्य,श्री भोला यादव ।

श्री भोला यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, सहकारिता विभाग एक व्यापक विभाग है और यदि सही मायने में देखा जाय तो सहकारिता पर ही पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जब सहकारिता का नाम आता है तो निश्चित रूप से हमलोगों के दिमाग में कुरियन साहब याद आते हैं । मैं 1982 में गुजरात जब गया था तो कुरियन साहब के द्वारा जो बनाया गया है आनंद और मेहषाना और उसका जब निरीक्षण किया, उनके द्वारा गांव को जो सजाया गया है, उसका जब निरीक्षण किया तो मुझे लगा कि सहकारिता के माध्यम से आप राज्य के अर्थव्यवस्था के साथ-साथ गांव के अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं।

अध्यक्ष: हम इतना आपको सूचित कर देते हैं कि आप 2 बजकर 7-8 मिनट से शुरू किये हैं और 2 बजकर 25 मिनट पर आपको खत्म करना होगा ,उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग कर के बोलियेगा ।

श्री भोला यादव: सर, 20 मिनट का है शायद आवंटन ।

अध्यक्ष: 18 मिनट दिया गया है आप 2.07 मिनट से शुरू किये हैं ।

श्री भोला यादव: क्यों सर, हमारा कटौती कर दे रहे हैं, 2 मिनट बढ़ाकर ही क्यों न बोल देते हैं । महोदय, गुजरात के गांव को उस समय जब मैंने देखा तो मुझे लगा जो बात है इसमें सरकारी फैसिलिटीज गांव में उपलब्ध है और वह दूसरा नहीं बल्कि सहकारिता के माध्यम से, आज सहकारिता को यदि व्यापक रूप में देखा जाय तो सहकारिता के दायरे में कृषि है, सहकारिता के दायरे में सिंचाई है, सहकारिता के दायरे में पशुपालन है, सहकारिता के दायरे में स्वास्थ्य है और सहकारिता के दायरे में बैंकिंग सिस्टम है, विपणन सिस्टम है तो उस चीज को व्यापक रूप यदि दे सरकार तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इससे गांव की अर्थव्यवस्था सुधर जायेगी और जब गांव की अर्थव्यवस्था सुधर जायेगी तो अपने आप सारी परिस्थिति ठीक हो जायेगी । वहां हमने देखा कि जो एक ही कैम्पस में दुग्ध का कलेक्शन है, उसी कैम्पस में बैंक है, उसी कैम्पस में ये किराना सामान लेने का दुकान है, उसी कैम्पस में दवाखाना है, उसी कैम्पस में कपड़े का दुकान है,(क्रमश:)

टर्न-12/मधुप/09.07.2019

...क्रमशः...

श्री भोला यादव : उसी कैम्पस में मवेशी का स्वास्थ्य उप केन्द्र है, उसी कैम्पस में आदमी का स्वास्थ्य केन्द्र है । उसके साथ-साथ, वहॉ के लोगों के ज्ञानवर्द्धन के लिए और अपने कला प्रदर्शन के लिए विधिवत एक बड़ा कम्युनिटी हॉल और वाचनालय है । ये सब चीजें मैंने हरेक गॉव में देखा, एक ही कैम्पस में है ।

माननीय मंत्री जी का जो बजट है, उसमें हमने देखा है कि आप सहकार भवन ला रहे हैं । ठीक है, आप सहकार भवन ला रहे हैं लेकिन उससे पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि सहकार भवन में क्या-क्या हो, किन-किन चीजों की आवश्यकता है और उन चीजों को हम कैसे समाहित करें । इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री मो0 नेमतुल्लाह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

आप युवा मंत्री हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का खून आपके रग-रग में दौड़ रहा है, आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप अपने विभाग का एक टूर बनाकर कम से कम 10 दिन के लिए अपने पदाधिकारी को ले जाकर, हम जब 1982 में देखे थे तो आज तो और डेवलप हो गया होगा, आप गुजरात के उन गॉवों का दौरा करें और वहॉ जाकर देखें कि किस तरह से सारे विभागों को एक गॉव में, एक कैम्पस में सहकारिता के माध्यम से समाहित किया गया है । उससे आप सीख लें और उस आधार पर आप बिहार को सजाने का काम करें । आप युवा हैं, इनर्जेटिक हैं, उस चीज को तरीके से लावें ।

मैं आपको कुछ चीजों की तरफ इंगित करना चाहता हूँ, आपका बजट 2017-18 में 750 करोड़ का था, 2018-19 में 806.5 करोड़ का था और 2019-20 में आपने 1997.7 करोड़ का बजट लाया है । एकाएक बजट का साइज बढ़ा है । मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन जिस तरह से आपकी सरकारें काम कर रही है, उससे हम जैसे लोगों को डर लग रहा है कि तिगुणा बजट लाकर कहीं लूट-खसोट का तो कार्रवाई आप पुनः नहीं करने जा रहे हैं इस विभाग में भी ? आपका जो बजट का रूप है, बढ़ा दिये हैं लेकिन बजट को कहॉ खर्च करेंगे, इसकी तरफ आप इशारा नहीं किये हैं, आपका इशारा प्रोपर होना चाहिए, एकमात्र इशारा आपका जो है, वह

फल-सब्जी के मामले में आपका आया है । माननीय वित्त मंत्री जी अभी सदन में नहीं हैं, उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था, उसमें था कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की कुल लागत राशि 1750 करोड़ रूपये का व्यय दो चरणों में किया जायेगा । शॉर्ट में इस बात का जिक्र किये हैं लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ? उसमें एक बात और जोड़े हैं कि उसका ब्रांडिंग जो होगा, उसका नाम आपलोग 'तरकारी' दिये हैं । लेकिन साथ-साथ उसमें दिये हैं कि हम 5 जिला को ही समाहित करेंगे, वह जिला हैं- पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और नालंदा । आप 40 जिला के प्रदेश में हैं और उसमें सिर्फ 5 को ले रहे हैं ? यह कौन-सा बहादुरी का काम कर रहे हैं ? यदि आपकी कार्य योजना है तो सारे के सारे जिला में आपको लाना चाहिए और इस तरह से पिक एण्ड चुज किस बात का, ऐसे जगहों पर ही क्यों जहाँ से आपका विशेष लगाव हो, जहाँ से आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव हो, जहाँ से आपके संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष लगाव हो, उन्हीं जिलों को क्यों चुना जाता है ? दरभंगा भी एक सड़ा-गला इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, डूबा हुआ इलाका है, उसको भी चुनिये, उसके साथ-साथ मिथिलांचल, कोसी और उधर चले जाइये आप सीमांचल जो अति पिछड़ा इलाका है, उन सबको भी चुनिये जिससे कि यह सभी जगह हो । रही बात 1750 करोड़ रू0 आप खर्च करने जा रहे हैं लेकिन उस 1750 करोड़ का कोई आपका आकार नहीं है कि किस चीज में खर्च होगा, कैसे खर्च होगा ।

माननीय मंत्री जी, हम आपको एक और आईना दिखाना चाहते हैं कि यदि सब्जी के मामले में आपको सीखना है तो आप एक टीम अपने साथ लेकर आंध्रा चले जाइये, आंध्रा में सब्जी के लिए एक बहुत बड़ा हाट लगता है और हरेक प्रखंड में दो-दो जगहों पर हाट के लिए उन्होंने चयनित किया है । महोदय, उसके लिए हरेक गाँव से एक बस खुलती है, उस बस में सिर्फ किसान बैठते हैं और किसान का उत्पाद जो सब्जी होता है, उसे लेकर वे उस हाट पर जाते हैं, बेचते हैं और वही बस उनको घर तक छोड़ती है । यह सरकार के द्वारा निःशुल्क बस होती है, महोदय । उन सब योजनाओं को जाकर देखिये, पढ़िये, समझिये और उस तरह से बिहार जैसे गरीब राज्य पर रहम कीजिये । पैसे की लूट न हो, इसपर अंकुश लगाइये ।

महोदय, मैं आपका ध्यान पैक्स की तरफ ले जाना चाहता हूँ । नो-डाउट आपने पैक्स का चुनाव कराया, पैक्स को तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी जो नीति है, उस नीति में कहीं न कहीं खोट है, कहीं न कहीं गड़बड़ी है जिसके चलते पैक्स में भी बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है । आप जो धान खरीदते हैं, पता नहीं, पैसा आप देते हैं किसान को, वह कब देते हैं तो दो महीना बाद, एक

महीना बाद । उसी पैसा को आप तत्काल यदि देना शुरू करें तो किसान बिचौलियों के हाथ का कठपुतली नहीं बनेगा बल्कि वह बिचौलियों को नहीं देकर आपको सीधा देगा लेकिन आपका जो सिस्टम है, इतना घटिया है कि उसमें आप आज धान खरीदते हैं, एक से डेढ़ महीना के बाद उसके पैसे के भुगतान की बात करते हैं । वह किसान उब जाता है चूंकि किसान तो गरीब है, टूटा हुआ है । उसको चाहिए तत्काल पैसा, उसको घर का काम चलाना है, घर के कार्य के लिए, ईलाज के लिए पैसे की जरूरत है तभी वह फसल बेचता है । वैसी स्थिति में आप एक चीज सुनिश्चित कीजिये कि हम पैक्स को पैसे से सुदृढ़ करेंगे, जो बाद में पैसा देते हैं, वह तत्काल पैसा देंगे और उससे किसान को तत्काल अधिप्राप्ति के समय ही उसका भुगतान हो जाय ।

दूसरा सबसे बड़ी गड़बड़ी पैक्स में है कि आप किसान से लेकर 100 किलो, एक क्वींटल में 100 किलो होता है, लेते हैं कितना, तो 110 किलो । क्या ? तो 10 किलो हम इसीलिये लेते हैं कि आपका धान प्रोपर सूखा हुआ नहीं है । आपके पास, सरकार के पास सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आप उसका जो भंडारण करें, उसको जो खरीदें, उसी समय में उस चीज को देखें, पैक्स के लोग कहीं न कहीं उनलोगों का दोहन कर रहे हैं । इसपर भी अंकुश लगाने की जरूरत है । दूसरी बात, मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपका जो पैक्स की स्थिति है, उसमें सबसे बड़ा यह है कि जितने भी पैक्स हैं, उस पैक्स के पास प्रोपर गोदाम नहीं हैं । कुछ पैक्स अभी-भी, उस समय आप जाइयेगा जब धान अधिप्राप्ति होती है तो देखियेगा कि बाहर में रोड किनारे धान के फसल को रखे हुये रहता है जिसका नतीजा होता है कि पानी आने पर, वर्षा आने पर वह धान बरबाद हो जाता है और उसका पैसा उस पैक्स के माध्यम से नहीं मिलता है और किसान मजबूर है, किसान मजबूर हो जाता है पैसे के बगैर । नतीजा यह होता है कि उस किसान का न धान ही सही ढंग से बिक पाता है और न पैसा ही मिल पाता है जिसके चलते किसान मजबूर होकर बिचौलियों के हाथ बेचना चाहता है ताकि तत्काल कम से कम, कम ही पैसा सही, मिल तो जायेगा । इस सिस्टम को आप सुधारिये ।

पैक्स को कम्प्युटरीकृत कीजिये, पैक्स में कम्प्युटर लगाइये । वहाँ पर संसाधन मुहैया कराइये, वहाँ पर आप अपना स्टाफ बहाल कराइये, जिस तरह से मानदेय पर बहाल करते हैं जो ताकि लोग वहाँ रहे और अधिप्राप्ति जिस समय हो, तत्काल का तत्काल भुगतान हो । आपके पास सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, व्यापार मंडल बैंक, कई तरह के बैंक हैं लेकिन सब ढाक के तीन पात हैं । सुनने में अच्छा लगता है - सहकारी बैंक लेकिन सहकारी बैंक की स्थिति आप इतना खराब बना दिये हैं, इतना बद से बदतर है कि वह चल नहीं रहा है । आप जो लोन नेशनलाइज बैंक

के माध्यम से देते हैं, जो अनुदान नेशनलाइज बैंक के माध्यम से देते हैं, आप सरकार में एक नीति बनाइये कि हम वह को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से देंगे, लोन बाँटेंगे तो को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, सब्सिडी देंगे तो को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से और सारा सरकारी कारोबार करेंगे तो को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से । पुनः हम गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, गुजरात में आप चले जाइये तो आपका नेशनलाइज बैंक में किसी भी सरकारी विभाग का खाता नहीं है । ...क्रमशः....

टर्न-13/शंभु/09.07.19

श्री भोला यादव : क्रमशः...कॉपरेटिव बैंक को पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन ऐसा कॉपरेटिव बैंक नहीं जो सृजन जैसा घोटाला कर दे । इस चीज पर भी आपको अंकुश लगाना है। इस चीज पर भी अंकुश लगाना है जो सृजन जैसे कॉपरेटिव बैंक पॉकेट में चलता हो वैसा नहीं । आपके पास ढेर सारे बैंक हैं उन बैंकों को नये सिरे से पुनर्जीवित कीजिए और पुनर्जीवित करके उसके माध्यम से किसानों को ऋण दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है । महोदय, आप जितने भी पंचायत स्तर के मुखिया हैं, पंचायत स्तर पर जिला परिषद् सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं सबको आप यात्रा भत्ता के नाम पर, मानदेय के नाम पर छोटी-छोटी राशि देते हैं, लेकिन पैक्स के लोग, पैक्स के अध्यक्ष, पैक्स का सदस्य व्यापार के लिए हर जगह भटकता है उसका भी एक मानदेय सुनिश्चित कीजिए । जिससे कि उसका प्रोत्साहन बढ़े और वह आपको तन, मन, धन से काम पैक्स के लिए करे । इसपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है । आपको मैं जो पैक्स के माध्यम से पिछली बार पिछले दो-तीन सालों में जिन चावल मिलों को आपने धान दिया उससे चावल आपको लेना था लेकिन वह चावल नहीं लौटाया ।

सभापति(श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब एक मिनट में खत्म कीजिए आप ।

श्री भोला यादव : आपने उसपर एफ0आइ0आर0 किया उस एफ0आइ0आर0 का क्या हुआ । बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का वह पैसा था, वह चावल था उस चावल को वापस नहीं लिया गया । आप केस करके वैसे लोगों को पुनः दूसरे नाम पर मिल चलाने के लिए खुल्ला छूट दे दिये हैं और वही लोग पुनः दूसरा मिल स्थापित कर रहे हैं दूसरे नाम पर और वही लोग चला रहे हैं और फिर घोटाला कर रहे हैं । इसको भी आपको संज्ञान में लेना होगा । जो वैसे मिल और वैसे लोग, वैसी फैमिली जिसने इस तरह का काम किया है वैसे फैमिली को हमें नहीं देना है । उसके चल अचल संपत्ति से चावल का दाम वसूल करना है । इस संबंध में कार्रवाई होनी चाहिए । ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पैक्स के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है । आप छोटे-छोटे चावल मिल चलाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए । उसके लिए आप पंचायत स्तर पर योजना बनाइये,

पंचायत स्तर पर चावल मिल बने जिससे कि किसान सीधा चावल मिल में दे और वहां से चावल सरकार को मिल जाय । इस तरह की योजना आप लाइये, लेकिन आप केवल अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में इन सब चीजों को सही तरीके से समाहित नहीं किये हैं । मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी-अभी आपने सब्जी के मामले में जो किया है । सब्जी के मामले में जिन 5 जिलों को किया है उन 5 जिलों में आपने लिखा है संग्रहण, शॉर्टिंग, ग्रैंडिंग, लघु हाट, शीत भंडारण आदि की व्यवस्था की जायेगी । इसपर करीब 1750 करोड़ रूपये का व्यय आयेगा । महोदय, ये बातें जो आप लिखे हैं, आप हरेक पंचायत में सब्जी कलेक्शन सेंटर खोलिये । जिस तरह से आपके राज्य में कम्फेड बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है । कम्फेड जो एक निगम बनाकर आपने दूध के दिशा में आपका कम्फेड चल रहा है इसकी प्रशंसा सभी तरफ है । उसी तरह का आप एक आर्गेनाइजेशन बनाइये, सरकार से हटकर, जिसको स्वायत्ता दीजिए । जो खुले दिमाग से काम कर सके, लालफीता शाही उसके अंदर नहीं हो । सब्जी उत्पादन का आपका प्रदेश है इसका कैसे विपणन किया जाय, कैसे परचेज किया जाय, कैसे बेचा जाय और कैसे दूसरे राज्यों में भेजा जाय । इस दिशा में एक निगम लाइये और निगम लाकर इसको अलग कीजिए, इसका बजट अलग कीजिए जिससे कि वह अच्छे तरीके से इसका काम कर सके । महोदय, बहुत सारी चीजें हैं जिनपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं । इनकी काम के प्रति इच्छाशक्ति नहीं है । आपके पास जितना पशुपालन के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गा मुर्गी पालन के लिए जो योजनाएं हैं उसको कॉपरेटिव के अंदर आप उसका भी एक रूपरेखा तैयार कीजिए कि किस तरह से पंचायत स्तर पर सहयोग समितियां हो । पंचायत स्तर पर किस तरह से सहयोग समितियां बने, कॉपरेटिव बने जिसके माध्यम से सबको संचालित किया जा सके । इस दिशा में भी कार्य होना चाहिए । मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ । बजट का साइज बढ़ाये हैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन बजट का उपयोग सही तरीके से हो । मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जमुई जिला में प्रखंडवार दस ए0जी0एम0 का पद है, लेकिन मात्र पांच ए0जी0एम0 पदस्थापित हैं । वह कैसे अनाज की निकासी होगी जबकि हर प्रखंड की दूरी 10 से 15 कि0मी0 है । यहां पूर्णत: अनियमितता बरती जाती है ।

सभापति( श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करें भोला बाबू ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं एक-दो बात कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में दो प्रखंड है और दोनों में मुश्किल से कुछ ही पंचायत में पैक्स भवन बना है, पैक्स का का गोदाम बना है । आपसे आग्रह होगा आपकी नीति है कि हरेक पैक्स को गोदाम से सुसज्जित करना उसके तहत हरेक पंचायत को गोदाम से सुसज्ज्ति कीजिए जिससे कि

जब धान की अधिप्राप्ति हो तो उसको गोदाम में रखा जा सके । दूसरा मेरा एक बात कहना है....

सभापति( श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री भोला यादव : खतम कर रहे हैं महोदय । तत्काल आप विलंबित जो भुगतान है इस सिस्टम को खतम कीजिए ।

सभापति( श्री मो0नेमतुल्लाह) : ठीक है, खत्म कीजिए । श्री जितेन्द्र कुमार जी प्रारंभ करें ।

श्री भोला यादव : इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारिता का बजट पेश हुआ है और पहले की तुलना में बजट का आकार भी बढ़ा है । यानी सहकारिता विभाग का कार्य बढ़ा है । मैं देखा हूँ बचपन से ही कि सहकारिता का अर्थ सहयोग होता है । एक दूसरे का सहयोग कर समितियां बनती है, लोगों के आर्थिक उत्थान का कार्य करती है । यानी कॉपरेटिव का मतलब ही कॉपरेशन एक दूसरे का सहयोग । आज उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में किसानों के लिए कई ठोस कदम उठाये गये हैं । बिहार में दस साल पहले अधिप्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं थी ।

(व्यवधान)

बतायेंगे सुनिये तो आप । पहले तो आप बोलने लगते हैं, केवल बोलते हैं । अधिप्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं थी महोदय, लेकिन आज जितने भी पैक्स हमारे हैं और जितने व्यापार मंडल कार्यरत हैं सभी धान अधिप्राप्ति का कार्य कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो किसान धान बेच रहे हैं उनको तत्काल पैक्सों के माध्यम से भुगतान हो रहा है । महीना नहीं लगता है, तत्काल भुगतान होता है, लेकिन समस्या है कि

क्रमशः

टर्न-14/ज्योति/09-07-2019

क्रमशः

श्री जितेन्द्र कुमार : पैक्स तो भुगतान कर देता है किसानों को लेकिन पैक्सों को भुगतान महीना, दो महीना, तीन महीना लगता है जिससे कि बेवजह सूद बढ़ता है, नाजायज सूद तो इसकी भरपाई कैसे हो और जिसके कारण पैक्स डिफौल्टर हो जाते हैं और करीब बिहार में करीब 800 से अधिक पैक्स डिफौल्टर हो चुके हैं जिसका कोई काम अब नहीं रह गया है । हर पंचायत में पैक्स है और जहाँ 800 पैक्स डिफौल्टर हो गए हैं। डिफौल्टर का मतलब है कि वह कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । अधिप्राप्ति

का काम नहीं करेंगे । उनके माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसका काम नहीं होगा यानी कोई काम नहीं होगा तो वह एक बोझ की तरह हो जायेंगे तो मैं सहकारिता मंत्री जी को कहना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा विभाग को और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव भी बैठे हैं कि ऐसे पैक्सों के उत्थान के लिए, आप क्या करना चाहेगे तो यह सोचने की बात है । आज अधिप्राप्ति के कारण हमारा जो धान का, चावल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह ठीक हुआ है बाजार में। यह एक उपलब्धि है, सरकार की एचीभमेंट है । जिस कार्य के बारे में कोई सोचता नहीं था, वह माननीय मंत्री जी ने, उस कार्य को अमली जामा पहनाया । यह हमारी उपलब्धि है और यह किसानों के लिए बहुत खास योजना है । आज अधिप्राप्ति का कार्य करने के लिए 353 करोड़ सी.सी. लोन दिया गया महोदय और आज वह गलत नीतियों के कारण 353 करोड़ कोऔपरेटिव बैंक का फंस गया । समय पर भुगतान नहीं होने के कारण कोऑपरेटिव बैंक की हालत चरमरा गयी है । 353 करोड़ रुपया जब फँस जाय तो संस्था की स्थिति क्या होगी, यह सोचने की बात है । आज अच्छी बात है कि हमलोग अधिप्राप्ति के लिए लोन भी देते हैं । लोन देते हैं किसानों के कल्याण के लिए कि तत्काल भुगतान हो जाय लेकिन सरकार जो है स्टेट कोऔपरेटिव बैंक को, 7 परसेंट पर सी.सी. लोन देती है फिर स्टेट कोऔपरेटिव बैंक, डिस्ट्रीक्ट कोऔपरेटिव बैंक को सवा 7 परसेंट पर सी.सी. लोन देती है फिर डिस्ट्रीक्ट कोऔपरेटिव बैंक जो जिला सहकारी बैंक है पैक्सों को 8 परसेंट पर लोन देती है और काम क्या है कल्याणकारी कार्य है, किसानों की सेवा करना, किसानों का धान खरीदना है और उसके लिए इतने परसेंट का लोन है मतलब ब्याज लगता है 8 परसेंट जबकि मैं कई प्रदेशों में गया हूँ जहाँ धान अधिप्राप्ति के लिए ऋण दिया जाता है उसपर ब्याज दर शून्य है । मैं चाहूँगा कि विभाग को ऐसी जगह पर जाकर अध्ययन करना चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में धान अधिप्राप्ति के लिए ऋण दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट । इन चीजों को देखने की आवश्यकता है । अब रही बात महोदय, कि हमारी सरकार की कई उपलब्धियाँ है । एक जमाना था जब चुनाव कब होता था पैक्सों का, समितियों का, एपेक्स बॉडी का, पता नहीं चलता था । आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच, रचनात्मक विचार ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन किया है, जिसके चलते छोटी समितियाँ हों, डिस्ट्रीक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, एपेक्स बॉडी हो सब का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा किया जाता है । अब कोई ऊंगली नहीं उठा सकता है । पारदर्शिता है लेकिन महोदय, कुछ समस्यायें भी है । अब छोटी छोटी कमिटियाँ है, दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, बुनकर सहयोग

समिति, फल सब्जी उत्पादक समिति अन्य प्रकार की कई समितियॉं है । अब जहॉं महोदय, 700 वोटर है वहॉं सोसायटी को 5 हजार रुपया फीस के रुप में जमा करना पड़ेगा जिसकी आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है और फिर अगर 1400 वोटर हो गये तो पॉंच हजार और अतिरक्त यानी हरेक सात सौ पर पॉंच हजार, सोचिए मतलब कि अगर बढ़ते गया 700 और 700 यानी 1400 हो गया तो 15 हजार मतलब लगातार फीस बढ़ती गयी । आखिर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक दोहन नहीं करना चाहते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि फीस जो लग रही है छोटी छोटी समितियों को जिसके पास पैसा नहीं है । इस समिति का गठन इसलिए हुआ है कि उसके माध्यम से जो छोटे छोटे हमारे किसान है, छोटे छोटे जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनका उत्थान हो । इसको गंभीरता से देखने की जरुरत है । तीसरी बात मैं कहूँगा कि कोऔपरेटिव को इन्कम टैक्स के दायरे में लाया गया है जब यह कल्याणकारी कार्य करता है । एक समूह बनाकर संस्था बनती है किसानों के लिए काम करती है, अन्य प्रकार की जो समितियॉं है जैसे बुनकर समितियॉं, फल सब्जी उत्पादक सहयाोग समिति उन तमाम चीजों को इन्कम टैक्स के दायरे में लाया गया है । हम तो कहेंगे माननीय मंत्री महोदय से और विभाग के जो प्रधान सचिव बैठे हैं उनको कहेंगे कि आग्रह करें केन्द्र सरकार से कि कोऔपरेटिव की जो समितियॉं है उनको इन्कम टैक्स के दायरे से दूर रखा जाय । महोदय, यह मेरा सुझाव है कि आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि कोऔपरेटिव का मतलब सहयोग होता था लेकिन आज उसका मतलब हो गया है सरचार्ज । आज कोई भी काम करता है अगर कोई सोसायटी या कोऔपरेटिव बैंक या कोऔपरेटिव के विकास संबंधी कोई काम करता है तो द्वेष भावना से सरचार्ज यानी वह जन प्रतिनिधि अयोग्य हो गए । चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन उसी कार्यकारिणी में उसी बोर्ड में अगर अधिकारी हैं तो उनका प्रोमोशन हो जाता है । उनपर सरचार्ज नहीं होता है लेकिन जो जन प्रेतिनिधि हैं वह अयोग्य हो जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यानी कि बिना प्रमाणित हुए उनपर कार्रवाई हो जाती है । यह बहुत ही गंभीर मामला है कि जन प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, जब कोई चीज प्रमाणित नहीं हो और अयोग्य घोषित कर दिया जाय कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो इस चीज को देखने की आवश्यकता है । यह अधिकार रजिस्ट्रार साहेब मे निहित है । कहा जाता है कि सहकारिता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश रजिस्ट्रार होते हैं । जो मन में आ गया आदेश कर दिए, और्डर कर दिया, वह अयोग्य हो गया तो इन पावरों को समीक्षा करने की जरुरत है कि द्वेष भावना से, राजनीतिक भावना से नहीं चाह रहे हैं । अगर मन अच्छा नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं अधिकारी बैठे

हुए हैं तो अब होगा कि विधायक जी  हमारे बारे में बोल रहे हैं तो चलिए इनके बारे में सरचार्ज, ये चुनाव लड़ने से वंचित हो गए तो इन मामलों को देखने की आवश्यकता है, यह बहुत ही हितकारी और जन कल्याणकारी है कि हरेक लोग गांव में हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, हमलोग भी चुनाव लड़ते हैं । पैक्सों का हमलोगों ने ईमानदारी से काम किया फिर क्या है कि राजनीतिक कारणों से कोई द्वेष से सरचार्ज हो गया और हम चुनाव नहीं लड़ सकते बिना सबूत के बिना प्रमाण के तो ऐसी चीजों की समीक्षा करनी चाहिए । जिस पॉलिसी की, नीति की कोई उपयोगिता नहीं है उसकी समीक्षा होनी चाहिए । रजिस्ट्रार के अधिकार की समीक्षा होनी चाहिए । मैं कहता हूं  कि कानून का राज है । अगर कोई गलती करे तो उसपर कार्रवाई हो लेकिन बेवजह हो, वह उचित नहीं लगता है न्प्यायसंगत नहीं लगता है और आप कर्मठ हैं, युवा हैं आपसे मुझे काफी उम्मीद है । महोदय, 8463 पैक्स हैं और पैक्सों की स्थिति ऐसी है कि लगातार डिफौल्टर होते जा रहे हैं । इसके उत्थान के लिए कोई पैकेज नहीं है कि कैसे इसका विकास किया जाय तो इसको देखने की जरुरत है । यह बहुत ही गंभीर मसला है कि 8463 पैक्स हैं । हो सकता है कि एक हजार हो जाय, दो हजार हो जाय, काम से वंचित हैं तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है । आज एस.एफ.सी. के कारण कहिये कि पैक्स ने बेचारे किसानों को तत्काल भुगतान कर दिया और पैक्सों को भुगतान दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पॉच महीना, छः महीना, साल भर आज बेवजह जिसको कह सकते हैं नाजायज सूद 315 करोड़ रुपया है जिसकी भरपाई कौन करेगा इसके लिए दोषी कौन है । इसके लिए एस.एफ.सी. दोषी है और भुगत रहे हैं कौन ? इसके लिए भुगत रहा है पैक्स तो इन चीजों को माननीय मंत्री महोदय मेरा सुझाव है कि बहुत ही गंभीर मसला है विभाग का और अधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं । बरियार साहेब और शशिभूषण जी बैठे हुए हैं । इन चीजों को देखने की आवश्यकता है और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है । हमारी सरकार चाहती है कि हमलोग काम करें लेकिन 315 करोड़ की राशि बेवजह पैक्सों पर लोड हो गया उसकी वजह क्या है, उसका निराकरण क्या होगा इसको देखने की आवश्यकता है । वैद्यनाथन कमिटी की कई अनुशंसा हुई थी जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कई करोड़ रुपया देना था ।

क्रमशः

टर्न-15/09.07.2019/बिपिन

श्री जितेन्द्र कुमार: क्रमश: ... लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में एम.डी. प्रोफशनल की बहाली नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने 370 करोड़ रूपया राज्य सरकार को नहीं दिया । जब प्रोफेशनल की हम बहाली कर लेते तो राज्य सरकार को 370 करोड़ रूपया मिलता महोदय । इन छोटी-छोटी कमियों के कारण 370 करोड़ अगर बिहार को मिल जाता तो किसानों, पैक्सों और व्यापार मंडलों के उत्थान के लिए काफी कुछ कर सकते थे महोदय।

महोदय, हम देखते हैं कि आज कोई जिला है, तो जिला कोऑपरेटिव बैंक में वही अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी वही हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वही हैं, आइ. सी.डी.पी. के पदाधिकारी वही हैं, यानी एक ही पदाधिकारी कई प्रभार में हैं जिस कारण न तो कार्यों का समीक्षा हो पाता है, न समय दे पाता हैं, न अनुश्रवण हो पाता है यानी अधिकारियों की कमी है क्या महोदय ? एक ही आदमी डी.सी.ओ., एक ही आदमी एम. डी., एक ही आदमी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक ही आदमी आइ.सी.डी.पी. के पदाधिकारी तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है । मैं तो देखता हूं । कई जिलों में अभी नोटिफिकेशन हुआ है महोदय, बदलियां हुई है, ट्रांसफर हुआ है सहकारिता विभाग में । एक ही आदमी कई प्रभार में हैं महोदय । उससे केवल औपचारिकता पूरी होती है डी.सी. ओ. साहब के यहां जाइएगा तो कहते हैं मेरे पास फुर्सत नहीं हैं, ए.आर. के यहां जाइएगा तो वह बैंक में बैठे हुए हैं । आखिर काम कैसे हो महोदय ? किसानों का काम है । संभव ही नहीं है । आज पूरे बिहार में 521 व्यापार मंडल है ।

(व्यवधान)

हम सही सुझाव दे रहे हैं ललित बाबू, सही सुझाव दे रहे हैं । सुझाव का पालन करके हमारी सरकार सही काम की है । और बेहतर हो सकता है । 521 व्यापार मंडल है जिसमें राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा 129 व्यापार मंडल का चुनाव नहीं हो सका है । 129 व्यापार मंडलों का चुनाव नहीं हो पाया है जिसके कारण ये प्रखंड स्तर का सहकारी संस्था है और 129 व्यापार मंडलों का चुनाव क्यों नहीं होता है जिसके कारण अधिप्राप्ति नहीं होती है, तो इन चीजों को देखने की आवश्यकता है।

महोदय, अब सहकारी बैंक की बात करें, सहकारी बैंक का जो खाता है, सहकारी बैंक का जो एकाउन्ट है, सहकारी बैंक का जो ड्राफ्ट है वह कहीं मान्य नहीं है महोदय । अगर कोई विधायक, हम सभी विधायक हैं और चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहता है खाता खोलवा कर लाइए । अगर कोऑपरेटिव बैंक का खाता हम खोलवा लेते हैं तो कहा जाता है कि यह मान्य नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है, दूसरे कॉमर्शियल बैंक में खोलवाइये । यानी महोदय, कई नीतियां हैं । अभी कोऑपरेटिव बैक के एकाउन्ट के खाता का वैल्यू

नहीं । अगर इसका चेक काट कर दूसरे जगह देते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक के चेक का वैल्यू नहीं है महोदय । क्यों नहीं है महोदय ? कोऑपरेटिव बैंक को आर.बी.आई. से लाइसेंस प्राप्त है, कोऑपरेटिव बैंक बैलेंस शीट सरकार के यहां भेजती है महोदय और फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां रजिस्ट्रार के सुपरवीजन में काम होता है महोदय ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): आपका समय दो मिनट में खत्म हो रहा है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : ऐसी परिस्थिति में महोदय, बहुत ही मुश्किल होता है । फसल बीमा, फसल सहायता योजना है महोदय । हमारे क्षेत्र अस्थावां विधान सभा में अस्थावां, सरमेरा, बिंद, कतरीसराय में सुखाड़ की स्थिति थी लेकिन वहां पर किसानों को फसल सहायता का लाभ नहीं मिल रहा है । इन चीजों को देखने की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): उनके पार्टी का समय बढ़ाने के लिए आप पैरवी कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हमारे यहां एपेक्स बॉडी बिस्कोमान है जिसका कि 175 सेंटर है। राज्य सरकार के निर्देशन में वह 165 सेंटर 265 रूपया में यूरिया बेच रही है । यह हमलोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, काबिले तारीफ है । हम चाहेंगे राज्य सरकार से महोदय कि पूरे प्रखंड में बिस्कोमान का सेंटर खोला जाए ताकि किसानों को 265 पर जो यूरिया खाद मिल रहा है वह सब जगह मिले जिससे कि किसानों के समस्याओं का समाधान हो सके ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त कीजिए । मौका दीजिए दूसरों को ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, कई गोदाम बने हैं । अब तक महोदय, 5638 गोदाम बने हैं, 440 राइस मिल बने हैं और 46 ड्रायर बने हैं, तो इन योजनाओं को और लागू करने की जरूरत है । हरेक पैक्स में, हरेक व्यापार मंडल में गोदाम हो महोदय...

सभापति: अब समाप्त हुआ आपका ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अभी बहुत कुछ बोलना था महोदय जो जनकल्याणकारी व किसानों के हित में था । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

सभापति (मो0 नेमतुल्लाह): श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव । आपको 10 मिनट टाइम दिया गया है ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय 2019-20 के लिए पेश सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में आज सहकारिता मंत्री माननीय रणधीर जी सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करके आज सहकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं । आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो किसान खेती

करते थे, यह माना जाता था कि जो किसान धोती पहने हुए हैं वही किसान है । लेकिन आज परिवर्त्तन हुआ है सहकारिता के माध्यम से, पैक्सों के माध्यम से कि आज किसान जींस-पैंट पहन कर भी खेती करते हैं और अपने को गौरवान्वित समझते हैं ।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा राज्य के सभी 8463 पैक्सों में मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना अंतर्गत कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि उपकरण क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत् ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराई जा रही है । इस योजना के अंतर्गत कृषि इनपुट का व्यवसाय कर रहे हैं, पैक्सों को ही सबसे पहले कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

महोदय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 5.15 लाख रैयत एवं 6.35 लाख गैर-रैयत सहित कुल 1150 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन निबंधन कराया है ।

महोदय, राज्य की एन.डी.ए. सरकार ने किसानों के हित के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया है । ऐसी योजना शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य है जिसके अंतर्गत एक हेक्टेयर में एक फीसदी से ज्यादा फसल की क्षति होने पर 7500 रूपए एवं 20 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर 10000 रूपए मिलेंगे । उसी प्रकार महोदय, दो हेक्टेयर में एक फीसदी से ज्यादा फसल क्षति पर 15 हजार रूपए तथा 20 प्रतिशत् से अधिक नुकसान होने पर किसानों को 20 हजार रूपए दिए जाएंगे । महोदय, इस योजना से एक करोड़ से ज्यादा किसानों को इकट्ठा लाभ मिलेगा । महोदय, सरकार द्वारा फसल बीमा योजना अंतर्गत 2017-18 मौसम में राज्य के आच्छादित 11.59 लाख किसानों में से लाभान्वित 1.87 लाख किसानों को क्षतिपूर्त्ति राशि का भुगतान किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत रब्बी 2017-18 मौसम में राज्य के 10.99 लाख किसानों को आच्छादित किया गया है ।

महोदय, खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में अब तक 1.98 लाख किसानों का ऑनलाइन निबंधन किया जा चुका है और 4 फरबरी, 2019 तक 46 हजार रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को 3.22 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है ।

महोदय, राज्य सरकार ने रब्बी विपणन मौसम 2018-19 अन्तर्गत 3128 किसानों से लगभग 17,504 मे0ट0 गेहू की अधिप्राप्ति की गई है ।

महोदय, सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों से सब्जी का संग्रहण, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, सब्जी हाट लघु शीत भंडारण आदि की व्यवस्था हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत पाइलॉट प्रोजेक्ट के रूप में पांच जिलों पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय एवं नालन्दा का चयन किया गया है ... क्रमशः

टर्न : 16/कृष्ण/09.07.2019

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्रमशः) : इस कार्य हेतु अब तक उक्त प्रखंड में 10 हजार वर्ग फीट प्रति प्रखंड भूमि का भी चयन कर लिया गया है । महोदय, राज्य सरकार ने 2018-19 में पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में 2.5 लाख मे0 टन भण्डारण क्षमता वृद्धि हेतु 200 मे0 टन, 500 मे0 टन एवं 1000 मे0 टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिये 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत चक्रिय पूंजी उपलब्ध करा रही है ।

महोदय, 2018-19 में पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में 2 मे0 टन प्रति घंटा मिलियन क्षमता के लिये 90 विद्युत आधारित चावल मिल स्थापना के लिये कार्य कर रही है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा सभी 534 अंचलों में ऑन लाईन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है तथा सभी 3.25 करोड़ जमाबंदी का डिजिटाईजेशन कर आमलोगों को अवलोकन हेतु वेबसाईट पर अप लोड कर दिया गया है । इसके साथ ही 534 अंचलों को ऑन लाईन भुगतान हेतु अधिसूचित कर दिया गया है । सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में नये सिरे से भूमि का सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिये विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत नालन्दा, शेखपूरा, मुंगेर, बेगुसराय, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपूरा और सुपौल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है ।

सभापति महोदय, बिहार सरकार के साथ-साथ जो हमारे केन्द्र सरकार हैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों के प्रति लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बिहार सरकार के सहयोग से दोगुनी हो । उस पर, चाहे हमारी सरकार हो, भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, पूरा काम कर रही है ।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना की शुरूआत की है, जिसके तहत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रूपये की राशि जा रही है । महोदय, किसान पेंशन योजना की शुरूआत की गयी है, जिससे किसानों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है । महोदय, केन्द्र सरकार ने अनाजों के समर्थन मूल्य को अधिप्राप्ति रूप से बढ़ाने का काम किया है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में बहुत बड़ा कदम है ।

महोदय, यूरिया को नीम लेपित कर दिया गया एवं भारत सरकार ने नियम बनाया कि विदेश से जो भी यूरिया आ रहा है, उसे बंदरगाह पर ही नीम कोटेड कर के ही मार्केट में लाना है । महोदय, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, पहले किसान यूरिया के लिये जाते थे, वहां लाठियों चलती थी, वहां लाईन लगायी जाती थी लेकिन आज

मुझे कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज जब किसान यूरिया के लिये जाते हैं तो वहां उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको यूरिया मिलती है । मैं बताना चाहूंगा कि जगह-जगह पर हमारी सरकार ने इफको बाजार का निर्माण भी कराने का काम किया है । महोदय, भारत सरकार ने बिहार सरकार के माध्यम से किसानों के लिये बहुत बड़ा कदम उठाया है । मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बक्सर, पूर्णियां में गोकुल मिशन की स्थापना की है । गोरौल में केला अनुसंधान की स्थापना की गयी है। पूसा कृषि विद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है ।

महोदय, पीपरा कोठी में इसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वाणिकी उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गयी है । ब्राजील के सहयोग से भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केन्द्र, पीपरा कोठी में खोला गया है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका समय समाप्त हो गया । अब आप समाप्त कीजिये।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी में 45 हजार एकड़ में लीची की खेती होती है । मेहसी लीची उत्पादन में अग्रणी है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह ) : आप का 7 मिनट समय है ।

श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गयी है, 19 लाख 97 करोड़ 70 लाख, 24 हजार का मैं उसके विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं।

महोदय, सहकारिता सामाजिक, आर्थिक और किसान सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है । साथ-साथ हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं लेकिन जिस तरह से पैक्स में और सहकारिता में बजट बढ़ाया गया है, अच्छी बात है, बजट बढ़नी चाहिए । लेकिन बजट बढ़ने के साथ-साथ किस मद में और किस तरह खर्च किया जा रहा है और किस तरह खर्च हो, इस की भी निगरानी होनी चाहिए । जिससे जो हमारा बजट है, वह निर्धारित हो पाये और आम लोगों तक, किसानों तक पहुंच पाय । साथ-साथ जो धान की खरीद, मक्के की खरीद होती है और किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण अधिकतर किसान औने-पौने दाम में बिचौलियों के हाथों बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं । अगर सही समय पर किसानों को उसका मूल्य मिल जाय तो हम समझते हैं कि पैक्स और मजबूती की ओर बढ़ेगा और जिससे हर किसान को सही रूप से, जो उनकी खेती का सही आय होगी, वह उसे प्राप्त हो पायेगा । महोदय, साथ-साथ कई ऐसे पंचायत हैं, जहां पर गोदाम हैं और कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर गोदाम नहीं है, इसलिए हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि कम से कम

हर पंचायत में गोदाम बनाने की व्यवस्था की जाय ताकि उस पंचायत का किसान जो अपना अनाज बाहर भेजते हैं, अपने पंचायत स्तर पर ही उनका रख-रखाव हो सके ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कटिहार और खासकर कोढ़ा आये थे, अपने दौरे के दरम्यान और उन्होंने वहां पैक्स गोदाम का उद्घाटन भी किये थे और उन्होंने यह भी वहां घोषणा किये थे कि हम यहां पर एक राईस मिल की स्थापना करेंगे क्योंकि वहां धान की खेती अधिक होती है । अगर हमारे यहां एक राईस मिल की स्थापना खासकर रजवाड़ा पंचायत, जहां वे गये तो वहां पर उन्होंने घोषणा भी किये थे लेकिन अभी तक न वहां जमीन की व्यवस्था की गयी है और न राईस मिल खोलने की किसी प्रकार की व्यवस्था ही की गयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वहां एक राईस मिल की स्थापना की जाय, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का सम्मान हो सके ।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये जो व्यवस्था की गयी है शब्जी उत्पादन, उसके बाद मधुमक्खी पालन कई ऐसी योजनायें महिलाओं के लिये लायी गयी है, जिस तरह से वह विकसित होनी चाहिए, खासकर महिलाओं की भागीदारी होने के लिये, अभी तक उतनी अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं हो पायी है, जिसके कारण आज महिलायें सहकारिता विभाग से जो कार्य हो रहे हैं, उससे महिलायें काफी दूर है ।

क्रमशः

टर्न-17/अंजनी/दि0 09.07.19

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : क्रमशः... और किस तरह से अधिक-से-अधिक महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जाय, जिससे कि महिला आत्मनिर्भर बन पाये और उनकी व्यवस्था हो पाये । इसके साथ अभी जो किसान की हालत है, हमारे यहां सीमांचल, सीमाचंल में बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं, जिसके कारण एक फसल मात्र उस सीमांचल की धरती पर होता है और दूसरी फसल नहीं उगा पाते हैं । इसका कारण यह है कि बाढ़ से कई ब्लॉक प्रभावित रहने के कारण एक ही फसल हो पाती है । उनको सही ढ़ंग से जो मुआवजा मिलनी चाहिए, वह मिल नहीं पाता है, आधा-अधूरा ही मिल पाता है । कई ऐसे ब्लॉक हैं आमदाबाद है, प्राणपुर है, कुछ कोढ़ा के क्षेत्र हैं, उस एरिया में कुछ मुआवजा, पूर्व में जो बाढ़ आयी थी, जिसके फसल खराब हो चुके थे, उसकी समीक्षा भी हुई और सारा रिपोर्टिंग भी हुआ लेकिन जो मुआवजा मिलनी चाहिए, लगभग 50परसेंट के आस-पास ही मिला था, 25 परसेंट और भी बकाया है, इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि

अगर उनका भी बकाया मुआवजा मिल जाय, जिससे उनकी व्यवस्था सही ढ़ंग से हो पाये । साथ-साथ, आज किसान की हालत खासकर, जिस तरह से हमारे यहां खेती की व्यवस्था है, वहां पर बालू-ही-बालू है । अभी बाढ़ में कई ऐसे खेतों में बालू आ गये हैं, जिसके कारण पूरा खेत खराब हो चुका है, उसका भी सरकार के माध्यम से एक व्यवस्था है कि उसकी सफाई करायी ताकि किसान फिर से फसल लगा पायें। है लेकिन उसमें अभी तक कोई खास व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गयी है । इसका भी प्रावधान है, जिनको कराया जाय ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब समाप्त किया जाय ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : और साथ-साथ सहकारिता विभाग की तरफ से चुनाव की व्यवस्था अच्छी, सुदृढ़ और मजबूत करने का प्रयास किया गया है लेकिन मेम्बरशीप के लिए सरकार के स्तर पर जो व्यवस्था है कि हर घर में एक मेम्बर हो, जब मेम्बरशीप सही ढ़ंग से चलेगी और हर घर में एक मेम्बर होंगे तो हम समझते हैं कि आप सहकारिता को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और यह तभी होगा जब हमारे हर घर में , हर किसान इससे जुडें, तभी हम इसको मजबूत कर पायेंगे । इसी के साथ, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार जी, आपका समय 15 मिनट है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : हो सकेगा तो कुछ समय बढा दीजियेगा । सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और अनुदान मांग के विरोध में बोलने का मौका जो प्राप्त हुआ है, सबसे पहले हम जहां से जीतकर आये हैं हरसिद्धि के मतदाताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और साथ-ही हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया है । महोदय, सवाल है कि 2019-20 के लिए प्रस्तावित बजट 19 अरब 97 करोड़ 70 लाख 24 हजार रूपये के अनाधिक राशि में से 10/-रूपये की राशि घटाने की । महोदय, हम निश्चिततौर पर कहना चाहेंगे कि किसानों की जो कृषि कार्यों में सहयोग के लिए ऋण भुगतान की व्यवस्था कर राज्य की कृषि उपज में व्यापक सुधार की अवधारणा से यह सहकारिता विभाग काम करती है । महोदय, जो आज हालत और स्थिति है, हमारे सहकारिता मंत्री मित्र और साथी हैं और मेरे जिला से आते है, हम निश्चिततौर पर इनके कार्य करने की क्षमता को जानते हैं लेकिन सरकार की उदासीनता इनके कार्यों पर भारी पड़ रही है, जिसके वजह से विभाग निश्चिततौर पर किसानों के

हितार्थ काम नहीं कर पा रही है । महोदय, आज सहकारिता विभाग पर माफिया का बोलबाला और माफिया का ही चल रहा है, सरकार में मंत्री जी का नहीं चल रहा है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है । महोदय, सरकार किसानों से धाान क्रय कर चावल मिलों से चावल बनाने का कार्य करने में चावल मिल को 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया है लेकिन चावल मिल के माफिया चावल की कुटाई नहीं करते हैं, चावल की कुटाई होता नहीं महोदय । ये एस0एफ0सी0 से जो माफिया हैं, वह गोदाम से कागज में उठाव करते हैं और सप्लाई भी कागजों के माध्यम से हो जाता है, निश्चिततौर पर भारी कालाबजारी का सेंटर यह बना हुआ है । चावल को खरीदकर पैक्स को दे देते हैं और यदि ये चावल तैयार करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिल में बिजली की खपत होती तो बिजली बिल कहां है, यह स्पष्ट होना चाहिए। महोदय, यदि डीजल की खपत हो रही है तो डीजल की रसीद होनी चाहिए । यह जांच का विषय है महोदय । निश्चिततौर पर यदि बिजली चोरी कर मिल चला रहा है तो यह भी जांच का विषय है । पैक्स द्वारा फर्जी अधिप्राप्ति दिखलाकर कागज पर ही अधिप्राप्ति हो रहा है और कागज पर ही मिलर भी फर्जी कागज पर ही आपूर्ति दिखाकर पैसे का बंदरबांट चाहे वह नीचे हो या उपर हो, वह बंदरबांट हो रहा है । महोदय, निश्चिततौर पर यह कहा जा सकता है कि इस तमाम् प्रक्रिया में किसान कहीं भी नहीं है । यदि है तो माफिया, जिसकी चर्चा पूर्व में ही किया जा चुका है । महोदय, एक चावल मिल के लिए अनुदान लेने हेतु दो लाख रूपये तक का कमीशन की चर्चा है, हमने देखा है और यह जांच का विषय है, हम निश्चिततौर पर मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जहां से आप आते है, वहां का यह विषय है । अगर कहियेगा तो मैं अलग से उस व्यक्ति के संदर्भ में बतलाने का काम करूंगा । यह विकास विरोधी माफिया का है, इसे सहकारिता नहीं कहा जा सकता है, किसान की बात करना निश्चिततौर पर बेईमानी होगी । क्या कोई भी सहकारी समिति लाभ में है ? हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी कि आपकी जितनी भी सहकारी समितियां हैं, वह सभी-के-सभी घाटे में जा रही है । आखिर कारण क्या है ? क्या वजह है, हम निश्चिततौर पर राज्य का एकमात्र चर्चित सहकारी संस्था जो सुधा पटना में है, उसकी स्थिति के संबंध में हम बतलाना चाहेंगे । जबकि यह संस्था केवल सरकार के पैसे से चल रही है । दूध का दाम बढा है लेकिन किसान जो दूध की आपूर्त्ति देते हैं, उनके दर पर यदि नजर डालियेगा तो जो दिन-रात एक करके दूध का उत्पादन करता है, उनके मेहनत का आप जब आकलन करियेगा तो उनको जो इसके बदले` पैसे मिलते है, वह काफी कम हैं महोदय । महोदय, निश्चिततौर पर बढ़े हुए दाम पर भुगतान होना चाहिए तो किसानों के प्रति यह सरकार बहुत ही उदासीन है । हम निश्चित तौर पर

कहना चाहेंगे कि आये दिन बिहार में विभाग के पदाधिकारियों में अवार्ड की व्यवस्था हो रही है, अवार्ड दिया जा रहा है, हम निश्चिततौर पर कहना चाहेंगे, यह दौर चला है और सहकारिता में कोई भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या यहांतक राज्यस्तरीय अवार्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है । हम बहुत तकलीफ में है, हम दु:खी इस मामले में हैं । हमें उम्मीद था कि हमारे यहां के मंत्री हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, इनके विभाग को जब अवार्ड मिलेगा तो हमारा चम्पारण गर्वान्वित होगा और हमलोग भी गर्वान्वित होंगे । इस विषय में हम बतलाना चाहेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक निश्चिततौर पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक और सहकारिता को जमीन पर उतरानेवाले वर्गीश कुरियन को भुलाया नहीं जा सकता लेकिन आज हालात क्या हैं ? चारों तरफ हंगामा है, चारों तरफ बातें आती है, अवार्ड पर अवार्ड दिया जा रहा है लेकिन ऐसे शख्सियत को अगर भुलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बेईमानी हो रही है, इसलिए हम मांग करते हैं सदन के माध्यम से कि माननीय मंत्री जी आप पहल कीजिए और जो काम उन्होंने किया है, निश्चिततौर पर उनके प्रति आप उदासीन मत होइए, जिम्मेवार बनिए । हम चाहेंगे कि उनको भारत रत्न का अनुशंसा कीजिए और उन्हें भारत रत्न की उपाधि दिलाने का प्रयास कीजिए, यह हम आपसे कहना चाहेंगे ।

क्रमश:

टर्न–18/राजेश/9.7.19

श्री राजेन्द्र कुमार, क्रमश: यह हम आपसे कहना चाहेंगे । निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने दूध के मामले में देश ही नहीं दुनिया में परचम लहराने का काम किये थे, दुनिया के स्तर पर यहॉ के नाम को ऊंचा उठाने का काम किये थे, गुजरात को स्वावलंबी बनाने का काम किये थे, वैसे व्यक्ति को अगर आप उपेक्षित करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर यह बिहार की धरती जो सहकारिता विभाग है, उसपर कलंक लगेगा, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि निश्चित तौर पर आप पहल करें, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित करने के लिए पहल आपके द्वारा होना चाहिए ।

महोदय, बुनकर सहयोग समिति है आपके यहॉ, बुनकर सहयोग समिति की स्थिति बद से बदत्तर है,आप अपने यहॉ भी देख सकते है तथा अन्य जिलों की स्थिति को भी देख सकते हैं, हर जगह बुनकरों की स्थिति काफी खराब है, निश्चित तौर पर वह भगवान भरोसे है, चाहे वह भागलपुर की धरती हो, दरभंगा की धरती हो या अन्य जिला की बात को ले लें, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, चाहे वह भागलपुर की धरती हो या दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, मधुबनी तो

ऐसे ही चर्चित है, जहाँ के कपड़े ले करके बड़े जो व्यवसायी हैं, वह बंगलोर एवं अन्य जगहों पर सप्लाई करके मोटी रकम कमाने का काम करते है लेकिन जो उत्पादित करने वाले लोग हैं, आज वे हॉसिये पर है, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, हम माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर यह जो आज बुनकरों का जो रोजगार है, वह मृतप्राय हो गया है, आपके अंदर जो क्षमता है, आप डरिये नहीं, सहमिये नहीं, निश्चित तौर पर आप पहले इधर थे, मैं जानता हूँ आपको कि आपके दिल में गरीबों के प्रति और व्यवसायियों के प्रति दर्द है, इसलिए मुझे उममीद है कि आप उधर जाकर जो अपनी क्षमता को दबाकर रखे हुए हैं, हम सभी विपक्ष आपके साथ हैं, निश्चित तौर पर इन गरीब बुनकरों का रोजगार मृतप्राय हो गया है, आप इसके प्रति जवाबदेह बनिये और उनके कल्याणार्थ उनके प्रति आप सोचेंगे, यह हम आपसे उम्मीद करते हैं । महोदय, राज्य में प्रबंधन लॉ के नये-नये संस्थाएँ खोला गया है, कई राज्यों में प्रबंधन के लिए नये-नये संस्थाएँ खोले गये हैं लेकिन सहकारिता का कोई भी नया संस्था यहाँ पर नहीं खोला गया है, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि सहकारिता ऐसा विभाग है, यह विभाग कई विभाागों के कल्याणार्थ एक साथ समाहित करके वह विकास के सभी क्षेत्रों का रास्ता को प्रशस्त्र करता है, इसलिए राज्य में प्रबंधन लॉ की नयी संस्था कैसे खुले सहकारिता का, इस संबंध में भी पहल करने का आप प्रयास कीजिये, यह मैं आपसे आग्रह कहना चाहता हूँ । इसके साथ ही हम चाहेंगे कि एक नया बहुउद्धेशीय संस्था होना चाहिए, इस दिशा में आप प्रयास करेंगे, यह हम सभी आपसे उम्मीद रखते हैं.....(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आप दो मिनट में खत्म कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार: महोदय, आज जो सहकारिता विभाग में 2018-19 के बदले 2018-20 में प्राक्कलन राशि 10033.49 करोड़ रुपये की वृद्धि तो हुई है, परन्तु विभाग के उदासीनता के कारण किसानों का ससमय मदद नहीं हो रहा है । महोदय,आज निश्चित तौर पर राज्य में किसानों की धान और गेहूँ की खरीदारी जो होती है, वह नमी का बहाना करके ससमय उनके धान की खरीदारी करना, आप समझ सकते हैं, आज हालत उनकी क्या है, वे अपने बच्चों का सही रुप में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वे अपने बच्चों को अच्छा इन्सटिच्यूट में पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता घोर निंदनीय है, इसलिए निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे, आप युवा साथी है, माननीय मंत्री जी किसान परिवार से आते हैं, हमारा चंपारण आप जानते हैं सब्जी के क्षेत्र में हमारे चंपारण की स्थिति क्या है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर हम आपसे कहना चाहेंगे और विभाग है, लगता है कि बी0जे0पी0 की सरकार जो इंडिया की सरकार है, आपके मंशा और

मिजाज पर भारी पड़ी और एक नया मॉडल जो आपने बनाया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जी के मामले में जो मामला आया है, सहकारी शब्द रखा है, इस क्षेत्र में चार या छः जिला को लिया गया, हम बड़ी उम्मीद किये थे कि चंपारण की धरती से आप मंत्री बने हैं, चंपारण के लोग बड़ा ही उम्मीद लगाये हुए हैं आपसे लेकिन चंपारण सब्जी के उत्पादकता में जो नंबर वन स्थान रखता है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता और आप उस जिला को वंचित कर दिये, क्या सदन ने आपको इस चीज से दबा दिया और आप मान गये और दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे, हम चाहेंगे दो मिनट और हमें समय दिया जाय और गरीब से ही जुड़ा हुआ भूमि एवं राजस्व विभाग आता है । महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज गरीबों के बीच जो पर्चा उपलब्ध है, कहीं भी यह पर्चा सिर्फ कागजों में है, आज आपका अमीन कहीं भी नहीं है, राजस्व कर्मचारियों की कमी है, एक राजस्व कर्मचारी तीन-तीन पंचायतों को देखते हैं और हम इस चीज का भी दावा करते हैं और निश्चित तौर पर हम इस दावा पर हमारे पक्ष और विपक्ष के साथी भी इसपर विचार करेंगे कि आज आपके यहाँ लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला है, आज चारों तरफ विधि-व्यवस्था का मामला उत्पन्न हो रहा है, उसमें नम्बर वन स्थान भूमि विवाद है और भूमि विवाद की वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीबों को पर्चा देने के लिए आपने कहा था-तीन डिसमिल जमीन देने के लिए, किन गरीबों को मिला है और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि गरीबों को पर्चा मिला नहीं और सरकार एक नई नियम लायी लोक अदालत..... (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर देंगे । हम कहना चाहेंगे कि लोक अदालत में अगर कोई अतिक्रमण का केस करता है और गरीब रोड के किनारे अपने बच्चों को ले करके गुजर-बसर करते हैं, उनको एक भी धूर जमीन बसने का नहीं है और महोदय बिना ही वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए उस गरीब को न्यायालय का हवाला दे करके उजाड़ दिया जा रहा है, वह आज बच्चा को ले करके भींगते हुए सरकारी भवनों में छुपने के लिए मजबूर है । महोदय, हम कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर उन गरीबों के लिए जिनको कोर्ट का हवाला दे करके आप उजाड़ने का काम करते हैं, आप पहले अपने पदाधिकारियों को आदेश करिये कि वे उजाड़ने का काम नहीं करें ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद, 5 मिनट ।

श्री चन्द्रसेन प्रसादः माननीय सभापति महोदय, आज नौवीं अनुपूरक मांग के बजट पर सत्ता पक्ष की ओर से हम अपनी बात को रखने के लिए आपकी कृपा से खड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, आज सहकारिता पर चर्चा चल रहा है, कुछ लोग पहले अपनी बात को रख चुके, सहकारिता पर आज बहस हो रही है, हम कहना चाहते हैं कि सहकारिता विभाग 12 रत्नों में माननीय मुख्यंत्री जी के द्वारा जब कृषि रोडमैप बनाया गया और उस रोडमैप में सहकारिता विभाग को भी एक रत्न के रुप में रखने का काम किया गया, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हुआ है महोदय और हम याद दिलाना चाहते हैं, हमारे मित्र, साथी, लोग कहते हैं कि कटौती के पक्ष में बोलिये, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2005 के उन दिनों को भी याद कीजिये कि जब सहकारिता विभाग को लूट के विभाग के नाम से जाना जाता था, जंगलराज में लूट विभाग और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया गया, तो सहकारिता आंदोलन के रुप में आज सबके सर पर सवार है महोदय । लोग कहते हैं कि भूमि राजस्व विभाग एक अहम मुद्दा है, उद्योग विभाग अहम मुद्दा है, हम पूछना चाहते हैं कि जिस देश का, जिस राज्य का 86 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और सहकारिता विभाग उसी के बदौलत आगे बढ़ाने का काम कर रही है । क्या विभाग है महोदय?

क्रमशः

टर्न–19/सत्येन्द्र/9–7–19

श्री चन्द्रसेन प्रसादः(क्रमशः): सभापति महोदय, सहकारिता विभाग में उन दिनों को हम याद करते हैं जब सहकारिता विभाग के मेम्बर लोग पॉकेट में मेम्बर बनाते थे । वह दिन भी याद कीजिये महोदय, अपने भाई भतीजे, अपने चाचा सब मिलाकर एक पैक्स बनाते थे और जब माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता की ओर उन्होंने ध्यान दिया, माननीय मंत्री राणा रणधीर सिंह जी के नेतृत्व में इस विभाग में एक अजूबा परिवर्त्तन हुआ, नये सिरे से पैक्सों का गठन हुआ, माफियाओं को अलग फेंकने का काम किया गया, परिवर्त्तन आया और प्रत्येक पंचायतों में एक पैक्स का गठन किया गया । यह एक क्रांति था महोदय, उसको क्यों नहीं लोग याद करते हैं, उस क्रांति में पैक्स को खड़ा करने का काम किया गया, फार्मूले बनाये गये, हम जानना चाहते हैं महोदय, वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में आज बिहार सहकारिता के क्षेत्र में काफी कुछ आगे बढ़ा है और 19 अरब 97 करोड़ रू0 का आज बजट पेश किया गया है । महोदय, लोग कहते हैं कि कटौती प्रस्ताव, विभाग को आप बनाना चाहते है, बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की समृद्धि चाहते हैं, राज्य में न्याय

के साथ विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम तो आपसे चाहते हैं कि आप कटौती न कर के और 10 प्रतिशत जोड़ने का काम कीजिये । अगर यह सुबुद्धि आ जाय तो बिहार को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है महोदय। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह के नेतृत्व में जो परिवर्त्तन आया है कि आज मेम्बर ऑनलाईन के माध्यम से बनाया जा रहा है और पहले मेम्बर बनने के लिए अध्यक्ष के दरवाजा पर हाथ जोड़कर गिरगिराते थे कि हमको मेम्बर बना दें । कैसा क्रांति, कैसा क्रांति क्या परिवर्त्तन हुआ महोदय और जहां 86 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित लोग हैं, आज कृषि से लोग अपना भरण पोषण करने का काम करते हैं । हम पूछना चाहते हैं जो कृषि पर आधारित गरीब लोग हैं, आप गांव में जाते हैं, ये लोग महोदय पटना में घुमते हैं, आप किसानों की हालत को समझने का काम कीजिये और सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अजब सोच है, क्या सोच है, लोग पहले धान बेचने के लिए अपने माथा पर लेकर बाजारों में घुमते रहते थे, भैंसा पर लेकर के धान को बेचने के लिए चले जाते थे भैंसा पर लदनी लादकर के और आज प्रत्येक पैक्सों के माध्यम से धान का खरीद हो रहा है और उसके पैसे उनके लाभुक के खाते पर जा रहे हैं, कम्प्युटरीकृत माध्यम से पैसा उनके खातों पर जा रहा है और कैसा परिवर्त्तन चाहिए। जब पॉकेट में पैसा जायेगा तब परिवर्त्तन, महोदय, सदन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यह परिवर्त्तन नहीं, यह तो क्रांति है महोदय, क्रांति है । हमलोग सुनते थे कि दक्षिण भारत राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में वैसे राज्यों में पैक्सों के माध्यम से राजनीति होती है और बिहार में सुनते थे कि पैक्सों के माध्यम से राजनीतिक लोग पॉकेट भरने का काम करते थे जिसे उसको मुख्यमंत्री जी ने ध्वस्त कर दिया । आज वैसे ही लोग सहकारिता आन्दोलन को कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है । महोदय, सहकारिता क्षेत्र में सहकारिता बैंक है, जिसकी भी आज काफी उपलब्धि है,

को-ऑपरेटिव बैंक की आज क्या उपलब्धि है, जाईए आप को-ऑपरेटिव बैंकों में, अपने को-ऑपरेटिव बैंकों में जाईए खेती करने के लिए कर्ज हेतु लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे हम घर के बैंक में चले गये, बहुत आसानी से उनको कर्ज मिल जाता है, को-ऑपरेटिव बैंक का मैनेजर लगता है कि वह भी किसान के मेम्बर हैं ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) अब आप समाप्त करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: यह एक क्रांति है और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में न्याय के साथ विकास की घड़ी में जो यहां की 86 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है, सहकारिता आन्दोलन से निश्चित रूप से बिहार के न्याय के साथ बिकास की गाड़ी को मजबूत

करेंगे और बिहार जय जय की ओर आगे बढ़ेगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: महोदय. आज लोकतंत्र के इस मंदिर में मुझे बोलने का..

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । नेता प्रतिपक्ष कहां हैं ?

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) हां आ चुके हैं, बैठिये । कोई व्यवस्था नहीं है आपका, बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: महोदय, आज लोकतंत्र के मंदिर में मुझे आप बोलने का मौका दिये, मैं इसके लिए हृदय से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कुढ़नी विधान-सभा के महान जनता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनके बल पर मैं आज इस भवन में खड़ा हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह)संजय जी, आपकी पार्टी के ही लोग बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिये उनको ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: महोदय, मैं 2019-20 के लिए पेश कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) अच्छा आपलोग अभी शांत रहिये, उनको बोलने दीजिये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: महोदय, मैं 2019-20 के लिए पेश सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव गरीब किसानों की हालत ठीक किये बिना हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं । महोदय, बिहार में आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार में सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। आज नीतीश कुमार जी की सरकार न्याय के साथ विकास के राह पर चलकर गांव के गरीब किसानों के लिए संकल्पित सरकार बनी हुई है और उनकी स्थिति सुधारने में लगातार लगी रहती है । महोदय, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष किसानों को 6 हजार तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में उनकी स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार अपनी तरफ से दे रही है ताकि किसानों की स्थिति ठीक हो सके । महोदय, किसानों को यहीं तक नहीं, किसानों को पेंशन की भी योजना हमारे भारत की सरकार और बिहार की सरकार मिलकर के करने जा रही है और देने जा रही है । हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के

नेतृत्व में और भारत में आदरणीय नरेन्द्र मोदी भाई के नेतृत्व में किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, फसल लागत का मूल्य दोगुना कैसे हो, इसके लिए हमारी सरकार रात दिन लगी हुई है । महोदय, सरकार किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं तथा बाढ, सुखाड़, ओलापात, प्राकृतिक हवा, चक्रवाती तूफान आदि कारणों से फसलों की क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा प्रदान करने की यह योजना खरीफ 2016 मौसम से राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । (क्रमशः)

टर्न-20/मधुप/09.07.2019

...क्रमशः...

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : इस योजना में किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत एवं रब्बी खाद्यान्न दलहन एवं तेलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है । किसानों के प्रीमियम के बाद शेष जो प्रीमियम बचता है उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार 50:50 परसेंट अनुपात देकर किसानों के क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को लाभ दिया जा रहा है ।

महोदय, सरकार द्वारा राज्य के सभी पैक्सों में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि उपकरण क्रय हेतु 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराई जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत कृषि इनपुट का व्यवसाय कर रहे पैक्स को ही सबसे पहले कृषि यंत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । महोदय, किसानों के लिए आज बिहार की सरकार और हमारे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी की ओर से बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलायी जा रही है । इसके तहत 5.15 लाख रैयत एवं 6.35 लाख गैर रैयत सहित कुल 11.50 लाख किसानों ने ऑनलाईन आवेदन का निबंधन कराया है । महोदय, राज्य की आज एन0डी0ए0 की सरकार किसानों के हित के लिए एक से एक योजना चला रही है । बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया जा रहा है, ऐसी योजना शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है । इसके अन्तर्गत एक हेक्टेयर में 1 फीसदी से ज्यादा फसल की क्षति होने की स्थिति में 7500 रू0 एवं 20 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर 10 हजार रू0 मिलेंगे । उसी प्रकार 2 हेक्टेयर में 1 फीसदी से ज्यादा फसल क्षति पर 15 हजार रू0 तथा 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर किसानों को 20 हजार रू0 दिये जायेंगे । इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को इकट्ठा लाभ मिलेगा ।

महोदय, सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2017 मौसम में राज्य के आच्छादित 11.59 लाख किसानों में से लाभान्वित 1.87 लाख किसानों को

क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत रब्बी 2017-18 मौसम में राज्य के 10.99 लाख किसानों को आच्छादित किया जा रहा है । महोदय, खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में अब तक 1.98 लाख किसानों का ऑनलाईन निबंधन किया जा रहा है । 4 फरवरी, 2019 तक 46 हजार रैयत एवं गैर रैयत किसानों से 3.22 लाख मे0टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है । महोदय, राज्य सरकार ने रब्बी विपणन मौसम 2018-19 के अन्तर्गत 3,128 किसानों से लगभग 17,504 मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की है । महोदय, सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों से सब्जी का संग्रहण, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, सब्जी हाट, लघु शीत भंडारण आदि की व्यवस्था हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की शुरूआत की गई है। इसके अन्तर्गत पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जिलों को चयनित किया गया है । इन जिलों में पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं नालंदा का चयन किया गया है । इस कार्य हेतु अबतक 32 प्रखंडों में 10 हजार वर्गफीट प्रति प्रखंड भूमि का भी चयन कर लिया गया है । महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में पैक्सों, व्यापार मंडलों में 2.5 लाख मे0टन भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु 200 मे0टन, 500 मे0टन एवं 1000 मे0टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत चक्रीय पूंजी उपलब्ध करा रही है । इससे बिहार के किसानों को काफी लाभ मिलेगा । सरकार वर्ष 2018-19 में पैक्सों, व्यापार मंडलों में 2 मे0टन प्रति घंटा मिलींग क्षमता के लिए 90 विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ, की स्थापना के लिए कार्य कर रही है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा सभी 534 अंचलों में ऑनलाईन दाखिल-खारिज प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तथा सभी 3.52 करोड़ जमाबंदी को डिजिटाइज कर आम लोगों के अवलोकन हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त सभी 534 अंचलों को ऑनलाईन भुगतान हेतु अधिसूचित किया गया है। माननीय मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी जब से राजस्व विभाग को सम्भाले हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में राजस्व के मामले में एक क्रांति आई है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : एक मिनट में आप समाप्त कीजिये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : पहले जिस तरह से दाखिल-खारिज में घोर अनियमितता बरती जा रही थी, अब इनके मंत्री बनने के बाद हम समझते हैं कि पूरे बिहार में, एक बार में तो सभी पुरानी गड़बड़ी खतम नहीं हो सकती है लेकिन उसमें धीरे-धीरे काफी सुधार हो रहा है। महोदय, सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में नये सिरे से भूमि का सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेखों के निर्माण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है

जिसके अन्तर्गत नालंदा, शेखपुरा, मुँगेर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में भू-सर्वेक्षण कार्य हो रहा है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, अंत में मैं आपके द्वारा अपने सरकार को एक अनुरोध करना चाहूँगा । मुजफ्फरपुर जिला सहित उसके अगल-बगल में जितने दो-चार जिला हैं, जैसे- मोतिहारी, सीतामढ़ी और दरभंगा है, इन इलाकों में लीची की अच्छी खेती होती है लेकिन इस बार कुछ अफवाह फैलाने की वजह से किसान काफी दिक्कत में हैं । काफी उनको घाटा हुआ है । व्यापारी लोग को कहीं एक लाख रू0 में कोई गाछी अगर किसान बेच चुका है, तो उसको 10 हजार रू0 एडवांस दिया था लेकिन 90 हजार रू0 बाकी रह गया, किसान को छोड़कर व्यापारी भाग गया । इसलिये काफी कष्ट में किसान हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका मुआयना कराकर, इसकी जॉच कराकर हमारे किसान भाईयों को उसका क्षतिपूर्ति मिले । इन्हीं बातों के साथ आपने मौका मुझे बोलने का दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : श्री आनंद शंकर सिंह । आपका समय 7 मिनट है ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, आज मैं सहकारिता विभाग के प्रस्तुत बजट के विरोध में एवं विपक्ष द्वारा इस लाये गये कटौती-प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गॉव में बसती है और उनकी ही यह परिकल्पना थी ग्राम स्वराज की, जिसकी तीन प्रमुख कड़ियॉ अगर हम देखें तो एक ग्राम पंचायत है, दूसरा सहकारिता है एवं तीसरा सर्व शिक्षा है । सहकारिता एक महत्वूपर्ण कड़ी है और सहकारिता के बदौलत ही जब औद्योगिक क्रांति भी हुई तो जितने भी विकसित देश चाहे वह चीन हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे जापान हो, सहकारिता के बिना उनकी उन्नति की जो गिनती है, वह पूरी नहीं हो पाती थी । आर्थिक मंदी के दौर में जब अमेरिका जूझ रहा था, उस समय भारत एक मजबूत अर्थ-व्यवस्था के रूप में खड़ा था, अडिग था । अगर उसमें देखा जाय तो सहकारिता का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है । हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति हो, उसकी बुनियाद अगर देखा जाय तो सहकारिता है ।

महोदय, चूंकि हमलोगों को कम समय मिला है, माननीय मंत्री जी युवा हैं, नौजवान हैं, काम करने का इनमें लगन है, तो कुछ बिन्दुओं की ओर मैं इनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, खासकर पैक्स की ओर मैं ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ क्योंकि प्रभावी संस्था के रूप में पैक्स ही है जो निचले स्तर पर जाकर अच्छे से काम कर रही है । महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि पैक्स अध्यक्षों का तो चुनाव हमलोग करते हैं लेकिन पैक्स प्रबंधक जो कि लोकल रूप से पैक्स अध्यक्षों के द्वारा उसका

चुनाव होता है, तो पैक्स प्रबंधक जो हो, कम से कम सरकार के द्वारा मानदेय उसको मिले, वह सरकार के विहाफ में पैक्स के लिए काम करे । क्योंकि जब पैक्स अध्यक्ष हार जाता है तो बहुत सारे कागजात ऐसे होते हैं जो पैक्स प्रबंधक के पास होते हैं और वह उन सारे कागजातों का चाहे जो भी डाटा हो, ब्यौरा हो, सब ब्यौरा लेकर, फिर से शुरूआत कीजिये । तो कम से कम उस चीज की ओर निश्चिंतता मिल जायेगी लोगों को और एक व्यक्ति मिल जायेगा । ....क्रमशः...

टर्न-21/शंभु/09.07.19

श्री आनन्द शंकर सिंह : क्रमशः..और व्यक्ति मिल जायेगा जो कम से कम आपने सोचा है कि हर जगह हम पैक्स का सरकारी औफिस बनायेंगे हर पैक्स में तो वहां पर एक व्यक्ति मिल जायेगा जो वहां पर बैठकर लोगों की मूलभूत समस्याओं को सुनेगा । कंप्यूटराइजेशन की बात की, आज किसानों की क्या हालत है चाहे वह लौन के लिए अप्लाय करना हो, चाहे धान देना हो उसके लिए रजिस्टर कराना हो अपने आप को, चाहे सदस्य बनना हो सभी कुछ कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, लेकिन स्थिति क्या है ? किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह मार्केट जाय वहां जाकर चक्कर लगाये औफिसों के और फिर निराश होकर वापस लौट जाय, कभी सर्वर डाउन है तो कभी बाबू नहीं बैठे हैं तो इन सब चीजों से निजात दिलाइये । कंप्यूटराइजेशन का है तो वहां पर लोकल लेवेल में जो पैक्स का औफिस है वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था हो उनको यह सुविधाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर वहीं उनको व्यवस्थित तरीके से मिले । मैं औरंगाबाद के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा आइ0सी0डी0एस0 योजना के तहत आपने सभी पैक्सों को कंप्यूटर देने का एलान किया है विभाग की तरफ से लेकिन आज तक यह प्रावधान भी ले लिया गया है कि हां देना है कंप्यूटर सबको लेकिन आज तक कंप्यूटर पैक्सों को नहीं मिला । जब प्रस्ताव पारित हो चुका है, लोकल लेवेल पर मीटिंग हुई तो फिर क्यों डिले हो रहा है, डिले का कुछ कारण समझाता हूँ । डिले का कारण ये है कि जो जाकर चढ़ावा चढ़ायेंगे उनके यहां कंप्यूटर जायेगा, जो चढ़ावा चढ़ायेंगे उनके यहां गोदाम बनेगा, उनको गोदाम एलॉट होगा, जो चढ़ावा चढ़ायेंगे उनका राइल मिल बनेगा । उनको सबसे पहले मिलेगा तो कम से कम इसपर ध्यान दें । इसको दूर करने का प्रयास करें । धान अधिप्राप्ति की बात सबसे बड़ा मुद्दा है । महोदय, सी0सी0 लिमिट 20 प्रतिशत- लेंगे और जब वो पैसा किसानों को देंगे, चावल जब चला जायेगा, मिलों से जमा हो जायेगा तब जाकर फिर उनको पैसा मिलेगा उस प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है ये कभी

पदाधिकारियों ने देखा है या माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है कि प्रोसेस में कितना टाइम लगता है । जब पैसे की एवेलेबिलिटी नहीं होगी तो किसान तो ऐसे ही दौड़ता मर जायेगा । किसान इतना मेहनत करता है मेहनत करके सबकुछ करके लाकर देता है पैक्स को और पैक्स में आप लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं । मान लीजिए लक्ष्य आपने 20 प्रतिशत निर्धारित किया, 30 प्रतिशत निर्धारित किया तो जो 70 परसेंट बचा है किसान कहां जायेगा, किसको देगा ? ऐसा ही एक वाकया हुआ हमारे यहां वर्मा पैक्स है, सहकारी पैक्स - मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पैक्स अध्यक्ष को प्रोत्साहित किया गया । आज के डेट में वह 10 करोड़ रूपया गरीब किसानों का, पिछड़ों का किसी ने खेत बेचकर जमा किया बेटी की शादी करने के लिए वह पैसा पूरा लेकर भाग गया आखिर क्यों ऐसा हुआ ? सहकारी बैंक होते हुए आज वहां के किसान जूझ रहे हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा ? ठीक है हमलोगों के आंदोलन के बाद पैक्स अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज एक साल होने को है मैं जानना चाहता हूँ कि उन गरीब किसानों का पैसा कैसे वापस मिलेगा ? उसके लिए क्या तंत्र है आपका, किस प्रकार से जो पैसा जमा हुआ सहकारी बैंक में वह पैसा कैसे उन लोगों को लौटेगा ? उसके लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है । किसान दर-दर भटकता चल रहा है, लोग कोर्ट में जाकर चक्कर लगाते-लगाते मर जायेंगे तब क्या उनको पैसा मिलेगा ? उसके लिए समुचित तंत्र की व्यवस्था की है मंत्रालय ने यह कम से कम अपने भाषण में बताने का काम करेंगे ।

सभापति(मो नेमतुल्लाह) : अब समाप्त कीजिए, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : उसके अलावा सी0एम0आर0 चावल की आपूर्ति के लिए कम से कम पैक्स वाइज रोस्टर बनाया जाय जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा । आज के डेट में 35 रू0 प्रति क्वींटल चढ़ावा चढ़ता है तब जाकर जमा होता है, 35 रू0 प्रति क्वींटल हो सकता है और भी ज्यादा हो । लॉट में 540 बोरा देना होता है तो 544 बोरा लेता है । यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है । माननीय सदस्यों ने भी अपने आवाज को उठाया है, लोगों को बताया है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि खादी इंडिया करके देखे होंगे जब आप दिल्ली भिजिट करते होंगे । खादी इंडिया करके एक दूकान है कनॉट प्लेस में मॉल की तरह बनाया है और जब उसमें जायेंगे तो भीड़ लगी रहती है- क्या है वहां ? इन्हीं सहकारी समितियों के द्वारा बनाये गये टूथपेस्ट, तेल, पावडर, आटा, चावल, दाल, कपड़ा खादी का ये सब ऐवेलेबल होता है तो क्या बिहार हमारा कोई कमजोर है- भागलपुर का सिल्क है आप उसका प्रचार कीजिए, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी का

खादी का कपड़ा है उसका प्रचार कीजिए तो इस तरह से कीजिए सहकारिता का कम से कम एक....

सभापति(मो नेमतुल्लाह) : अब समाप्त कीजिए । अब राष्ट्रीय जनता दल से माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव जी । अब बैठ जाइये आप, बैठ जाइये । आपके पास सात मिनट टाइम है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत विभाग के मांग के खिलाफ और विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । सहकारिता विभाग के बारे में माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे सहकारिता की महत्ता और सहाकारिता कृषि खेत, खेती पर ही आधारित है- चाहे वह फल हो, सब्जी हो सारा उत्पादन खेती से ही होता है, राजस्व से ही होता है और इसी से सहकारिता चलता है । इसलिए माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि राजस्व की कोई महत्ता नहीं है । राजस्व के बिना, भूमि के बिना सहकारिता की कोई आवश्यकता नहीं है और सहकारिता की कोई उपयोगिता नहीं है । राजस्व जैसे मुद्दे पर चर्चा न हो, खेत खेती, खेतिहर के उपर चर्चा न हो उनको जो अलग रखा गया है मेरी समझ से जो प्रोग्राम रखा गया है । आज अंचलों में जो अंचलाधिकारी हैं वे अंचलाधिकारी गैर विभागीय पदाधिकारी होते हैं जिनको राजस्व की कोई जानकारी नहीं है । अंचल में अमीन नहीं, अंचल निरीक्षक नहीं, राजस्व कर्मचारी नहीं और हमारा अंचल चल रहा है, राजस्व चल रहा है जब कोई हैं ही नहीं इसलिए गिलोटिन में अगर राजस्व को रखा गया है तो सही बात है उनकी कोई मांग भी नहीं होनी चाहिए । जब उस विभाग में कर्मचारी पदाधिकारी नहीं हैं तो उनके मांग की भी कोई आवश्यकता नहीं है । यही सोचकर के चर्चा में आज इनको नहीं रखा गया है । जहां तक सहाकारिता विभाग का सवाल है सहकारिता विभाग से गांव, गरीब, गुरूबा, राज्य की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन सहकारिता विभाग इस विभाग को सही मायने में धरातल पर उतारने की अगर मंशा रखे तब । जिस ढंग से जिस रूप में ये किताब छपी है और किताब में जो चमक है, तस्वीर है जिन भी योजनाओं की लाई गयी है यही चमक अगर सरजमीन पर लाने का काम किया जाय तो सही मायने में सहकारिता विभाग से गरीब गुरूबा को लाभ मिल सकता है । लेकिन ये चमक नहीं जिन योजनाओं की इसमें चर्चा की गयी है....

(व्यवधान)

आप बोले हैं राजस्व की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सभापति(मो नेमतुल्लाह) : चलिए छोड़िये उधर इधर देखिए ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : हम औरिजनल और डुप्लीकेट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न–22/ज्योति/09–07–2019

क्रमशः

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, इस किताब, वार्षिक प्रतिवेदन में जो चर्चा है चाहे कृषि यंत्र की बात है, मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के माध्यम से कि किन पैक्सों में आजतक किसी तरह का यंत्र का क्रय किया गया हो । सहकारिता विभाग के किसी भी पैक्स को यंत्र खरीदने के लिए राशि दी गयी हो । राशि नहीं दी गयी और जहॉ तक फसल बीमा योजना की बात है, फसल बीमा योजना की राशि कितने किसानों को मिली ? आजतक किसी किसान को फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिली है। बैंकिंग व्यवस्था सबसे गड़बड़ है । सुपौल, मधेपुरा कोऔपरेटिव बैंक था, उनका अपना मकान है और आज वह मकान खण्डहर में परिणत हो गया है और वहॉ की बैंकिंग व्यवस्था बेगुसराय जिला से आज के समय में चल रही है। पैक्स के लोग जो किसानों से फसल खरीदते हैं उन फसलों की कीमत किसानों को समय पर मिले, उसके लिए आज वहॉ के लोगों को बेगुसराय, बरौनी में दौड़ना पड़ता है और वहॉ सारी व्यवस्था रहने के बाद । मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सुपौल में वहॉ के सहकारिता विभाग के लोगों ने काफी प्रयास करके बैंकिंग व्यवस्था को चालू करने का प्रयास किया था लेकिन आज भी वह बेघर हो गयी है, मैं चाहूंगा कि उस बैंक को पुनजीर्वित करके और जो पुराना बैंक था उस बैंक में राशि को कोऔपरेटिव के माध्यम से दी गयी थी, उन राशियों के बारे में गरीब किसानों को राशि मिले उन खाता से, इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने की व्यवस्था की जाय । यह पैक्स से जो लोग...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : जी, जो लोग फसल खरीदते हैं या बिक्री करते हैं उनको और ये जो बिलिंग का जो मामला है ये दोनों मामला ये जांच का विषय है, उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचचार को भी रोकने की आवश्यकता है । मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसे अच्छी व्यवस्था जमींदारों की व्यवयस्था अच्छी थी जहॉ मुफ्त में चाहे वह गौराईत हो, बड़ाहिल हो ये मिल जाते थे, वे मुफ्त में काम करते थे और वो जो पूंजी होती थी जो असली राजस्व की जो पूंजी है, कागजात है उन कागजातों को वो सुरक्षित रखने का काम करते थे लेकिन आज की आपकी व्यवस्था में जो भी दस्तावेज या अभिलेख है उसको ठीक से रखने का काम आपके कर्मचारी नहीं करते हैं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह ): अब आप समाप्त करें । श्री सत्यदेव राम जी, आपका समय सिर्फ दो मिनट है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, आपने मुझे सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति दी है । मैं स्वागत करता हूँ । महोदय, सहकारिता विभाग के कमियों और खामियों पर खूबियों पर बहस हो रही है । महोदय, पहली बात कहना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो खूबियाँ और खामियाँ तो बतायी जा रही हैं लेकिन पैक्स के जो चुनाव होते हैं, उसमें आपने आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है । हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इसका जवाब आप अपने वक्तव्य में देंगे। महोदय, आज यह दिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन था, गरीबों के लिए बहुत अच्छा दिन था लेकिन इस सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के कारण आज यह गरीबों के लिए काला दिन हो गया है इसलिए कि आज भूमि सुधार विभाग पर सरकार को विस्तृत बहस करनी चाहिए थी । इस सदन में बहस होनी चाहिए लेकिन यह बहस से भाग रही है, यह गरीब विरोधी सरकार है । महोदय, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मैं जानता हूँ कि मेरा टाईम अब खत्म हो गया है इसलिए कि बिहार के जितनी गैर मजरुआ भूदान सिलिंग से फाजिल जमीन पईन पोखर के जमीन पर आपने कब्जा जमा रखा है और सत्यदेव राम का टाईम इसलिए नहीं रहेगा कि वह बोलेगा और पोल खोलेगा । महोदय, डी0 बंधोपाध्याय भूमि सुधार आयोग का गठन सरकार ने की हमने नहीं किया । लेकिन ये डी0बंधोपाध्याय पूरे बिहार का जॉच किया जिसमें बिहार करोड़ो खर्च हुआ और करोड़ो खर्च करने के बाद वह रिपोर्ट आयी तो उस रिपोर्ट को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया और बिहार के खजाना खाली हो गया । उसमें डी0बंधोपाध्याय ने जो अनुशंसा की है, सामान्य बात की अनुशंसा की हे कि बिहार में 21 लाख हेक्टेयर जमीन गैर मजरुआ भूदान की सिलिंग से फाजिल जमीन है और सरकार चाहे तो उन जमीनों को गरीबों में बांट सकती है । लेकिन यह सरकार नही चाह रही है यह जमींदारों के पक्ष में खड़ी हुई है । सरकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पिछले दिनों को याद करेंगे जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी तो बिहार के सारे जमींदार पटना के गांधी मैदान में जा करके और यह घोषणा किए कि अगर डी0बंधोपाध्याय की रिपोर्ट लागू होगी तो हम नीतीश सरकार की खटिया उलट देंगे और मुख्यमंत्री डर गए और उस रिपोर्ट को ठंढे बस्ते में डाल दिया । कहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं है लेकिन हम तो आपको डरते हुए देख रहे हैं ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह): सत्यदेव बाबू, अब समाप्त कीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं । सरकार ने कबूल किया है कि बिहार में साठ प्रतिशत लोग बटाई पर खेती करते हैं । यह सरकार ने कबूल किया है मैं नहीं कह रहा हूँ । जब इतने गरीब इतने लोग बटाई पर खेती करते हैं तो आज बिहार में जरुरत है कि एक नया बटाईदारी कानून बने और बटाईदारों को पहचान पत्र दिया जाय, गरीबों के पक्ष में यह सरकार है तो यह काम उनको करना होगा और माननीय मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए । आज देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो गया लेकिन आज चंपारण में अंग्रेजी कानून चल रहा है ।

सभापति (श्री नेमतुल्लाह) : अब जनता दल यूनाईटेड के श्री ललन पासवान जी ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, सरकार के सहकारिता विभाग , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्ताव के विरोध मे । महोदय, सहकारिता राज्य और राष्ट्र का एक ऐसा परिवर्तन का हथियार है । महोदय, सहकारिता राज्य और राष्ट्र के किसानों, मजलुमों, गरीबों, शोषितो, दलितों अकलियतों के आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाने का एक ऐसा हथियार है जिसे हम सहकारिता आन्दोलन के रुप में कह सकते हैं । दुनिया के हर देश में, राज्यों में सहकारिता का मैंने ऐसा कहा कि अगर इसका हम उपयोग करें तो राज्य को बेहतर बनाने में, राज्य को विकास की ऊंचाईयों पर ले जाने में यह एक बड़ा आन्दोलन और एक बड़ा हथियार है ।

क्रमशः

टर्न-23/09.07.2019/बिपिन

श्री ललन पासवानः क्रमशः... माननीय नीतीश कुमार जी की अगुआई में, माननीय सुशील जी की अगुआई में और माननीय मंत्री राणा रणधीर जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने कोशिश शुरू किया है ।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह): 10 मिनट समय है आपका ।

श्री ललन पासवानः महोदय, हम कहना चाहते हैं कि पहले तो यह सहकारिता विभाग आजादी के बाद कई सरकारें आई, कांग्रेस भी रही है और नवाज साहब बोल रहे हैं, ये भी रहे हैं । सहकारिता लूट का, सहकारिता माफिआओं के आधिपत्य का एक संगठन था । अब तो नीतीश कुमार के आने के बाद बदलाव की कुछ स्थिति आई है कि अब पैक्स का चुनाव और मेम्बर तो कहां से मेम्बर बनते थे, पता नहीं, अब तो एक करोड़ सोलह लाख सदस्य बने हैं । इसमें 32-33 प्रतिशत महिलाएं भी सदस्य बनी हैं, 35 प्रतिशत, नहीं तो सहकारिता कहां था और कोऑपरेटिव बैंक कब लूटा जाता था खाते-खतिहान में, इसकी चर्चा, हम नाम नहीं करना चाहते । हमलोग को सहकारिता पर पूरी जानकारी है । इसलिए

नवाज साहब, छेड़छाड़ मत करिए । बोलने दीजिए । इसलिए, महोदय, सहकारिता, मैंने कहा कि लूट का एक ऐसा जगह था कि पदाधिकारी और नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों ने दिल्ली, पटना, हरियाणा कहां-कहां मकान बना लिया, इसकी चर्चा करना बेतुकी बात है ।

महोदय, इस समय सहकारिता चाहे सब्जी उत्पादन के सवाल पर, प्रसंस्करण के सवाल पर सरकार का बजट है । और कई सवाल हैं महोदय । मेरा इलाका तो धान का कटोरा कहा जाता है, शाहाबाद, जहां सबसे अधिक धान की खेती हुआ करती थी । महोदय, इसलिए पैक्सों का जो ....

(व्यवधान)

महोदय, वह है धान का कटोरा लेकिन शाहाबाद सबसे बड़ा है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि कई सवाल हैं जो बेहतरी के लिए- पहला तो सवाल यह कहना चाहते हैं कि आज भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर गरीबी रेखा से नीचे हैं और त्रिस्तरीय पंचायत में, महोदय, पैक्स उसी में आता है, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को न पैक्स में आरक्षण है, न कहीं, उसके नीचे नेफेड से लेकर बिस्कोमान तक, हम कहीं नहीं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 से 40 प्रतिशत्, 50 प्रतिशत् महिलाओं को दिया है । हम आग्रह भी करना चाहते हैं आदरणीय मंत्री जी से कि इसका भी काम हो कि जो सबसे गरीब तबका है जिसे बड़े परिवर्त्तन, जिसको आप आर्थिक तौर से मजबूत करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार हो और इसका भी काम हमको करना चाहिए । आपने कई बड़े काम किए हैं । सरकार ने 265 रूपए में यूरिया बिस्कोमान के द्वारा 175 सेंटरों पर बांटा है और उसमें साढ़े तीन सौ करोड़ रूपए का बिस्कोमान ने किया और 175 सेंटर बांटा है, हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी इसको राज्य में पंचायत से प्रखंड स्तर पर हमलोगों को ले जाना चाहिए और जो कालाबाजारी है पचासों करोड़ रूपया किसानों का कालाबाजारी से रोका गया, नहीं तो ब्लैक मार्केट में यूरिया बिकता था और यह काम बिस्कोमान ने किया है । हमने तो बिस्कोमान और पैक्स से बेचवाया । सबसे बड़ी बात है कि पैक्स से बेचवाया । इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं । बिस्कोमान के साथ-साथ आपको धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और गेहू से लेकर 57 प्रतिशत अधिप्राप्ति किसानों की हुई है । पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर और हमको बेहतरीन करना चाहिए पैक्सों का और आपके डिफॉल्टर पैक्स हैं, पांच लोग जो मजबूत लोग हैं वो पैक्स अध्यक्षों से कहवा कर उसके मेम्बरों से इस्तीफा करा देता है और डिफॉल्टर करके उस पैक्स को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है । डिफॉल्टर पैक्सों पर कोई अधिसूचना होनी चाहिए कि कोई मेम्बर...

(व्यवधान)

बोलने दीजिए भाई । महोदय, पैक्स का जो आप चुनाव करा रहे हैं और इसमें डिफॉल्टर पैक्स हैं उन पैक्सों को भी, उसके चलते कई डिफॉल्टर पैक्स हैं, उसको रोकना भी चाहिए हमलोगों को ।

(व्यवधान)

बोलने दीजिए न भाई । महोदय, आप कोऑपरेटिव से किसानों को जो के. सी.सी. दे रहे हैं, एक करोड़ सोलह लाख आपने सदस्य बनाया और पांच लाख सिर्फ के. सी.सी. दिए हैं । यह तो किसानों के लिए उचित फैसला नहीं है । आपके जो पदाधिकारी हैं, नीचे चाहे डी.सी.ओ हों, बी.सी.ओ. हों और बड़े पैमाने पर आप के.सी.सी. दीजिए, देने की जरूरत है, तब हमारे किसान समृद्ध होंगे, खासकर बिहार में और यह हम समझते हैं कि न्यायसंगत नहीं है । इसको पूरी तरह लागू करने की जरूरत है कि मैक्सिमम एक करोड़ सोलह लाख आपने बनाया है, महिलाओं को बनाया है और इसमें और संख्या बढ़ाना चाहिए के.सी.सी. का और आप लोन दे रहे हैं कोऑपरेटिव बैंकों से सात प्रतिशत पर । छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश कई राज्य जीरो पर, पंजाब, हरियाणा कई राज्य हैं जो जीरो पर देता है । हम किसानों को, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और देश भी कृषि प्रधान है और हम माननीय नीतीश कुमार जैसे लोग रचनात्मक सामाजिक परिवर्त्तन के सबसे बड़े वाहक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं तो हमको भी बेहतरीन कोऑपरेटिव अगर नीचे तक ले जाएं, सब्जी प्रसंस्करण शुरू कर रहे हैं, महिलाओं को जिससे जीविका को, माननीय मुख्यमंत्री ने नौ लाख से दस लाख पहुँचाया दिया । अगर हम जीविका को टैग करें कोऑपरेटिव के साथ, नीचे ले जाएं जो मुशहरीन की बेटी है, उसकी नातीन, पोती से लेकर आज तक कपार पर झाड़ू और बढ़नी लेकर आज भी जिन्दगी बसर करती है । जब तक दो जून की रोटी के लिए किसानों की खेतों से नहीं कूट कर लाती है फटक कर, हम जी नहीं सकते हैं । हमारे लोगों का परिवर्त्तन पर हम आपसे चिंता का आग्रह करेंगे ।

महोदय, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज रेवेन्यु, राजस्व का भी आज सबसे माननीय मंत्री रामनारायण जी, बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं । हमारे यहां अनुसूचित जाति-जनजाति का लाल कार्ड लंबे समय से, बासगीत पर्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साठ हजार रूपया जिनको जमीन नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं हैं उनको 60 हजार रूपया जमीन खरीद कर देने के लिए फैसला सरकार का है, स्वागत योग्य फैसला है और आज भी लाट पर, दरार पर हमारे लोग बसे हुए हैं । हम आपसे, माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि बासगीत पर्चा, लाल कार्डधारी जो लोग हैं उनको कैम्प लगाकर बड़े पैमाने पर आज भी जमीनों पर जिनका

कब्जा है, वह हटे नहीं हैं तो जिसको वासगीत पर्चा दिया गया है उसपर संज्ञेय अपराध का कानून लागू कर देना चाहिए कि अगर कोई नहीं हटता है तो उसका सीधे गिरफ्तारी हो और उसके जमीन पर कब्जा हो जिसके चलते गरीबों को रहने के लिए जो सरकार का फैसला है, आज भी हम सड़कों पर, गलियों पर, चौराहे पर हम सोते हैं, हमारे लोग सोते हैं ...

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह): ललन पासवान जी, अब आप समाप्त कीजिए । भारतीय जनता पार्टी के श्री रामप्रीत पासवान जी ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट महोदय, एक मिनट । हम आपसे कहना चाहते हैं कि बिस्कोमान में नेफेड एक संस्था है और उस आधार पर इस बिस्कोमान से, नेफेड से दलहन और तेलहन दोनों की खरीदारी, जिस तरह से हम गेहू और धानों की खरीदारी करते हैं तो इन संस्थाओं को और बल देकर तेलहन और दलहन की भी खरीदारी अगर बड़े पैमाने पर हो तो हमारे किसानों को और फसल योजना आप लागू किए हैं, इसलिए महोदय इसपर ...

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह): अब समाप्त कीजिए । रामप्रीत पासवान जी आप बोलिए । आपका समय सिर्फ पांच मिनट है ।

टर्न : 24/कृष्ण/09.07.2019

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में और विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे विपक्ष के साथी आलोचना करते हैं, वे कहते हैं कि सहकारिता विभाग बहुत हल्का विभाग है और राजस्व पर क्यों नहीं चर्चा किये । महोदय, कोई भी विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता है । सभी विभागों का अपना अलग महत्व है और सहकारिता विभाग भी उसमें से एक बड़ा विभाग है । माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार ने जो हमलोगों को सौंपा था, 15 सालों में, अभी हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे, हम मधुबनी जिला से आते हैं, समय भी हमें बहुत कम मिला है, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिल किसने बंद किया ? हमारे यहां एक सूता मिल था, उसे किसने बंद किया ? महोदय, ये बुनकर की बात करते हैं । हमारे यहां जितने भी मुसलमान भाई बुनकर थे, सारे लोगों का बुनकर का काम उन्होंनें बंद किया । तो जिस तरह की सत्ता हम को मिली ।

( व्यवधान )

सुन लीजिये न । समीर जी, कम से कम सुनिये आप । सबसे ज्यादा बुनकर तो आप ही का है । मेरे पास कम है । इसलिए आप कम से कम मेरी बात सुनिये । आपने सारे चीनी मिलों को, सूता मिल को और सहयोग समितियों को बंद किया ।

सहकारिता विभाग किस के जिम्मे था ? एक व्यक्ति के पास सहकारिता था और उसमें पूरा घोटाला था । आप की सरकार तो घोटला के नाम से जाना जाता था, हमारी सरकार तो काम के नाम से जानी जाती है ।

( व्यवधान )

माननीय सदस्य आप अभी तो चुप रहिये । और घोटाला करना है क्या ? हम काम करते हैं और काम में विश्वास करते है । हमारे सहकारिता मंत्री ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में जो काम किया है, कम से कम इतना तो है, हमारे मित्र कह रहे थे, कुछ कमियां है, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं है । लेकिन गरीब आदमी कम से कम रोटी और शब्जी और भात-दाल तो खाता है । जो रिक्शा खींचता था, अब वह टेम्पो चलाता है । इतना तो हुआ है । हमने परिवर्त्तन कर के आप को दिखाया है । आपने कौन-सा काम किया है ?

सभापति ( श्री मो0नेमतुल्लाह ) : आप आसन की तरफ देख कर बोलिये ।

श्री रामप्रीत पासवान : आप का छोटा मन है । छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता है। बड़े मन से बड़ा काम होता है और हमने बड़ा काम करके दिखाया है । सभापति महोदय, पैक्स में कुछ कमियां है, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे साथियों ने कहा है, हमारे अनुसूचित जाति भाईयों का पैक्स में निश्चित रूप से आरक्षण होना चाहिए, सरकार इस पर विचार करे ।

दूसरी बात, अभी भी जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, जो वर्षों से पड़े हैं, वर्षों से उस पैक्स से अमीर हो रहे है और वह छोड़ना नहीं चाहते है, सदस्यता नहीं करना चाहते हैं, ऑन लाईन सदस्यता की बात हुई है, सदस्य लोग बन रहे हैं, लेकिन उसकी गति धीमी है । 1 करोड़ 16 लाख बने हैं, 11 करोड़ जनसंख्या में एक-एक घर में सदस्य बने, इसकी प्राथमिकता निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी दें, मैं इनसे आग्रह करता हूं ।

महोदय, इनलोगों का जो पूर्व से इतिहास है, शाहाबाद में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है, जिसमें बिहार स्टेट मिल्क फेडेरेशन से इसकी जांच हुई है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला और धोखा-धड़ी है । इसका ज्ञापांक 880 दिनांक 28.01.2019 है ।

( व्यवधान )

घोटाला हुआ है । पहले के लोगों ने घोटाला किया है । आप समझ लीजिये किसने घोटाला किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और मैं उसका पत्रांक दिनांक नोट कराता हूं । पत्रांक 880 दिनांक 28.01.2019 । यहां बिहार स्टेट मिल्क फेडेरेशन वाले जांच किये लेकिन अभी तक कुंडली मार कर बैठे हुये हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ।

( व्यवधान )

शाहाबाद घोटाले की बात मैं कर रहा हूं । सहकारिता विभाग के द्वारा समेकित सहकारी विकास योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, शब्जी आधारित सहकारी समितियां प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन या गोदाम अनुदान हेतु अनुदान, पैक्सों का सशक्तिकरण ये सारे काम सहकारिता विभाग के द्वारा हुये हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि पहले से बेहतर पैक्स हुआ है, निश्चित रूप से यह जो समिति है, समिति में जो अध्यक्ष है, निश्चित रूप से सरकार उसको आगे ले जाने का काम किया है । उस काम को निश्चित रूप से करे । मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, आज के इस सभा में आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया मैं सदन और आपके प्रति आभार प्रकट करते हुये आज के इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष के बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, कटौती प्रस्ताव किसलिये जरूरी है, मैं उसपर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये आगे बढ़ता हूं।

महोदय, लोकतंत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लानेवाले और हमारे महात्मा गांधी जी ने एक पंचायती राज की परिकल्पना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने उसको मूर्त रूप दी । सभापति महोदय, इस कार्य योजना में सदन में जो मैं बात रखना चाहता हूं, यह सचमुच यह योजना और सहकारिता विभाग के कई नीतिगत योजनायें हैं, जो 1983 में मिल्क फेडेरेशन का निर्माण हुआ और उपभोक्ताओं को यह सुगमता से मिल रहा है इसकी हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए । लेकिन राज्य सरकार ने जो सहकारी नीति बनायी है उन नीतियों के तहत जो समाज के वृहद् समुदाय के लिये और सबसे पिछली पंक्ति में रहनेवाले लोगों को एक साथ मिलकर, हम अच्छे फसल और खरीफ फसल को सरकार के माध्यम से, सरकार के हस्तक्षेप से उसका क्रय करने के लिये पैक्स का, नेफेड का और मिल्क फेडेरेशन का निर्माण करायें । महोदय, हम इसमें पीछे की ओर नहीं जाऊंगा कि पिछली कौन सरकार थी, लेकिन कुछ बातें माननीय सदस्यों ने आज कही है और वे बोल रहे हैं मैं यह जरूर कहूंगा कि जिसने भी पिछली सरकार में भला किया या बुरा किया, आज उसी विषय पर सहकारिता विभाग पर चर्चा कर रहे हैं, जो आज से 25 साल, 50 साल पहले परिकल्पना किसी दल के नेताओं ने किया होगा और आज सदन के तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग इसको मूर्त रूप देते-देते हम डेयरी प्रोजेक्ट और बरौनी प्रोजेक्ट के बहुत सारे सफल प्रयोग किये, इसमें सभी की सहभागिता है, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी एक

साल के अंदर चुनाव होना पैक्सों का और इस पैक्स में जिस तरह की नीति बनाये हैं कि हम इसमें समाज के वृहद् विशेष कमजोर वर्ग के लोगों को लाना चाहे हैं और उसको सहभागी बनाना चाहते हैं और सदन के माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव यह है कि आप तो नीतिगत फैसले लेते हैं और इसमें समाज के सबसे पिछले पंक्ति में रहनेवाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आप के मतदान की पद्धति में पीछे है, इस कड़ी में वह आप के पीछे छूट रहा है, मेरा सरकार से आग्रह होगा कि इस बार के चुनाव में कि आप यह जरूर प्रयास करें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अतिपिछड़ा लोगों को विशेष रूप से आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह ) : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजेश कुमार : मेरा कहना है कि जो सामान्य जाति के गरीब हैं, वह भी कहीं न कहीं आप के पैक्स के सरकार के योगदान में और जनता के हित में जो उनकी सहभागिता है, वह छूट रहे हैं, उनको भी शामिल किया जाय ।

टर्न-25/अंजनी/दि0 09.07.19

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह ) : राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी । आपका पांच मिनट टाईम है ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, पांच मिनट नहीं, मेरा दस मिनट समय है ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह ) : पांच मिनट है, सरकार का भी उत्तर उसी में है आप ही के समय में ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय मंत्री सहकारिता से मेरा आग्रह होगा संघम शरणम गच्छामि । आपका विभाग है सहकारिता, को-औपरेटिव है तो आपका को-औपरेटिव और कम्परमाइजिंग एटीच्यूड होना चाहिए । आप सरकार में हैं, आपके पिताजी जो हमलोगों के नेता रहे हैं, सब दिन इधर के रहे हैं, आप में वह खून है, आप भी गरीब के प्रति और किसान के प्रति, मजदूर के प्रति जरूर सोच रखते होंगे । मंत्री जी, आपके विभाग में कुछ लोग हैं, जो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं । आम अवाम, गरीब गुरबे तक इस संस्था को ले जाना चाहिए । आज जो अध्यक्ष हैं गांव में चूंकि हमलोग गांव से आते हैं, कुछ लोग जो वर्षों से बने हुए हैं और कोऔपरेटिव उनकी जेब का संस्था बना हुआ है । उसमें आम लोगों को सदस्य नहीं बनने दे रहे हैं । ऐसे आपने बनाया है ऑनलाईन सदस्य बनाने के लिए आपने सहायक निबंधक को इनफोर्समेंट अफसर भी बनाया और वे

कहां तक सफल हो रहा है या उनके वजह से नहीं हो रहा है, यह आपको देखना होगा । गरीब आदमी और किसान खास करके इसके समिति के सदस्य बनें, आज सिर्फ वे कोटा चलाने के लिए आपने डीलर बना दिया, जिनका मुख्य रूप से काम रह गया है गेहूं बेचना, चावल बेचना और ब्लैकमार्केटिंग करना । वे एक व्यवसायी बन गये हैं । धान की अधिप्राप्ति जो आपने करने का दिया है, वह धान की खरीदारी पैसा लगाकर जब शुरू में धान की कटनी होती है तो धान खरीद लेते है मार्केट से सस्ता रेट पर, 1100-1200 रूपये रेट पर वह धान की खरीदारी कर लेते हैं । अपने चहेते लोगों का रिसीट जमा करके और आपका जो धान का सरकारी रेट है, उस दर पर वह धान तौला लेते हैं । इसको आपको देखना होगा कि किसानों के साथ छल और प्रपंच हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए । आप नौजवान हैं, कार्य करने की आप में क्षमता है, लग्न है, मैं आपसे दरख्वास्त, अपील करूंगा कि इस चीज को आप देखने का काम करेंगे । बिहार के कोऔपरेटिव फेडरेशन का अध्यक्ष आजतक न तो कोई पिछड़ा बना, न अतिपिछड़ा बना, न दलित बना और न कोई अल्पसंख्यक बना, इस चीज को भी मंत्री जी आपको देखना होगा । मल्टीस्टेट कोऔपरेटिव जो आपने बनाया बिहार-झारखंड को आज भी कम्फेड में जोड़कर एक जगह रखे हुए हैं । उनको अलग करिए और कम्फेड का आपने जो परिसन फेडरेशन बनाया है, जिसमें मिथिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति, मिथिला संघ पाटलिपुत्रा संघ, शाहाबाद संघ, बरौनी संघ वगैरह-वगैरह, बहुत इसके सदस्य हैं कम्फेड के । जो चेयरमेन होते हैं, वह आप अफसर को बनाते हैं, इसमें कोई किसान का प्रतिनिधि जाना चाहिए चूंकि गाय भैंस किसान पालते हैं, किसान जेठ के दोपहरिया में किस तरह घास काटता है, लोग भादो के कादो में किस तरह गाय-भैंस के लिए घास जमा करता है, खिलाता है दुहता है। हमारे इधर से कांग्रेस के मित्र ने कहा कि आज भी दुग्ध का दाम जो उचित मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है । किसान के लिए आपने संस्था बनाया और उसके एक्जीक्यूटिव अफसर सारे अधिकारी को बना देते हैं, किसान को बनाने में हर्जा है क्या? आप किसान को रखिए, उनको एम0डी0 बनाईए, वे देखें कागज-पतर नियम -कानून को लेकिन उसका अध्यक्ष होना चाहिए कोई किसान ताकि किसान को उसका उचित दुग्ध का दाम मिले । हमने पढ़ा है संस्कृत में मैट्रीकुलेशन में महोदय पढ़ा था- शिशिरे ऋतु अग्नि गाय सम्मानम प्रियदर्शनम क्षीर भोजनम् अमृत तुल्यम् ।

सभापति( श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करिए ।

श्री सीताराम यादव : दुग्ध अमृत समान है और उसका उचित दाम आज 25 रू0 लीटर मात्र है और वह इस रेट पर आज बिक रहा है और वही दुग्ध सुधा कम्पनी आपको 100 रू0 लीटर में बेच रहा है । 100 रू0 किलो दही बेच रहा है । एक लीटर दुग्ध

में एक किलो दही होता है तो 100 रू0 दही वो अमृत कह के दे रहा है लेकिन वह है जहर लेकिन नाम है अमृत । हमलोग भोज में खाते हैं जितने लोग खाते हैं वह नुकशान करता है,आप पता कीजिये नाम अमृत और काम जहर का, जो हम अमृत उनको देते हैं और वे जहर हमको देते हैं हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दोहन हो रहा है हमारे उत्पादन का उचित दाम नहीं मिल रहा है इसलिए माननीय मंत्री जी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इन सब चीजों को देखिए ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करिए । भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी, आपका समय सिर्फ चार मिनट है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज सहकारिता विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष द्वारा लाये गये सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज अपने सरकार आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के साथ-साथ सहकारिता मंत्री सम्मानीय श्री राणा रणधीर जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने सहकारिता विभाग को जिस गति, जिस द्रुत गति के साथ इस बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं, आप विभाग को आगे बढ़ाते रहिये । महोदय,मैं बताना चाहूंगा कि यह वही विभाग है जब 2005 के पहले पैक्स अध्यक्ष के झोले में चलता था पैक्स अध्यक्ष इसको झोले में लेकर घुमते थे । एक झोले में पूरा विभाग रहता था । वर्ष 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी की सरकार में प्राधिकार का गठन कर के ये बिहार देश का पहला राज्य है जिसने प्राधिकार का गठन किया और आज को-औपरेटिव का चुनाव प्राधिकार के माध्यम से हो रहा है और आज को-औपरेटिव को पूरे बिहार सहित दुनिया के लोग जान रहे हैं । महोदय, मुझे समय बहुत कम दिया गया है, मेरा समय काट लिया गया है, मैं आदरणीय को-औपरेटिव मंत्री जी को कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहूंगा कि आपके पंचायतों में जो पैक्स है, उस पैक्स में निश्चित रूप से आप डाटा ऑपरेटर की बहाली कीजिये और उसको इंटरनेट से जोड़िये ताकि पैक्सों की जानकारी आम अवाम को मिल सके और वहां उसके माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल सके। महोदय,एक मिनट महोदय,मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने पैक्स में लैब की स्थापना करिये जहां से मिट्टी जांच का प्रयोगशाला लग सके और किसानों को उसकी सुविधा मिल सके। महोदय,मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि 15-16 का रब्बी का जो फसल बीमा का भुगतान लंबित है, उसको दिलाया जाय।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राम, दो मिनट ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय,विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बधाई देता हूँ। महोदय, देश के 70 प्रतिशत आबादी जो किसान वर्ग से आते हैं और कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं । उनके लिए केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके लिए कोई दुरगामी योजना नहीं है, जिसके कारण आज किसान देश के और राज्यों की अपेक्षा पीछे चल रहा है, आप सिर्फ अपनी रोना रो रहे हैं । सहकारिता विभाग विशेष तौर पर किसानों के लिए ही बनाया गया था लेकिन सहकारिता विभाग से किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है । जब देश के किसान खुशहाल होंगे तभी यह देश खुशहाल होगा, किसान जब जिन्दा रहेंगे तभी आम अवाम जिन्दा रहेंगे । महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन इसके लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार गंभीर नहीं है । कोई भी योजना किसानों के लिए नहीं बनायी जा रही है। महोदय, हम माननीय मंत्रीजी से कहना चाहेंगे समय कम है कि जो अन्य प्रदेशों के संबंध में जो हमारे वक्ता ने चर्चा की कि अन्य प्रदेशों में सहकारिता विभाग द्वारा जो किसानों को लाभ मिलता है, वह बिहार के किसानों को नहीं मिलता है तो हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इन्हें दूसरे प्रदेशों का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए था कि अन्य प्रदेशों में सहकारिता के माध्यम से वहां के किसानों को क्या मिलता है, जो बिहार में किसानों को नहीं मिलता है और देखकर यहां के किसान को लेकर अन्य प्रदेश में प्रशिक्षण दिलाना चाहिए कि किस तरह से पैदावार कैसे अधिक हो और उसका रख रखाव कैसे हो, उसका मार्केटिंग कैसे हो, इसके बारे में बतलाना चाहिए। (क्रमश:)

टर्न-26/राजेश/9.7.19

श्री लाल बाबू राम : क्रमश:.. महोदय, एक और बात बताना चाहते हैं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: एक और बात, अंतिम बात ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय, सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के द्वारा मेला का आयोजन करना चाहिए जो किसानों को रीन योजना की जानकारी दे, प्रशिक्षण दें तथा नये किस्म का बीज दें ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो, इसको बताना चाहिए और किसान कैसे रख-रखाव करें और मार्केट तक कैसे पहुंचावें और उसका उचित मूल्य कैसे मिले,इसपर सहकारिता विभाग को ध्यान देना चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ मिल सकें । विशेष तौर पर हम यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप माईक को अपनी तरफ घुमाइये न, माईक को अपनी तरफ घुमा लीजिये ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मात्र तीन से चार दिनों का समय दिया जाता है,जिससे किसान ऑनलाईन अप्लाई नहीं कर पाते जिससे वे लाभ नहीं उठाते हैं, एक शर्त लगाते हैं विभाग के द्वारा कि आप किसान सलाहकार के माध्यम से आप आवेदन करें दूसरा बात कहते हैं कि एल0पी0सी0सी0 बनवाइये, करेंट रसीद कटवाइये, पासबुक लाइये, आधारकार्ड लाइये, किसान जब ये सारे चीजें लेकर आते हैं तो टाईम निकल जाता है तो इसके लिए किसानों को समय मिलना चाहिए कम से कम 15 दिनों का,जिससे वह अप्लाई कर सके और जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, उसका लाभ उठा सकें । महोदय, एक बात और बताना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: फिर एक बात और, अब आप अनेक बात बता चुके हैं ।

श्री लाल बाबू राम: महोदय, मैं अब सकरा विधान सभा के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो व्यापार मंडल जो बहुत पहले से था, कार्यालय था, किसान लोग उस ऑफिस में जाते थे, बैठते थे और विचार-विमर्श करते थे और कैसे इसका लाभ उठाया जायइसपर चर्चा होती थी लेकिन 10 वर्ष पहले से वहाँ पर ऑफिस के नाम से वहाँ पर कुछ नहीं है, न तो वहाँ पर कोई पदाधिकारी है और न ही कोई कर्मचारी है, न वहाँ पर बैठने की ही व्यवस्था है और न तो वहाँ पर कार्यालय ही है तो सरकार वहाँ पर कार्यालय की व्यवस्था करें, हमारे सकरा विधान सभा में मात्र दो पंचायत में आपका गोदाम है और लगभग 25 पंचायतों में नहीं है तो वहाँ पर पैक्स के माध्यम से गोदाम बनवाने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष: अब आपका समय समाप्त हुआ ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं अपनी बात चंद पंक्तियों के साथ शुरु करना चाहता हूँ । पंक्तियाँ इस प्रकार है: ''परिंदों को नहीं दी जाती, तालीम उड़ानों की,
उन्हें खुद ही तय करनी होती है मंजिलें आसमानों की,
होता है जिनमें हौसला ऑसमा को छूने का,
उन्हें परवाह नहीं होती, गिर जाने की ।''

अध्यक्ष महोदय, संसार का एक अघोषित नियम है कि:
''जो चीजें आगे नहीं बढ़ती, उसे पीछे धकेल दिया जाता है,
जहाँ प्रगति नहीं होती है,वहाँ दुर्गति होती है,
जहाँ विकास नहीं होता है, वहाँ विनाश होता है,
जहाँ उन्नति नहीं होती है,वहाँ अवनति होती है,

जहाँ चलना नहीं होता,वहाँ रुकना होता है
और जहाँ पर रुकना होता है,वहीं पर अंत होता है।''

महोदय, हवा चलती है इसलिए जीवन देती है, खून, साँस, धड़कन, जब तक चलती है, तभी तक जीवन देती है, इसलिए हमारे वेद में, पुराण में कहा गया-''चरैवेति, चरैवेति ।'' तो चलने वालों का भाग्य चलायमान रहता है, सभी आदमी का भाग्य चलायमान रहता है लेकिन जो बैठ जाता है, उसका भाग्य भी बैठ जाता है, इसलिए कहा गया कि गति में प्रगति है और प्रगतिशील जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, सहकारिता की मूल अवधारणा इसमें निहित है अध्यक्ष महोदय और मुझे सदन को बताते हुए बहुत ही खुशी है कि सहकारिता विभाग का वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट और इस वर्ष के बजट में करीब दो गुना से ज्यादा की वृद्धि है अध्यक्ष महोदय और माननीय सिद्दिकी साहब ने पूछा था, वरिष्ठ सदस्य है और ये हमलोगों के अभिभावक की तरह है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा बजट उपबंध 1846 करोड़ का था, हमने कुल खर्चा सहकारिता विभाग में 1798 करोड़ किया और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह 97.41 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, फसल सहायता योजना, मैं तो चंपारण से आता हूँ, गाँधी बाबा की धरती से आता हूँ और पूरा राष्ट्र चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया है, 100 साल पहले गाँधी बाबा आये थे, उन्होंने तीन बातों पर जोर दिया, शिक्षा की बात की, मैं उसी जिले का हूँ, मेरा विधान सभा जहाँ है, वहाँ पर बुनियादी स्कूल की स्थापना गाँधी बाबा ने की, उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया और सहकारिता की बात की । शिक्षा के बारे में कहा, गाँधी बाबा के शब्द है, जिसे मैं सदन के सामने रखता हूँ, अंग्रेजी के शब्द है कि: ''When you Educate a man, you educate an individual but When you Educate a woman, you educate the whole family." जब हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, स्वच्छता के तप के अलख को उस जमाने में जगाया और सहकारिता के बारे में गाँधी बाबा के शब्द है कि सहकारिता एक जीवन पद्धति है,सहकारिता ग्रामीण परिवेश की जीवंत अवधारणा है और उन्होंने कहा कि: "The co-oprative is an extension of a whole family " जब आदमी के मन में विचार हुई कि परिवार को बड़ा किया जाय, तो सहकारिता की संकल्पना आयी, उसकी संरचना हुई, उसको आगे आधुनिक भारत के निर्माताओं में जे0आर0डी0 टाटा का नाम आता है और जे0आर0डी0 ने कहा सहकारिता के बारे में, लोगों के महत्व के बारे में कि: "Peoples of our most important asset, we must invest them to help then to help us" अध्यक्ष महोदय, यह जो क्रांति हुई है सहकारिता के क्षेत्र

में, मैं बताना चाहता हूँ फसल सहायता योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी और उसके माध्यम से हमलोग इसको मानते और समझते भी है, मैं चंद पंक्तियॉ सदन के सामने रखना चाहता हूँ, जिसे सदन इत्तेफाक रखता होगा कि:

''तेरे शहर का पेट मेरी गॉव की मिट्टी से पलता है,
गौरतलब रहे कि देश अपना गॉवों में बसता है।''

भारत की आत्मा गॉवों में बसती हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से फसल सहायता योजना हमारे विभाग द्वारा लायी गयी, आज पूरा राष्ट्र इस फसल सहायता योजना की स्टडी कर रहा है और मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी है कि जब मैं आज सदन में सहकारिता विभाग पर बोल रहा हूँ, तो फसल सहायता योजना के तहत् करीब 3 लाख, 85 हजार, 117 लाभान्वित किसानों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा कुल 3 अरब, 17 करोड़, 30 लाख 68 हजार, 114 रुपये सीधे हस्तांतरित कर दिये गये हैं । किसानों के फसलों की क्षति पर और यह योजना इतनी लाभप्रद है और पूरा देश इसका स्टडी कर रहा है कि जीरो परसेंट अनुदान, इसमें कोई राशि प्रिमियम की राशि किसानों को नहीं देनी है और 20 प्रतिशत से ज्यादा फसलों की क्षति है, तो अधिकतम दो हेक्टेयर के हिसाब से 10 हजार रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से, अधिकतम 20 हजार रुपया और अगर 20 प्रतिशत से कम की क्षति है, तो हम साढ़े सात हजार के हिसाब से अधिकतम 15 हजार रुपया देने का विचार सरकार रखती है और देती है और सरकार ने इस बार निर्णय किया कि हिसाब बिठाने पर यदि किसी किसान को 500 से कम रुपये की सहायता राशि जाती है, तो सरकार ने निर्णय किया कि हम कम से कम 500 रुपये की राशि हर किसान के खाते में देने का काम करेंगे । आज इस चर्चा पर माननीय 17 सदस्यों का विचार आया, मैं आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दिकी जी के प्रति, आदरणीय भोला यादव जी के प्रति, आदरणीय जितेन्द्र प्रसाद जी के प्रति, श्याम बाबू यादव जी के प्रति, पूनम पासवान जी के प्रति, राजेन्द्र कुमार जी के प्रति, चन्द्रसेन जी के प्रति, केदार गुप्ता जी के प्रति, आनंद शंकर जी के प्रति, यदुवंश कुमार यादव जी के प्रति, सत्यदेव राम जी के प्रति, ललन पासवान जी के प्रति, रामप्रीत पासवान जी के प्रति, राजेश कुमार जी के प्रति, श्री सीताराम यादव जी के प्रति, सचीन्द्र प्रसाद जी के प्रति एवं लाल बाबू राम जी के प्रति, इन सभी माननीय सदस्यों के बहुत ही अच्छे सुझाव आये और कुछ सुझाव मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ, ये माननीय सदस्यों की तरफ से आये थे, हमारे पैक्सों के उपर आये थे, हमारा विभाग यह महसूस करता है कि पैक्स जो है, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और सहकारिता जो है, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक

सशक्त माध्यम है । भारत की सरकार भी इसको महसूस करती है, इसलिए भारत के संविधान के 97वें संशोधन में ये सरकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार भारत देश के नागरिकों को दिया गया और राज्यों को यह निदेश दिया गया कि समितियों का गठन और उसका विकास दोनों ये सुनिश्चित करें और इसके तहत मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि किसतरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना से, जहाँ पैक्सों में कई माननीय सदस्यों ने इस विचार को रखा और ठीक रखा कि आज से 10 वर्ष पहले जहाँ पैक्सों में सदस्यों की संख्या मात्र 35 लाख 96 हजार सदस्य हमारे होते थे, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या मात्र 2 लाख थी लेकिन आज मुझे सदन के सामने यह तथ्य रखते हुए बड़ी खुशी है कि आज केवल महिला सदस्यों की संख्या ही 36 लाख है और एक करोड़ 16 लाख हमारे पैक्सों के सदस्य हैं, यह महिला सशक्तिकरण की जो सोच रखती है आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार, आदरणीय सुशील मोदी जी की सरकार, उसका प्रकटीकरण है इससे परिलक्षित होता है

क्रमशः

टर्न-27/सत्येन्द्र/9-7-19

श्री राणा रणधीर, मंत्री (क्रमशः) कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी पैक्सों में सुनिश्चत की गयी है । हमलोगों ने धान अधिप्राप्ति के लिए, पैक्स हमारा धान का अधिप्राप्ति करता है मुख्य रूप से पैक्स और व्यापार मंडल, जिसमें हमलोगों ने करीब हमारे 8463 जो पैक्स है और जिसे हमलोगों ने संबद्ध किया था, 4830 पैक्स और 189 व्यापार मंडलों के माध्यम से हमलोगों ने 14 लाख 16 हजार मे0 टन धान की अधिप्राप्ति की, हमलोगों ने जो गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा है , मुझे एक और बात बतलाते हुए खुशी है कि फसल सहायता योजना में, ये किस तरह से मौन क्रांति होती है, किस तरह से गांव गरीब का जब विकास होता है और वह मुख्य धारा से जुड़ता है, उसका प्रकटीकरण है । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जो फसल सहायता योजना लागू की खरीफ 2018 से, उसमें करीब 11 लाख 50 हजार किसानों ने अपना रजिष्ट्रेशन करवाया जिसमें गैर रैयत किसानों की संख्या अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ यह तथ्य सदन के लिए महत्वपूर्ण है, ये करीब 6 लाख 35 हजार 270,ये गैर रैयत किसानों की संख्या है 11 लाख 50 हजार 527 और रैयत किसानों की संख्या 8 लाख 88 हजार 544, ये गैर रैयत किसानों की संख्या है जो दिखाता है कि किस तरह से गैर रैयत किसान भी फसल सहायता योजना का अधिकाधिक लाभ ले रहे हैं और ये दो योजनाओं को अगर मिला जाय जो हमलोग खरीफ 2018 में इसे शुरू किया और अभी जो योजना हमारी चल रही है 2018-19 की, उन दोनों को मिला दीजिये तो

करीब 29 लाख 05 हजार किसानों ने अपना निबंधन कराया है । ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी फसल सहायता को लेकर, वह किस तरह से सफल साबित हुई है और आज पूरा देश एवं देश के कई राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बात विभाग के तरफ से रखना चाहता हूँ । जैसा मैंने बताया कि जो मांग संख्या 9 पर दोगुने से ज्यादा, पिछले वर्ष की तुलना में दोगुणे से ज्यादा राशि हमलोगों का विचारार्थ सदन में आया है । इस बार और उस मांग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 15271.14 लाख रू0 का व्यय प्रस्तावित है । राज्य स्कीम मद में कुल 95600 लाख रू0 का व्यय प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत क्रमशः 28819 लाख रू0 फसल सहायता योजना के लिए, जिसकी चर्चा मैं अध्यक्ष महोदय कर रहा हूँ और 15456 लाख रू0 बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए, 725 लाख रू0 बिहार राज्य फसल योजना के अनुसूचित जन जाति उप योजना के लिए, 14228.04 लाख रू0 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पहला किस्त का प्रीमियम है उसके अनुदान के लिए, 3640.62 लाख रू0 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्षतिपूर्त्ति अनुदान के लिए, 2439.57 लाख रू0 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम के लिए, 872.15 लाख रू0 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए, 247.62 लाख रू0 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए, 1 करोड़ रू0 सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के भवन मरम्मति एवं बनाने हेतु, 1 करोड़ रू0 विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु, 52 लाख रू0 सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु, 518 लाख रू0 मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी की यह सोच रही है कि पैक्सों को किसान कल्याण केन्द्र के रूप में डेवलप किया जाय, पैक्सों को मल्टी ऐक्टिविटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाय और उसके तहत हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री योजना की शुरूआत की और उसके तहत हमारे जो 101 अनुमंडल हैं, सभी अनुमंडलों में जो बेहतर प्रदर्शन करने वाले पैक्स है, पहले स्थान पर आने वाले पैक्स को 3 लाख रू0, दूसरे स्थान पर आने वाले पैक्स को 2 लाख रू0 प्रोत्साहन स्वरूप देने की योजना है । राज्य के स्तर पर जो पैक्स अच्छा परफौरमेंस करेंगे उसे 10 लाख रू0, दूसरे स्थान पर आने वाले पैक्स को 7 लाख रू0 और तीसरे स्थान पर आने वाले पैक्स को 5 लाख रू0 देने की व्यवस्था मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना के तरफ से की गयी है । अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी अलग से राशि आवंटित की गयी है । व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान के लिए 1 अरब रू0, गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान के लिए 50 करोड़ रू0 और अधिप्राप्ति

कार्य के प्रबंधकीय अनुदान के लिए अध्यक्ष महोदय इसकी व्यवस्था की गयी । माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पैक्स को हम अधिप्राप्ति में उसका उपयोग सरकार करती थी लेकिन उन पैक्सों को कोई प्रबंधकीय अनुदान नहीं मिलता था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बिहार की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हर पैक्स को प्रति क्विंटल 10 रू0 प्रबंधकीय अनुदान के रूप में देंगे और यह देने का निर्णय सरकार ने किया है और पैक्सों को मिल रहा है जो सहकारी बैंक पैक्सों को अधिप्राप्ति के लिए ऋण देते हैं उनको 5 रू0 प्रति क्विंटल के हिसाब से और जो राज्य सहकारी बैंक हैं जो लोन देने का काम करता है उसको 50 पैसे पर क्विंटल के हिसाब से प्रबंधकीय अनुदान देने की व्यवस्था सरकार ने किया है । सरकार के महत्वकांक्षी योजना अध्यक्ष महोदय, सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्र में, भेजीटेबुल को-ऑपरेटिव के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस बार के बजट में 100 करोड़ रू0 सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने बजट में रखा है । 10 करोड़ रू0 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में राज्यांश मद हेतु और 1 लाख रू0 बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान मद में व्यय हेतु प्रावधानित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में कुल 8 अरब 88 करोड़ 99 लाख 10 हजार रू0 का व्यय प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत क्रमशः मुख्यमंत्री हरित कृषि सयंत्र योजना के अनुदान मद में 4 अरब 23 करोड़ 15 लाख रू0 एवं ऋण मद हेतु 4 अरब 23 करोड़ 15 लाख रू0 तथा समेकित सहकारी विकास परियोजना के अनुदान मद हेतु 22 करोड़ 58 लाख 36 हजार रू0 एवं चक्रीय पूंजी मद में 20 करोड़ 10 लाख 74 हजार रू0 व्यय हेतु प्रावधानित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, पैक्सों में गोदाम निर्माण और ड्रायर की स्थापना पिछले वर्ष जब हमलोग सदन में सहकारिता विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तब और आज में मुझे सदन को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जो कृषि रोड मैप के माध्यम से हमारे यहां जो हमलोगों ने लक्ष्य रखा कि 610 राईस मिल की स्थापना करेंगे पैक्सों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसमें हमलोगों ने 440 राईस मिलों को पूरा कर लिया है बनवाने का काम किया है, 99 राईस मिल निर्माणाधीन है । अध्यक्ष महोदय, जहां पिछले वर्ष पैक्सों में ड्रायर की व्यवस्था नहीं थी और सदस्यों की चिंता रहती थी कि धान अधिप्राप्ति जब नबम्बर में शुरू होता था और मॉयस्चर के कारण धान की अधिप्राप्ति का काम हम तेज गति में नहीं कर पाते थे । मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमलोगों ने कृषि रोड मैप 1722 के अन्तर्गत करीब 46 पैक्सों में ड्रायर लगाने का काम पूरा कर लिया है । हमारा लक्ष्य 441 का है, 31 पैक्सों में ड्रायर का काम निर्माणाधीन है, दोनों मिलाकर 78 पैक्सों के लिए हमलोगों ने राशि मुक्त किया है

अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने राज्यों के सहकारी विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति जिसकी विस्तार से मैंने चर्चा की, गोदाम निर्माण हेतु हमलोगों ने चर्चा किया, आई0सी0डी0पी0 योजना के तहत सरकार की ये योजना है, सरकार चाहती है कि सहकारिता विभाग के जो औफिसर है और जैसा कई माननीय सदस्यों की तरफ से उनका सुझाव भी आया था कि एक जगह पर सहकारिता विभाग का दफ्तर हो तो उस पर भी सरकार जो है बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और राज्य के 38 जिलों में से करीब 14 जिलों में सरकार इस तरह का इंटीग्रेटेड औफिस निर्माण का काम कर रही है जहां एक ही स्थल पर सरकार के बैंक हो, सहकारिता विभाग का बैंक हो, एम0डी0 का, डी0सी0ओ0 का दफ्तर हो । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना में कृषि सयंत्र योजना भी है जिसके तहत हमलोगों ने 1690 करोड़ यानी करीब 1700 करोड़ की योजना है यह, और इसके लिए पैक्सों को अध्यक्ष महोदय हम कृषि यंत्र देना चाहते हैं

(क्रमशः)

टर्न–28/मधुप/09.07.2019

...क्रमशः...

श्री राणा रणधीर, मंत्री : पैक्सों को जैसा हमने कहा कि उसको बिल्कुल मल्टी ऐक्टिविटी सेन्टर के रूप में, एक जीवंत संस्था के रूप में हमलोग उसको करना चाहते हैं और इसपर भी हमलोग बहुत गति से काम कर रहे हैं । आने वाले समय में जब पैक्सों का चुनाव सम्पन्न होगा, हम मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना की शुरूआत भी बहुत तेज गति से करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का लगातार सुझाव आता रहा है, कई आवेदन और कई अध्यक्षों ने मिलकर मुझसे इसकी चर्चा की थी कि पैक्सों में ऑनलाईन व्यवस्था के तहत, यह जो तिथि थी 30 तारीख तक, हमलोगों ने, विभाग ने यह निर्णय किया है कि यह तिथि 30 तारीख से बढ़कार 15 जुलाई तक ऑनलाईन सदस्यता बनाने की तारीख तक कर रहे हैं । मुझे सदन के सामने यह बताते हुये, तथ्य रखते हुये खुशी है कि अबतक करीब 5.5 लाख आवेदकों ने इस बार आवेदन दिया ऑनलाईन मेम्बरी के लिए जिसमें 4 लाख आवेदकों को सदस्य बनाया जा चुका है । मुझे यह तथ्य रखते हुये बड़ी खुशी है कि इस व्यवस्था में तो तथ्य आये हैं, उसमें 1 लाख 70 हजार महिलाएँ यानी 40 प्रतिशत महिलाएँ इसकी सदस्य बनी हैं । माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच और योजना है कि महिलाओं की भागीदारी सहकारी समिति, कई माननीय सदस्यों की यह चिन्ता थी और सदस्यों ने कहा है, मैं बताना चाहता हूँ

कि बिहार कैसे अग्रणी राज्य बना है, सहकारी समितियों में जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू कराई है, जिसको क्षैतिज आरक्षण कहते हैं, आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था हमारे सहकारी समितियों में लागू है । यह 13 सदस्यीय होता है और चूंकि सारे अधिकार यहाँ..... (व्यवधान) उसी पर बता रहा हूँ । हमारे यहाँ समितियों में जो व्यवस्था है, जो मेम्बर होते हैं, उसके भी चुनाव होते हैं और समितियों को ही सारे अधिकार मिले रहते हैं, अध्यक्ष जो होता है केवल उसकी अध्यक्षता भर करता है, बोर्ड निर्णय करता है । बिहार सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था रखी है, उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि इसमें एस0सी0/एस0टी0 के भी दो सदस्य होंगे, एक महिला और एक पुरूष, अति पिछड़ा के भी दो सदस्य होंगे, एक महिला और एक पुरूष, पिछड़ी जाति के भी दो सदस्य होंगे, एक महिला और एक पुरूष और सामान्य जाति में भी तीन सदस्य होंगे, उसमें भी तीन महिला सदस्य का होना अनिवार्य किया गया है । इस तरह से आरक्षण में आरक्षण, सरकार ने क्षैतिज आरक्षण देने का काम पैक्स की समितियों में यह करने का काम किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, दो पंक्तियां रखना चाहता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी, हम सब लोगों के नेता रहे हैं जन-नायक, हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके शब्द हैं -

''हदें शहर से गुजरीं तो गाँव-गाँव चलीं,
कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चलीं,
सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ,
वह जिंदगी ही क्या जो छांव-छांव चली ।''

इस सोच के तहत अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने जो अपनी परिकल्पना और सहकारिता विभाग इस मजबूती से काम कर रहा है, उसके तहत बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, राज्य के सब्जी उत्पादकों को उसके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने हेतु सब्जी उपभोक्ताओं को बाजार में प्रचलित दर से कम दर पर सब्जियाँ उपलब्ध कराने हेतु, ज्यादा उत्पादन की स्थिति में..... (व्यवधान) सत्यदेव जी, बैठ जाइये । ज्यादा उत्पादन की स्थिति में हो रहे अवमूल्यन एवं बर्बादी रोकने, सब्जी के मूल्य संवंर्द्धन हेतु....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, आप क्यों बोलने लगे ? आपकी जिंदगी छांव-छांव चली है क्या ? अभी उन्होंने सुनाया था ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : इसके प्रसंस्करण तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था किये जाने की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने का कार्य प्रगति पर है । इस क्रम में त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है । सब्जी के मूल्य संबर्द्धन हेतु विशेषीकृत भंडारण यथा, कोल्ड चेन एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, प्रसंस्करण और विपणन जिसका हमलोगों ने तरकारी नाम दिया है, यह बिल्कुल कम्फर्ट के तर्ज पर 5 जिलों का हमलोगों ने शुरू में चयन किया है - पटना, नालंदा, बेगुसराय, वैशाली और समस्तीपुर, इन 5 जिलों में यह काम शुरू हो गया है और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि करीब 12 मोबाईल वैन से पटना शहर में भी हमारा तरकारी ब्रांड सब्जी देने का काम कर रहा है । बाकी इन जिलों की 98 समितियों में से 94 समितियों का गठन हो गया है और मुझे बताते हुये, सदन के सामने यह बात रखते हुये बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लगातार कहते हैं कि देश के हर थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिये, हम जब सब्जी के क्षेत्र में बहुत ऑर्गनाइज्ड नहीं थे, हम व्यवस्थित नहीं थे तो भी हमारा स्थान देश में तीसरा था । हमलोगों ने वेजिटेबुल कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको ऑर्गनाइज करने का काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम सब्जी उत्पादन में देश में पहले स्थान पर होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, पैक्सों के कम्प्युटराइजेशन की योजना - पैक्सों में सी0एस0एस0 प्रणाली लागू है और पैक्सों में बहुत जल्दी हम कम्प्युटराइजेशन का काम पूरा करना चाहते हैं । करीब 6 हजार के आसपास हमारे पैक्स हैं, जो पूरी गति के साथ काम करते हैं, उक्त कम्प्युटराइजेशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल परियोजना की लागत का 60 प्रतिशत व्यय भार वहन किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 35 प्रतिशत एवं शेष 5 प्रतिशत व्यय भार संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा । पैक्स कम्प्युटरीकरण योजना के प्रतीक्षारत अवधि में राज्य के 8463 पैक्सों में से 500 पैक्सों को हम प्राथमिकता के आधार पर और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जो पैक्स अच्छा परफौरमेंस करेंगे, उन पैक्सों का पहले चयन करते हुये प्राथमिकता के आधार पर प्रति पैक्स 3 लाख रू0 की दर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य योजना के तहत कम्प्युटरीकरण का काम किया जायेगा ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि माँग संख्या-9 के अन्तर्गत..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, अभी दो मिनट और बोलिये ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने जो माँग रखा था, माननीय मंत्री जी उसपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : माननीय भोला जी, अभी बता रहे हैं ।

अध्यक्ष : भोला जी, अब आप ही की माँग की चर्चा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राणा रणधीर, मंत्री : भोला जी, आपने कहा था....

श्री भोला यादव : हमने कहा था कि पैक्स में जो धान खरीद होती है, तत्काल का तत्काल भुगतान हो हो ताकि किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिले ।

अध्यक्ष : अब उसी पर बोल रहे हैं ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : हमलोगों ने धान अधिप्राप्ति का काम 2 लाख 28 हजार किसानों से किया है जिसमें रैयत कृषकों की संख्या करीब 58 प्रतिशत और गैर रैयत कृषकों की संख्या करीब 42 प्रतिशत रही है । हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमलोगों ने 24 घंटे के अन्दर धान अधिप्राप्ति में किसानों का भुगतान करने का काम करते हैं । मुझे सदन को बताते हुये खुशी है कि हमलोगों ने गेहूँ अधिप्राप्ति का भी कार्य पिछले साल से प्रारंभ किया है । आगे दलहन और मक्के की अधिप्राप्ति के प्रति भी सरकार गम्भीर है । आपको हम बताना चाहते हैं, आदरणीय भोला जी का प्रश्न था, इस बार अधिप्राप्ति के फलस्वरूप 2478 करोड़ 68 लाख 19 हजार रू0 किसानों को भुगतान किया जा चुका है ।

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग जिस हौसले से काम कर रहा है, दो पंक्तियां सदन के सामने रखना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से -

''जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल है कद आसमान का ।''

जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं....

अध्यक्ष : आपने भारत सरकार के वित्त मंत्री को उद्धृत कर दिया ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : लेकिन हौसला और उड़ान पर गौर करिये ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, सहकारिता विभाग ने ऊंची उड़ान, लम्बी यात्रा तय की है । मैं माननीय सदस्यों को उनके सुझाव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । अंत में मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि माँग संख्या-9 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम मद अन्तर्गत व्यय हेतु कुल 19,97,70,24,000/- रू0 मात्र की माँग पारित की जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, उससे पहले सिद्दिकी साहब के गायबाने में उनसे कटौती प्रस्ताव करने का अनुरोध भी कर दीजिये ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : आदरणीय सिद्दिकी साहब और पूरे विपक्ष के सदस्यों से मैं आग्रह करता हूँ कि समाज के वंचित वर्गों का सहकारिता के माध्यम से समावेशी विकास के लिए अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा की जाय ।

टर्न-29/शंभु/09.07.19

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ? नहीं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय ।''

(घंटी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटाई जाय ।'

( खड़े होकर मतदान )

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव पर खड़े होकर मत विभाजन की प्रक्रिया का परिणाम इस प्रकार है :-

प्रस्ताव के पक्ष में - 52 मत और इसके विपक्ष में 85 मत । इस प्रकार मैं समझता हूँ कि यह कटौती प्रस्ताव 52 के मुकाबले 85 मत से अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-30/ज्योति/09-07-2019

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''सहकारिता विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 19,97,70,24,000/-( उन्नीस अरब संतानवे करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 9 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 32 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें सबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनॉक 10 जुलाई, 2019 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।